Par. S. 17. II. 10. 52.
285

अंक २

संख्या १०

मंगलवार

२२ जुलाई, १९५२

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

पहला सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग २९२५—२९७०]

प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग २९७०—३०३६]

(मूल्य ४ आने)

469 PSD

लोक सभा

मंगलवार, २२ जुलाई १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ट्रंक लाइनें

*१९५१. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या महत्वपूर्ण ट्रंक लाइनों को भूमिगत तारों द्वारा लिये जाने की कोई प्रस्थापना है ; तथा

(ख) यदि है, तो क्या इस समय तक कोई महत्वपूर्ण लाइनें बिछाई गई हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) बम्बई-थाना तथा कलकत्ता-आसनसोल की ऊपरी ट्रंक लाइनों के स्थान पर भूमिगत तारें बिछाई जा रही हैं। दूसरे स्थानों पर खुली तारों को भूमिगत तारों द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

(ख) उपरोक्त क्षेत्रों में खुले तार मार्गों को भूमिगत तारों द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिये व्यादेश दिये गये हैं तथा आवश्यक सामग्री प्राप्त की जा रही है। यह काम इस वर्ष शुरू होने की आशा है।

सरदार हुक्म सिंह : खुली तारों के होते हुए इन तारों के बिछाने के क्या विशेष लाभ हैं ?

श्री राज बहादुर : अधिक मितव्ययता ; इस से एक स्थिर तथा दोषरहित संचरण व्यवस्था मिल जाती है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इस से अन्तर्बाधाएं भी कम होंगी ?

श्री राज बहादुर : जी हां, ऐसा ही होगा।

'अपने टेलीफ़ोन का स्वामित्व प्राप्त करो' योजना

*१९५२. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या 'अपने टेलीफ़ोन का स्वामित्व प्राप्त करो' परियोजना सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर लागू की गई है ?

(ख) १९५१-५२ के वर्ष में इस परियोजना के अन्तर्गत कितनी धन राशि निक्षेप के रूप में प्राप्त की गई ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) यह केवल १६ स्थानों पर लागू की गई है।

(ख) ५९,९०,५०० रुपये।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस परियोजना के अन्तगत

अब तक कुल कितने कनेक्शन दिए जा चुके हैं ?

श्री राज बहादुर : १२०२१ ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार ने इस परियोजना के अन्तर्गत वांछित सभी कनेक्शन दे दिये हैं ? क्या कुछ प्रार्थनापत्र अभी भी अनिर्णीत पड़े हैं ? तथा यदि पड़े हैं तो कितने ?

श्री राज बहादुर : कुछ प्रार्थनापत्र अभी अनिर्णीत पड़े हैं । हमें आशा है कि हम इस परियोजना के अन्तर्गत की गई मांगों को पूरा कर सकेंगे ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या कुछ मामले ऐसे भी थे जहां कि ऐसे प्रार्थनापत्र अस्वीकृत किये गए ?

श्री राज बहादुर : मझे इसका कोई ज्ञान नहीं।

श्री ए० सी० गुहा : क्या माननीय मंत्री इन १२०२१ कनेक्शनों की नगर-वार संख्या बता सकेंगे ?

श्री राज बहादुर : अमृतसर १३७, बम्बई ४९६८, कलकत्ता २८४४;—मैंने यह सूचना एक से अधिक बार दे दी है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इसे सदन पटल पर रख देना अधिक अच्छा होता । अगला प्रश्न ।

विकास योजनायें

*१९५३. **श्री एस० एन० दास :** क्या **गृहकार्य** मंत्री २८ मार्च १९५१ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २६११ के संबंध में दिये गये उत्तर की ओर निर्देश करके सदन पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में १९५१-५२ के वर्ष में विभिन्न राज्यों को, संविधान के अनुच्छेद २७५ के अन्तर्गत अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण से सम्बन्धित, विकास परियोजना के लिये दिये गये सहायता-अनुदानों की अलग अलग, राज्यवार, राशियां दी गई हों ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : माननीय सदस्य का ध्यान १८ जून १९५२ को श्री बर्मन के तारांकित प्रश्न संख्या ९६२ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर दिलाया जाता है ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि यह विकास परियोजनाएं सरकार को कब प्राप्त हुई थीं तथा धन का आवंटन कब किया गया था ?

डा० काटजू : इस वर्ष के लिये अथवा गत वर्ष के लिये ?

श्री एस० एन० दास : १९५१-५२ के लिये ।

डा० काटजू : मुझे इस की पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या १९५२-५३ के लिये विकास परियोजनाएं प्राप्त की गई हैं तथा क्या उनके लिये आवंटन दिये गये हैं ?

डा० काटजू : गत वर्ष के लिये उत्तर यह था कि विभिन्न राज्यों में १८० लाख रुपये की यह राशि वितरित करने के प्रश्न पर अभी विचार हो रहा है ।

श्री एस० एन० दास : जो परियोजनाएं १९५१-५२ में मंजूर हुई थीं, क्या उनके कार्य-संचालन के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ?

डा० काटजू : मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

जनाब अमजद अली : संविधान के अनुच्छेद २७५ (१) के अन्तर्गत आसाम राज्य का विशेष उल्लेख किया गया है तथा

हा गया है कि संविधान के लागू होन के समय से लेकर दो वर्षों तक उसे राजस्व के मुकाबिले में अति-व्यय का औसत भाग दिया जाये । क्या मैं जान सकता हूं कि आसाम सरकार ने आसाम के आदिम-जातीय क्षेत्रों के विकास के लिये, जिस में कि संचरण, शिक्षा आदि बातें शामिल हैं, कहां तक मांग की है ?

डा० काटजू : मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये । क्या मैं निवेदन करूं कि यदि माननीय सदस्य विशिष्ट बातों के सम्बन्ध में विशिष्ट प्रश्न पूछ लेंगे तो मैं विशिष्ट उत्तर तुरन्त ही दे सकूंगा ।

सरदार हुक्म सिंह : इस धारा के अन्तर्गत भाग (क) तथा भाग (ग) राज्यों से जो विकास परियोजनायें प्राप्त की गई हैं, क्या उनकी केन्द्र द्वारा जांच हुई है तथा कुछ फैसले किये गये हैं ?

डा० काटजू : अभी नहीं । मुझे ऐसा करने की जल्दी ही आशा है ।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि किन किन राज्यों ने आदिवासियों के उत्थान के लिये अपनी योजनाएं केन्द्रीय सरकार को नहीं भेजीं और क्या उसके कारण केन्द्रीय सरकार ने उस साल के लिये अनुदान नहीं दिया ?

अध्यक्ष महोदय : जैसे कि मैं समझता हूं अनुदान बन्द करने का अभी प्रश्न ही नहीं उठा है ।

डा० काटजू : मेरा ऐसा विचार नहीं ।

डा० पी० एस० देशमुख : परियोजनायें न भेजे जाने के कारण ।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि किन किन स्टेटों ने आदिवासियों की उन्नति के लिए जो योजनाऐं तैयार की जानी चाहिये थीं, उन योजनाओं को पेश नहीं किया और जिनके कारण से उन को उस वर्ष केन्द्रीय सरकार ने ग्रान्ट देना बन्द कर दिया ?

डा० काटजू : मुझे मालूम नहीं है ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या राष्ट्रपति के प्रथम आदेश के जारी होने के समय से अनुसूचित क्षेत्रों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है ?

डा० काटजू : क्षेत्र में ?

श्री एस० एन० दास : संख्या में ।

डा० काटजू : यह बात जनगणना पर निर्भर है । मैं तत्काल ही उत्तर नहीं दे सकता हूं ।

श्री जांगड़े : क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने १९५१-५२ के लिये आदिवासियों की उन्नति के लिए कोई योजना पेश नहीं की है, जिसके कारण शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर ने ग्रान्ट बन्द कर देने की सिफ़ारिश की है ?

डा० काटजू : मैं ने आपसे निवेदन किया, अगर आप इस तरह का सवाल पूछेंगे तो मैं तुरन्त जवाब दे दूंगा, कि मेरा हाफ़ज़ा (स्मरण शक्ति) इन मामलों में बहुत कमज़ोर है ।

श्री गणपति राम : क्या माननीय मंत्री महोदय बतला सकते हैं कि यह रुपया डेव-लपमेंट की किन किन खास खास मदों में दिया जाता है ?

डा० काटजू : जी हां, इन तमाम मदों में यह रुपया दिया जाता है :—

कृषि सम्बन्धी विकास जिस में कि छोटे सिंचाई कार्य शामिल हैं, शैक्षिक प्रगति जिस में कि छात्रावास तथा छात्रवृत्तियां

शामिल हैं, जन स्वास्थ्य जिस में कि मलेरिया विरोधी कार्यवाहियां शामिल हैं, ग्राम सड़कें तथा कुटीर उद्योगों का विकास ।

जनाब अमजद अली : इस विषय पर और अधिक सूचना देने के लिये क्या माननीय गृह-कार्य मंत्री एक अल्प-सूचना का प्रश्न मंजूर करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मंजूरी देना न देना सभापति के हाथ में है ।

जनाब अमजद अली : क्या वह उत्तर दे देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यदि मंजूर किया जाये । इस समय यह एक अनिश्चित बात है ।

जनाब अमजद अली : उन्होंने उत्तर नहीं दिया ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । अगला प्रश्न ।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, एक और प्रश्न है । क्या मैं जान सकता हूं कि इस उद्देश्य के लिये जो पिंडराशि दी गई है क्या उस में गत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि हुई है ?

डा० काटजू : जहां तक मुझे स्मरण है, गत वर्ष यह १५० लाख रुपये थी, इस वर्ष यह १८० लाख रुपये है ।

अन्तर्देशीय जलमार्गों का पर्यालोचक दल

*१९५४. **श्री एस० एन० दास :** क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) अन्तर्देशीय जल यातायात के सम्बन्ध में प्रविधिक प्रगति का अध्ययन करने के लिये भारतीय विशेषज्ञों के जिस दल को यूरोप तथा अमेरिका के दौरे पर भेजा गया था, क्या उसने अपनी रिपोर्ट पेश की है ;

(ख) उन्होंने अपनी वापसी पर क्या क्या महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं ; तथा

(ग) क्या इन विशेषज्ञों ने नौ-परिवहन सुविधाओं के विकास तथा उन्नति के लिये कोई निश्चित परियोजना पेश की है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) पर्यालोचक दल ने एशिया तथा सुदूर पूर्व के आर्थिक आयोग को एक अन्तरिम रिपोर्ट पेश की है तथा इसकी प्रतियां भारत सरकार को भी प्राप्त हुई हैं । अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३५**]

(ग) जी नहीं । इस दल ने भारत सरकार की उस प्रग्रिम परियोजना को अपनाने की सिपारिश की है जो उस ने गंगा तथा इसकी शाखाओं के कम पानी वाले क्षेत्रों में बजरों के खींचने के लिये टग (खींचने वाली वाष्प नौकाएं) प्रयोग करने की सम्भावना को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से बनाई है ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस भारतीय दल को अन्तर्देशीय नौ-परिवहन के विकास के लिये एक निश्चित परियोजना पेश करने के लिये कहा था ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जी हां, वह एक परियोजना पेश करेंगे । हम उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इन सिपारिशों पर विचार करके कोई फैसला किया है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : अभी नहीं । हमें आशा है कि हमें अगले दो अथवा तीन महीनों में इसकी अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होगी ।

इसके बाद हम इस पर विचार करेंगे तथा कोई फैसला करेंगे ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र टैक्नीकल प्रशासन से अन्तर्देशीय नौ-परिवहन के सम्बन्ध में एक विशेषज्ञ भेजने की प्रार्थना की गई थी ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जी हां, हम ने एक विशेषज्ञ भेजने के लिये प्रार्थना की है । आशा है कि वह अक्तूबर १९५२ में यहां पहुंच जायेगा ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या किसी प्रग्रिम परियोजना को शीघ्र ही क्रियान्वित किया जायेगा ?

श्री एल० बी० शास्त्री : वह परियोजना अभी विचाराधीन है । मुख्य समस्याओं का अध्ययन किया जा रहा है । ज्योंही विशेषज्ञ पहुंच जायेगा त्योंही प्रग्रिम परियोजना को सूत्रबद्ध किया जायगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पर्यालोचक वर्ग की अन्तरिम सिपारिशों को ध्यान में रखते हुये गंगा बांध परियोजना पर विचार किया जा रहा है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : अन्तरिम रिपोर्ट पर अभी विचार हो रहा है । यह हमारे पास आया है तथा हम इस पर विचार कर रहे हैं तथा अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह रिपोर्ट हमें दो अथवा तीन महीनों में प्राप्त होने की आशा है तथा उसी समय विशिष्ट प्रस्थापनाओं पर विचार किया जायगा ।

श्री वैलायुधन : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिये देसी नौकाओं तथा मोटर तथा वाष्प नौकाओं को छोड़ कर किसी अन्य देश में कोई दूसरा टैक्नीकल साधन भी उपलब्ध है ?

अध्यक्ष महोदय : शायद यह प्रश्न अत्यधिक रूप से विस्तृत है ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस पर्यालोचन का क्षेत्र गंगा तक ही सीमित है अथवा निचले पश्चिमी बंगाल में इसकी शाखाओं तक भी यह वितत होता है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : शाखाओं पर भी ।

श्री बंसल : क्या मैं जान सकता हूं कि इस दल के सदस्य कौन थे ?

श्री एल० बी० शास्त्री : इस देश से तीन प्रतिनिधि हैं जिनके नाम यह हैं:— श्री एम० एल० सूद, संचालक नौपरिवहन, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग, श्री ए० के० भट्ट, बोयलर तथा वाष्पपोत इन्सपेक्टर बिहार सरकार, तथा श्री पी० बसु, सहायक संचालक नौ-परिवहन, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ।

श्री गणपति राम : क्या माननीय मंत्री उन व्यक्तियों के नाम बतला सकते हैं जो इस एक्सपर्ट टीम (विशेषज्ञ दल) में विदेश गये थे और उन पर भारत सरकार का कितना रुपया खर्च हुआ है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : नाम तो मैं ने बता दिया । उन पर जो धन खर्च हुआ है वह बहुत कम है । दो अफसरों के लिये तो ढाई हज़ार रुपया खर्च हुआ है और जो बिहार के नोमिनी (नामनिर्दिष्ट व्यक्ति) हैं उन पर बारह सौ रुपया खर्च हुआ है ।

चाय स्टाल तथा जलपान गृह

***१९५५. श्री एस० सी० सामन्त :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि भारतीय रेलों पर स्थित चाय स्टालों तथा जलपान

गृहों तथा कैंटीनों (भोजनालयों) का किराया बढ़ा दिया गया है ;

(ख) यदि बढ़ा दिया गया है तो किस दिनांक से ;

(ग) १९५१-५२ म कितनी बढ़ी हुई राशि वसूल हुई है ; तथा

(घ) १९५०-५१ में कितनी राशि वसूल हुई थी ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) जी हां । जलपान गृहों, चाय स्टालों तथा प्लेटफार्म दुकानों से जो बहुत ही कम लाइसैंस फीस—जिस में कि किराया भी शामिल था—वसूल की जाती थी वह अब बढ़ा दी गई है । मुसाफिरों के प्रयोग के लिये रेलवे द्वारा कोई कैंटीन नहीं चलाये जा रहे हैं ।

(ख) सामान्तया : यह १ जुलाई १९५१ से बढ़ा दी गई । फिर भी विभिन्न रेलों पर यह दिनांक विभिन्न थे । कुछ मामलों में जहां प्रक्रम से इसे लागू किया गया, एक ही रेलवे पर विभिन्न दिनांकों पर फीस बढ़ा दी गई ।

(ग) १७,४९,६१६ रुपये ।

(घ) १२,५४,१७९ रुपये ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या किराया बढ़ जाने से यात्रियों को घटिया किस्म का खाना उपलब्ध कराया जाता है तथा खाना पहुंचाने की सेवा में भी खराबी आ गई है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : श्रीमान्, ऐसी बात नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय सलाहकार परिषद् के न होते हुए सरकार ठेका प्रणाली में परिवर्तन करने के विषय में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : प्रश्न क्या है?

श्री एस० सी० सामन्त : इस से पहल केन्द्रीय सलाहकार परिषद् ठेका प्रणाली के मूल सिद्धान्तों की जांच करती थी । क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार अब, जब कि यह परिषद् मौजूद ही नहीं है, इस काम को करने के लिये क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जहां तक सलाहकार परिषद् का सम्बन्ध है यह ठीक है कि यह विद्यमान नहीं, परन्तु हम एक भिन्न समिति नियुक्त करने की बात सोच रहे हैं । हम यह सारे मामले उस समिति के सामने रखेंगे । हमें आशा है कि यह समिति शीघ्र ही नियुक्त की जायेगी । जहां तक प्रणाली में परिवर्तन करने का सम्बन्ध है हमें मश्वरा दिया गया है कि लाईसैंस प्रणाली सम्भवत : टैंडर प्रणाली अथवा ठेका प्रणाली से अधिक अच्छी है ; तथा यही कारण है कि हम ने इस तरीके को अपनाया है । जहां तक फीस बढ़ाने का प्रश्न है, यह वास्तव में पहले बहुत कम था । इसलिये हम ने इसे अब बढ़ा दिया है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मेरा यह अनुभव है कि इन चाय के स्टालों में और रेलवे के खाने के स्थानों में बाज़ार की दुकानों से खाद्य पदार्थ अच्छा नहीं होता, क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इसका क्या कारण है कि अक्सर जब हम वहां पहुंचते हैं तो बड़ी गन्दगी होती है और ...

अध्यक्ष महोदय : आप विस्तार में जा रहे हैं तथा सूचना दे रहे हैं । आप के प्रश्न में बहुत सी बातों का अनुमान लगाया गया है जिन्हें स्वीकार करना शायद मंत्री जी के लिए सम्भव न होगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मेरा प्रश्न यह है कि इन चाय के स्टालों में और भोजन के स्थानों में भोजन की उत्तमता की जांच

करने का क्या प्रबन्ध हो रहा है ? क्या इसके लिये कोई विशेष प्रबन्ध है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : वैसे तो समय समय पर जो हमारे मेडिकल आफ़िसर्स हैं और जो दूसरा जांच करने वाला सुपर-वाइज़री स्टाफ़ है वह जाता है और अपनी रिपोर्ट देता है । जहां तक खाने की बात है बाज़ार की और स्टेशनों की दूकानों में कोई खास फ़र्क नहीं है । मुझे तो बाजार में भी काफ़ी खराब खाना मिलता है । लेकिन हमें जो रिपोर्ट मिलती है उसको हम वहां की लोकल एडवाइज़री कमेटी के सामने पेश करते हैं और लोकल एडवाइज़री कमेटी की जैसी राय होती है उसके मुताबिक़ उसको सुधारने की कोशिश करते हैं ।

पंडित मनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या कोई ऐसी योजना है कि अमुक श्रेणी के स्टेशनों में चाय की स्टालों और खाने की चीज़ों की दूकानों की तादाद इतनी ज़रूर होनी चाहिये, या जो कोई आ कर दर्खास्त करता है उस को लाइसेंस दे दिया जाता है ।

श्री एल० बी० शास्त्री : जी नहीं, ट्रेफ़िक की जैसी सूरत होती है उसके अनुसार वहां वेण्डर्स और रेस्टोरां वगैरह का लाइसेन्स दिया जाता है ।

डा० पी० एस० देशमुख : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या स्वल्पाहार की कीमतें हाल ही में बहुत बढ़ाई गई हैं तथा क्या इसका किराया की वृद्धि से कोई सम्बन्ध है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जी नहीं । इसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं । वास्तव में जैसे कि मैं ने पहिले निवेदन किया, फीस की दर बहुत कम थी तथा इसी कारण से हमने इसे बढ़ा दिया था । वह इन जलपान गृहों तथा होटलों से काफी लाभ कमा रहे हैं । इसलिये रेल विभाग ने इसे बढ़ा देना उचित समझा ।

श्री एस० सी० सामन्त : इस समय ठेके पर की रसोई प्रणाली तथा वैभागिक रसोई प्रणाली दोनों ही विद्यमान हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि यह एक दूसरे की तुलना में कैसी लगती हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : रेल अधिकारियों की राय में लाइसेंस प्रणाली ठेका प्रणाली की अपेक्षा अधिक अच्छी है ।

केन्द्रीय सचिवालय क्लर्क सेवा योजना

*१९५६. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या गृह कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सचिवालय क्लर्क सेवा परियोजना अन्तिम रूप से तैयार हो चुकी है तथा क्या भारत सरकार ने इसे स्वीकृत किया है ?

(ख) इस परियोजना को तैयार करते समय क्या सभी मंत्रालयों से सलाह ली गई ?

(ग) वित्त मंत्रालय की प्रतिक्रियायें क्या थीं ?

(घ) क्या भारत सरकार अपना अन्तिम निश्चय तैयार कर रही है अथवा इसके तैयार होने की कब आशा है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) केन्द्रीय सचिवालय क्लर्क सेवा परियोजना तैयार की गई है तथा इस समय विचाराधीन है ।

(ख) तथा (ग). वित्त मंत्रालय सहित सभी मंत्रालयों से सलाह ली गई थी तथा सामान्यतः वह इस परियोजना से सहमत हैं ।

(घ) आशा है कि शीघ्र ही कोई निश्चय कर लिया जायेगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : द्वितीय श्रेणी प्रणाली १९३९ में हटा ली गई थी तथा इसे अब पुनः पुरस्थापित किया गया है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पहिले से सेवायुक्त क्लर्कों को सभी उचित सुभीते दिये गए ह ?

डा० काटजू : यह एक बहुत ही जटिल मामला है तथा इस का सम्बन्ध केन्द्रीय सचिवालय में सेवायुक्त क्लर्कों की एक बड़ी संख्या से है । मेरे लिये यह सम्भव नहीं कि मैं अनुपूरक प्रश्नों में विशेष मामलों तथा विशेष वर्गों से सम्बन्धित प्रश्नों का निवारण करूं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सरकार को मालूम है कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में प्रथम श्रेणी के कुछ ऐसे क्लर्क हैं जो दस वर्ष से अधिक समय से काम करते आये हैं किन्तु जिन्हें अभी तक तरक्की नहीं दी जा रही है ?

डा० काटजू : मुझे इस प्रश्न के लिये पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या यह योजना तैयार हो जाने पर केन्द्र द्वारा प्रशासित राज्यों पर भी लागू होगी ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या यह प्रणाली भाग ग राज्यों पर भी लागू होगी ?

डा० काटजू : यह केन्द्रीय सचिवालय क्लर्क सेवा है । इसका भाग ग राज्यों से कोई सम्बन्ध नहीं ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : इस योजना के अनुसार खर्च में या संख्या में कोई कमी या वृद्धि होगी ?

डा० काटजू : इसका बताना बड़ा मुश्किल है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : इस योजना के अनुसार खर्चे में या संख्या में कितनी वृद्धि या कमी हुई है ?

डा० काटजू : इसका कहना बड़ा मुश्किल है ।

श्री दामोदर मेनन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने केन्द्रीय सचिवालय क्लर्क सेवा परियोजना तैयार करते समय तृतीय श्रेणी के क्लर्कों की इस मांग को भी ध्यान में रखा है कि उनके वेतन-दरों में संशोधन किया जायें तथा उनकी सेवायें स्थायी बना दी जायें; तथा यदि रखा है तो इस परियोजना से उनकी शिकायतों का कहां तक निवारण होने की आशा है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कर्मचारियों की ओर से एक प्रकार का अभ्यावेदन है । ऐसे प्रश्न यथासम्भव सदन में नहीं किये जाने चाहियें ।

श्री वैलायुधन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस परियोजना को अन्तिम रूप देने से पूर्व इसे संघ लोक सेवा आयोग के सामने भी पेश किया जायेगा ?

डा० काटजू : मेरा एसा ही विचार है ।

श्री गणपति राम : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतला सकते हैं कि संविधान की धाराओं तथा डिपार्टमेंन्टल सरक्यूलर्स (विभागीय परिपत्रों) का ध्यान रखते हुये शिड्यूल्ड कास्ट्स के कैंडीडेटों (उम्मेदवारों) का भी इस में प्रावीजन (प्रावधान) किया गया ह ?

डा० काटजू : बड़ा मुश्किल है साहब ।

कृषि सम्बन्धी आंकड़े

*१९५७. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत में कृषि सम्बन्धी सांख्यकी एकत्रित करने की प्रणाली में परिवर्तन किया गया है ;

(ख) यदि किया गया है तो क्या क्या परिवर्तन किये गये हैं ;

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों तथा सेमिनारों में प्रशिक्षा प्राप्त करने के लिये कितने सांख्यिकों को विदेशों में भेजा गया है ; तथा

(घ) उचित कृषि सम्बन्धी सांख्यकी प्रणालियों के विकास में सहायता करने के लिये विदेशों से कितने विशेषज्ञ भारत आये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) हाल ही के वर्षों में भारत में कृषि सम्बन्धी सांख्यकी की संग्रह प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। फिर भी बहुत से क्षेत्रों में सांख्यकी संग्रहन का क्षेत्र बहुत बढ़ गया है तथा बहुत से क्षेत्रों में दार्ष्टिक अनुमान के स्थान पर (फसल काटने का) न्यादर्श परिमाप तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है।

(ख) कृषि सम्बन्धी सांख्यकी चूंकि एक राज्य विषय है इसलिये राज्य सरकारें ही इसके प्राथमिक संग्रहन के लिये जिम्मेदार हैं। केन्द्रीय कृषि तथा खाद्य मंत्रालय इन्हें एकत्रित करके एक अखिल भारतीय स्तर पर प्रकाशित करती हैं।

(ग) एक।

(घ) अभी तक कोई भी नहीं।

श्री एस० सी० सामन्त : चूंकि इस समय उपलब्ध कृषि संबंधी सांख्यकी दोषपूर्ण बताई जाती है, क्या मैं जान सकता कि केन्द्रीय सरकार ने तथ्य तथा आंकड़ों को संग्रहित करने की प्रणाली का सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की है तथा इस संबंध में राज्यों को क्या अनुदेश दिये गये हैं ?

श्री करमरकर : कृषि संबंधी सांख्यकी के बारे में न्यादर्श परिमाप सांख्यकी, जो कि अधिक अच्छी तथा विश्वसनीय है, अपनाई जा रही है। उदाहरणतः इस वर्ष बिहार, उत्तर प्रदेश, बम्बई तथा पश्चिमी बंगाल मे तथ्य तथा आंकड़े इसी आधार पर एकत्रित किये गए। हमारी मनोकांक्षा है कि यही विधि अन्य स्थानों पर भी प्रयोग में लाई जाये।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने तथ्य तथा आंकड़ों को एक नियमित आदेशिका द्वारा एकत्रित करने के प्रश्न पर विचार किया है ?

श्री करमरकर : न्यादर्श परिमाप विधि एक प्रकार की नियमित आदेशिका है, तथा किसी और अधिक अच्छे तरीके को ढूंढ निकालना सम्भव नहीं हो सका है।

श्री बर्मन : क्या मैं जान सकता हूं कि गत वर्ष शासकीय ढंग से तैयार की गई सांख्यकी में तथा न्यादर्श परिमाप विधि से तैयार की गई सांख्यकी में क्या भेद पाया गया है ?

श्री करमरकर : जहां अधिक सही तरीका अपनाया गया वहां उससे कम सही तरीका नहीं अपनाया गया। इसलिये हम ठीक ठीक नहीं बता सकते हैं कि दोनों तरीकों में कितना फर्क रहता है।

श्री के० के० बसु : क्या कृषि संबंधी सांख्यकी का संग्रहन कार्य कलकत्ता स्थित सांख्यकी प्रयोगशाला के नियंत्रण में है ?

श्री करमरकर: जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया सांख्यकी एक राज्य विषय है । हम केवल इसे एकसूत्रित करने का प्रयत्न करते हैं तथा अग्रेतर अनुसंधान में सहायता देते हैं, यदि ऐसा अनुसंधान सम्भव हो।

श्री रघवय्या: इन मामलों में हमें सलाह देने के लिये किन किन देशों से यह विशेषज्ञ यहां आ रहे हैं ?

श्री करमरकर: खाद्य तथा कृषि संघटन (एफ० ए० ओ०) से दो विशेषज्ञ आने की आशा है जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को इसके अनुसंधान कार्यक्रमों तथा सांख्यकी योजनाओं में सलाह तथा सहायता देंगे । यह उन अनुसंधान कार्यक्रमों में भी सहायता देंगे जिनका संबंध फसल तथा पशु सांख्यकी के सुधार से है ।

संचरण विकास योजना

*१९५८. **डा० राम सुभग सिंह:** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सत्य है कि मद्रास तथा समुद्र पार के देशों के बीच रेडियो, तार तथा टेलीफोन सेवाओं को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत विदेश संचरण विकास योजना के अन्तर्गत विस्तारित किया जायेगा ?

(ख) यदि यह सत्य है तो क्या इस विस्तार परियोजना पर प्रारम्भिक काम शुरू हुआ है ; तथा

(ग) इस परियोजना का अनुमानित परिव्यय क्या है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी हां।

(ख) जी हां । इस योजना के अन्तर्गत प्रस्थापित सेवाओं के लिये मद्रास में एक स्टेशन स्थापित करने के उद्देश्य से उचित स्थान के चुनने तथा प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि मद्रास का इस समय किन किन विदेशों से सम्पर्क है तथा किस प्रकार के मार्ग द्वारा ?

श्री राज बहादुर : इस समय समुद्री तार द्वारा तार-संचरण व्यवस्था विद्यमान है । जहां तक वायरलैस तार सेवा का संबंध है, मद्रास केवल रंगून से मिला हुआ है ।

ब्रह्मा से चावल का आयात

*१९५९. **डा० राम सुभग सिंह:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने प्राइवेट संस्थाओं द्वारा ब्रह्मा से कुछ चावल आयात किया है; तथा

(ख) यदि किया है, तो प्राइवेट संस्थाओं द्वारा इस समय तक कितना चावल आयात किया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) १४ जुलाई १९५२ तक ६९,७६६ टन ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि प्राइवेट व्यापारियों के संबंध में ब्रह्मा से चावल आयात करना किस तरह से विनियमित है ?

श्री करमरकर : प्राइवेट व्यापारियों के लिये चावल कैसे उपलब्ध होता है, इस संबंध में मैं सविस्तार बातों का पता लगाना चाहता हूं । परन्तु व्यापारियों को वहां से चावल आयात करने की अनुमति है ।

डा० राम सुभग सिंह: क्या मैं जान सकता हूं कि उन व्यापारियों का चुनाव कैसे होता है जिन्हें ब्रह्मा से चावल आयात करने की अनुमति दी जाती है ?

श्री करमरकर : प्राइवेट व्यापारियों के संबंध में मुझे स्थिति का ठीक ठीक ज्ञान नहीं। परन्तु जहां तक ब्रह्मी निर्यातकों का संबंध है लगभग २५०,००० टन अथवा ऐसी ही कोई निश्चित मात्रा राज्य-स्तर पर आयात करने की अनुमति दी जाती है तथा ब्रह्मा सरकार ने इस करार के अन्तर्गत वहां के प्राइवेट निर्यातकों को १२०,००० टन का वचन दिया है। परन्तु मुझे इस बात का पता लगाना है कि क्या वह यहां प्राइवेट व्यापारियों द्वारा आयात किया जा सकता है।

डा० राम सुभग सिंह: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या प्राइवेट व्यापारियों द्वारा आयात किये गए चावल का मूल्य वही होता है जो सरकारी स्तर पर आयात किये गए चावल का होता है ?

श्री करमरकर : चूंकि ब्रह्मा सरकार द्वारा इस निर्यात के लिये टेंडर मंगाये होते हैं, इसलिये प्राइवेट सार्थों द्वारा जो भी चावल ब्रह्मा से यहां आता है वह उस चावल से लगभग २० प्रतिशत महंगा रहता है जो सरकारी स्तर पर आयात किया जाता है।

श्री रघवय्या: ब्रह्मा से जो यह चावल आयात किया गया है क्या सरकार उसके वितरण के संबंध में अकालग्रस्त क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

श्री करमरकर: इस प्रश्न का सम्बंध वितरण से है। मुझे इसके लिये पूर्वसूचना चाहिये।

ईरान में टिड्डियों का भय

*१९६०. **डा० राम सुभग सिंह:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने गत छः महीनों में कीटाणु घातक रसायन तथा अन्य उपकरण भेजकर ईरान में टिड्डियों के संहार पर कुल कितना रुपया व्यय किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): भारत सरकार को ईरान में टिड्डियों के संहार पर कुल १,३५,००० रुपया व्यय करना पड़ा है जिस में से ६२,००० रुपया जो कि उड्डयन की लागत है: खाद्य तथा कृषि संघटन (एफ० ए० ओ०) द्वारा दिया जायेगा।

श्री दाभी : ऐसी कार्यवाहियों से भारत में टिड्डियों के भय का कहां तक निवारण किया गया है ?

श्री करमरकर: मैं समझता हूं कि इस का आंशिक प्रभाव पड़ा है ; परन्तु मुझे इसकी पूर्व सूचना चाहिये।

श्री एस० एन० दास: क्या पाकिस्तान सरकार ने भी इस काम पर कुछ धन खर्च किया है ?

श्री करमरकर: क्या मुझ से पाकिस्तान से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने की आशा की जा सकती है ?

अध्यक्ष महोदय: यदि माननीय मंत्री के पास सूचना हो तो वह यह दे सकते हैं।

श्री करमरकर : श्रीमान् मुझे पाकिस्तान के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं।

कच्चा पटसन

*१९६१. **श्री एल० एन० मिश्र :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार के पास ऐसी कोई प्रग्रिम परियोजना है जिस से कि कच्चे पटसन के उत्पादन परिव्यय का पता लगाया जा सके ?

(ख) यदि है तो इस परियोजना के अन्तर्गत कार्य प्रगति कहां तक पहुंची है तथा इसका सविस्तार विवरण क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) कच्चे पटसन के उत्पादन परिव्यय का पता लगाने के लिये भारत सरकार के पास इस समय प्रग्रिम परिमाप कराने की कोई प्रस्थापना नहीं। फिर भी भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति की आर्थिक गवेषणा शाखा देश के मुख्य पटसन उत्पादी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर निर्माण परिव्यय की जांच कर रही है।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है जिस में भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति द्वारा की गई जांच के आधार पर १९४९ तथा १९५० के दो वर्षों के लिये कुछ स्थानों का पटसन उत्पादन परिव्यय दिया गया है।

विवरण

मूल्य प्रति मन

स्थान	पटसन का उत्पादन परिव्यय	
	१९४९—५०	१९५०—५१
	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०
मनोहरपुर (पश्चिमी बंगाल)	२८—५—०	४९—७ ०
बेलाकोबा (पश्चिमी बंगाल)	२७—७—०	२८—१४—०
पूर्निया (बिहार)	२४—४—०	२६—०—०
केन्द्रपाड़ा (उड़ीसा)	१९—६—०	२३—५—०
नौगांव (आसाम)	२८—५—०	२५—०—०
औसत	२६—१२—०	२८—१३—०

नोट:—१९५० में (नौगांव को छोड़कर) मौसिम की खराबी का पटसन की फ़सल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा जिसके परिणामस्वरूप गत वर्ष की अपेक्षा १९५० में प्रति मन परिव्यय सामान्यत: अधिक रहा। मनोहरपुर में मौसिम की खराबी के कारण बहुत बड़े क्षेत्र को घास पात हटाने की क्रिया के समय ही छोड़ देना पड़ा। परिणामस्वरूप वहां प्रति एकड़ उत्पादन बहुत कम रहा जिस से कि उत्पादन परिव्यय बढ़ गया।

श्री एल० एन० मिश्र: विवरण से ऐसे पता चलता है कि समस्या की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि पटसन के लिये निम्नतम मूल्य निश्चित करने की मांग को दृष्टि में रखते हुये क्या इस संबंध में कोई प्रकृष्ट तथा विस्तृत प्रग्रिम परियोजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री करमरकर: जहां तक परिव्यय आगणन परियोजना का संबंध है मैं माननीय सदस्य से इस बारे में सहमत नहीं हूं कि सरकार द्वारा निश्चित किये दर सन्तोषजनक नहीं। सरकार ने ठीक ठीक उत्पादन-परिव्यय का पता लगाने के लिये यथासंभव प्रत्येक प्रयत्न किया है

श्री ए० सी० गुहा : क्या सरकार को इस बात का कुछ ज्ञान है कि क्या कच्चा पटसन के लिये इस समय जो कीमत चुकाई जाती है वह वाजवी है अथवा नहीं ?

श्री करमरकर : जहां तक गत दो महीनों का संबंध है कीमतें बहुत गिर गई हैं। परन्तु औसत लेने पर सरकार को इस बात का संतोष हुआ है कि कच्चा पटसन उत्पादन परिव्यय से अधिक कीमत पर बेचा गया है ।

पटसन के मूल्य

*१९६२. **श्री एल० एन० मिश्र :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि भारत सरकार ने पटसन मूल्यों को निम्नतम स्तर से न गिरने देने के लिये एक 'मूल्य उप-समिति' नियुक्त की थी ?

(ख) क्या यह सत्य है कि वर्तमान मन्दी से कच्ची पटसन के मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा उच्च कोटि की बिहार पटसन के लिये इतना मूल्य भी नहीं दिया जाता है कि उस का उत्पादन परिव्यय पूरा हो सके ?

(ग) यदि यह सत्य है तो सरकार पटसन के लिये वाजबी मूल्यों की गारन्टी देने के लिये तथा भारत में पटसन उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिये क्या पग उठाने की प्रस्थापना कर रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) कृषि, जंगलात तथा मीन क्षेत्रों से सम्बन्धित नीति समिति की मूल्य उप-समिति १९४५ में नियुक्त की गई थी तथा इस का उद्देश्य कृषि तथा पशु पालन सम्बन्धी उत्पादनों के लिये उत्पादन-मूल्य निश्चित करने के सिद्धान्तों तथा उन मूल्यों को प्रभावी बनाने और उन वस्तुओं के विक्रय को निश्चित करने के उपायों, पर विचार करना तथा अपनी सिफारिशें पेश करना था। इस उप-समिति के निर्देश निबन्धनों में इस तरह से कच्ची पटसन के लिये निम्नतम मूल्य निश्चित करने की बात भी थी।

(ख) जनवरी, १९५२ से पटसन, जिस र पटसन भी शामिल है, के मूल्य गिर रहे हैं; लेकिन यह दिखाने के लिये हमारे पास कोई तथ्य नहीं है कि बिहार के पटसन उत्पादकों ने १९५१-५२ के सम्पूर्ण 'ज्यूट सीजन' के लिये हानि उठाई है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री एल० एन० मिश्र : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मूल्य उप-समिति ने सिफारिश की है कि राज्य के लिये यह अनिवार्य है कि वह पटसन के मूल्यों को निश्चित निम्नतम स्तर से गिरने न दे ?

श्री करमरकर : श्रीमान्, यदि इस का आशय यह है कि निम्नतम स्तर से मूल्य गिर जाने की दशा में सरकार को पटसन अवश्य खरीदनी चाहिये, तो मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी कोई प्रणाली नहीं ।

श्री एल० एन० मिश्र : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय पटसन समिति द्वारा नियुक्त पटसन योजना उप-समिति ने पटसन के मूल्यों के सम्बन्ध में क्या सिफारिशें की थीं ?

श्री करमरकर : इस विशेष बात के लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये । वैसे तो उप-समिति की सिफारिशें मेरे पास हैं ।

डा० पी० एस० देशमुख : क्या यह मूल्य उप-समिति आज भी विद्यमान है, तथा यदि है तो इस के सदस्य आदि कौन हैं ?

श्री करमरकर : मेरा विचार है कि इस का काम समाप्त होने पर यह भंग हो जाती है; लेकिन फिर भी मैं इस का पता लगाऊंगा ।

श्री एल० एन० मिश्र : माननीय मंत्री ने प्रश्न संख्या १९६१ के उत्तर में जो विवरण दिया है उस से पता चलता है कि पटसन का उत्पादन परिव्यय २८ रुपये प्रतिमन के लगभग है। क्या मैं जान सकता हूं कि कलकत्ता मंडी में इस समय चालू मूल्य क्या हैं ?

श्री करमरकर : श्रीमान्, इस प्रश्न के अन्तर्गत मेरे पास कलकत्ते का मूल्य है। 'नार्दर्न बाटम' का मूल्य जुलाई १९५१ के मुकाबले में इस वर्ष ४ जून को ३३ रुपये प्रति मन था। जुलाई १९५१ में 'वेस्टर्न बाटम' के लिये औसत मासिक मूल्य ६४ रुपये १३ आने प्रति मन था जब कि वर्तमान मूल्य २७ रुपये है। तथा 'जंगल बाटम' का मूल्य जुलाई १९५१ में ६४ रुपये ७ आने से गिर कर मई में २१ रुपये १ आना औसत हो गया।

श्री एल० एन० मिश्र : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि पटसन के मूल्य इस के उत्पादन परिव्यय से भी नीचे गिर गये हैं, क्या सरकार इस के लिये कुछ निम्नतम मूल्य निश्चित करने की प्रस्थापना कर रही है ?

श्री करमरकर : हम इस विषय पर विचार कर रहे हैं।

भेषज तथा औषधियां

*१९६३. **श्री एस० वी० रामस्वामी :** (क) क्या स्वाथ्य मंत्री भेषज तथा औषधियां तैयार करने वाले भारती सार्थों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगी ?

(ख) क्या इस सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि ऐसे निर्माता निश्चित किये गये औषधि-पत्रों अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रमापों का अनुसरण नहीं करते हैं ?

(ग) यदि ऐसी शिकायतें हैं तो केवल प्रत्याभूतित वस्तुओं को बिकाऊ के लिये उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) औषधि अधिनियम के अन्तर्गत भाग (क) राज्यों तथा दिल्ली, अजमेर और कुर्ग के भाग (ग) राज्यों में औषधियां बनाने के लिये २०२६ लाइसेंस जारी किये गये हैं। भाग (ख) राज्यों में तथा शेष भाग (ग) राज्यों में, जहां कि औषधि अधिनियम कुछ ही समय पहले प्रस्तुत किया गया है तथा जहां इसे अभी क्रियान्वित ही किया जा रहा है, जारी किये गये ऐसे लाइसेंसों की संख्या अभी उपलब्ध नहीं। अधिकांश लाइसेंसदार छोटे छोटे सार्थों के मालिक बताये जाते हैं।

(ख) ऐसी दवाइयों के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो कि उचित प्रमाप के नहीं हैं।

(ग) औषधि अधिनियम, १९४० तथा इस के अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत ऐसी दवाइयों के बनाने तथा बेचने के लिये दण्ड का उपबन्ध रखा गया है जो निश्चित स्तर की न हों। राज्य सरकारों के जो कि इस अधिनियम को लागू करने के लिये जिम्मेदार हैं, पास अपने अपने प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग हैं जिन में इन्स्पैक्टर तथा अनुज्ञापन अधिकारी होते हैं ?

श्री एस० वी० रामस्वामी : यदि औषधियां उचित स्तर की न हों तो सरकार क्या कार्यवाही करती है ?

राजकुमारी अमृत कौर : श्रीमान् औषधि अधिनियम में दण्ड का उपबन्ध विद्यमान है, तथा मेरे विचार में कठिनाई केवल यह है कि राज्यों में इस अधिनियम को लागू कराने के लिये पर्याप्त व्यवस्था का अभाव है।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या विटामिन तथा हार्मोन जैसी औषधियां भी भारत में तैयार की जाती हैं ?

राजकुमारी अमृत कौर : जी हां श्रीमान् ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : ऐसी औषधियों का आयात मूल्य क्या है ?

राजकुमारी अमृत कौर : मैं तत्काल ही आंकड़े नहीं दे सकती हूं । इस का सम्बन्ध वाणिज्य मंत्रालय से भी है ।

श्री वैलायुधन : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या नकली दवाइयों के निर्माण की रोक थाम के लिये सरकार कोई कार्यवाही करने की प्रस्थापना कर रही है ?

राजकुमारी अमृत कौर : जैसे कि मैं पहले ही निवेदन कर चुकी हूं औषधि अधिनियम सभी राज्यों पर लागू है । परन्तु मैं राज्यों के साथ कुछेक संशोधनों के बारे में बात चीत कर रही हूं जो कि मेरे विचार में अपराधों को कानून की ज़द में लाने में सहायक सिद्ध होंगे ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि औषधि अधिनियम के अन्तर्गत एकस्व तथा स्वत्वाधिकार प्राप्त दवाइयों के लिये कितने प्रमाण पत्र दे दिये गये हैं ?

राजकुमारी अमृत कौर : मुझे इस की पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री आर० के० चौधरी : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मई एंड बेकर जैसे सार्थों के विरुद्ध भी जिन्होंने कि भारत में अपनी फैक्टरियां स्थापित की हैं, ऐसी ही शिकायतें प्राप्त हुई हैं; तथा क्या यह त्रुटि भारत में आवश्यक पदार्थों के अभाव के कारण रह जाती है ?

राजकुमारी अमृत कौर : मुझे इन सार्थों के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

श्री आर० के० चौधरी : क्या इस शिकायत का कारण यह है कि भारत में आवश्यक मिश्रण पदार्थ उपलब्ध नहीं तथा उन्हें बाहर से आयात नहीं किया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : उत्तर यह है कि यह निराधार है क्योंकि उन्हें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

मैसूर राज्य रेलवे

*१९६४. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) जनवरी, १९४९ से अब तक भूतपूर्व मैसूर राज्य रेलवे (दक्षिणी रेलवे) से कितने कर्मचारी निकाल दिये गये हैं ; तथा

(ख) उन्हें निकाल दियें जाने के कारण क्या हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) ३६७ ।

(ख) इन में अनधिकृत अनुपस्थिति, दुर्व्यवहार, छटनी, चोरियां, अयोग्यता तथा चिकित्सक अग्राह्यता की बातें शामिल हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को इन व्यक्तियों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि इन्हें नौकरियों पर फिर बहाल किया जाये ?

श्री एल० बी० शास्त्री : निकाल दिय गये हर कर्मचारी को अपील करने का अधिकार है । मैं हर एक के सम्बन्ध में यह नहीं कह सकता हूं कि क्या उन्होंने कोई अभ्यावेदन किया है अथवा नहीं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : श्रीमान्, क्या यह सत्य है कि बम्बई, मद्रास तथा अन्य समीपवर्ती राज्यों में निकाले गये कर्मचारियों को ऐसी ही परिस्थितियों में नौकरियों पर बहाल किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह अधिकांश रूप से एक तर्कयुक्त प्रश्न है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन लोगों को रेलों के एकीकरण के बाद नौकरी से निकाल दिया गया ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जी नहीं, ऐसी बात नहीं है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार निकट भविष्य में इन के मामले पर विचार करेगी ?

श्री एल० बी० शास्त्री : हमें ऐसे पग उठाते समय सचमुच खेद होता है ; परन्तु जब काम में सुस्ती हो, आदेशों का उल्लंघन हो, अयोग्यता तथा भ्रष्टाचार हो, तो हमें कड़ी कार्यवाही करनी पड़ती है । मुझे कर्मचारियों तथा अधिकारियों के साथ पूर्ण सहानुभूति ह परन्तु मैं कर्त्तव्य पालन में भूल चूक के मामले में नर्मी दिखाने के विरुद्ध हूं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : श्रीमान्, क्या यह सत्य है कि इन रेलों के केन्द्र के साथ एकीकरण के समय मैसूर राज्य सरकार को इस बात की गारंटी दी गई थी कि इन कर्मचारियों को बहाल किया जायेगा ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मुझे इस बात का कोई ज्ञान नहीं ।

केन्द्रीय सड़क रक्षित निधि

*१९६५. **श्री शिवनंजप्पा :** क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने १९५१-५२ के लिये केन्द्रीय सड़क रक्षित निधि में से राज्यों को अनुदान दिये हैं; तथा

(ख) यदि दिये हैं, तो इन में से प्रत्येक राज्य को दिये गये आवंटन का सविस्तार विवरण क्या है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) तथा (ख). केन्द्रीय सड़क रक्षित निधि (सामान्य) में से वार्षिक आधार पर अनुदान नहीं दिये जाते हैं । रक्षित निधि के उपलब्ध धन में से समुचित परियोजनाओं के लिये अनुदान देने के विषय में प्रस्थापनायें सामयिक रूप से मंगाई जाती हैं । १९५१-५२ के वर्ष में परियोजनाओं के लिये इस तरह से दिये गये अनुदान निम्नलिखित थे :—

	(लाख रुपयों में)
(१) आसाम	०.३४
(२) अजमेर	०.४४
(३) बम्बई	१.१७
(४) मद्रास	३.६२
(५) मध्य भारत	१.२४
(६) उड़ीसा	९.६८
(७) राजस्थान	२.८५
(८) उत्तर प्रदेश	३.००
(९) पश्चिमी बंगाल	४.३१
(१०) सभी राज्यों में ग्राम सड़क विकास कार्य	१५.००
(११) सड़क अनुसन्धान तथा प्रयोग	१.९४
	४३.५९

श्री शिवनंजप्पा : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्गों के लिये कितना धन दिया गया है तथा अन्तर्ग्राम्य सड़कों के लिये कितना ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मुझे इस के लिये पूर्वसूचना चाहिये । परन्तु सभी राज्यों में ग्राम सड़कों के विकास के लिये हम ने १५ लाख रुपये दे दिये हैं ।

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि मध्य प्रदेश को क्यों कोई धनराशि नहीं दी गई है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मांगना तो राज्यों का काम है। जब कभी भी उन्हों ने हमें लिखा है हम ने अवश्य उस पर ध्यान दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मध्य भारत ने इस बारे में सुस्ती की है।

श्री पी० आर० राव : हैदराबाद स्टेट के लिये कितना मंजूर किया गया है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : इस साल तो नहीं किया गया है, लेकिन जैसे कि मैं ने कहा कि हर स्टेट के लिये रिजर्व फंड है। जो मांगते हैं और जैसी जरूरत होती है उस के हिसाब से हम ने हर स्टेट को दिया है।

श्री ए० सी० गुहा : इस निधि में अब तक कुल कितना संग्रहित हुआ है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : लग भग ५ करोड़ रुपये।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि पश्चिमी बंगाल को आवंटित धन का अधिकांश भाग पश्चिमी बंगाल तथा पूर्वी पाकिस्तान के बीच सीमा-रेखांकन के काम पर खर्च किया जायगा ?

श्री एल० बी० शास्त्री : योजनायें तथा परियोजनायें राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जाती हैं तथा इस का फैसला करना तथा प्राथमिकता का निश्चय करना उन का ही काम है। यदि उन का विचार यह होगा कि सीमा-रेखा अधिक आवश्यक है तो स्वभावतः वह इस पर अधिक धन खर्च करेंगे।

श्री पाटस्कर : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या राज्यों को अनुदान विशिष्ट प्रयोजनों के लिये दिये जाते हैं अथवा सामान्य रूप से दिये जाते हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के लिये दिये जाने वाले अनुदानों को छोड़ के शेष अनुदान विशिष्ट प्रयोजनों के लिये ही दिये जाते हैं।

श्री अच्युतन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस निधि में से कोई भी धन राशि राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगाई जाती है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जी नहीं। राष्ट्रीय राजमार्गों के लिये इस में से कुछ नहीं लिया जाता है।

श्री मादिया गौडा : यह बांट किस सिद्धान्त के आधार पर की जाती है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : इस रक्षित निधि को विशिष्ट परियोजनाओं के अर्थ-संधारण के लिये विशेष रूप से उपयोग में लाया जाता है। यह निधि पिछड़े हुए क्षेत्रों में उन महत्वपूर्ण तथा चुनी हुई सड़क परियोजनाओं के लिये खोली गई है जिन पर कि राज्य सरकारें स्वयं धन खर्च नहीं कर सकती हों। उन चुनी हुई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं के लिये भी विशेष अनुदान दिये जाते हैं जो एक से अधिक प्रशासकीय इकाइयों को आपस में अथवा संघ के साथ मिलाती हों। यह कुछ ऐसे कार्यों के लिये भी हैं जिस में कि सब समान रूप से दिलचस्पी रखते हों जैसे कि सड़क इंजीनियरों का प्रशिक्षण आदि।

कोसा तथा लाख

*१९६६. **श्री जांगड़े :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कोसा तथा लाख के घरेलू उद्योगों को पुनर्जीवित तथा प्रोत्साहित करने के लिये सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के राज्यों को, जो कि टसर के उत्पादक हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किये गये केन्द्रीय रेशम बोर्ड से यथा सम्भव प्रत्येक प्रकार की आर्थिक सहायता तथा टैक्नीकल सलाह मिलती है। बोर्ड के

टैक्नीकल कर्मचारीवर्ग द्वारा उन्नत प्रकार की देसी टसर अटेरन मशीनों पर प्रदर्शन तथा प्रयोग का काम किया जाता है जिस से कि इन राज्यों में टसर अटेरन वालों को मात्रा तथा क्वालिटी बढ़ाने में तथा उत्पादन परिव्यय घटानेमें सहायता मिलने की आशा है। बोर्ड ने अगस्त १९५१ में उड़ीसा में एक विशेष टसर विकास परियोजना के लिये ५००० रुपये का एक अनुदान भी मंजूर किया ।

भारतीय लाख उपकर समिति लाख की खेती निर्माण तथा विक्रय के विकास के लिये नियुक्त की गई है। इस ने तीन मुख्य परियोजनाओं को स्वीकृत किया है जिन का उद्देश्य गवेषणा कार्य के परिणामों को जनता में फैलाना है जिस से कि सम्बन्धित पक्ष अथवा व्यक्ति इन्हें अपना सकें। यह परियोजनायें यह हैं :—

(१) प्रकृष्ट प्रदर्शन परियोजनायें।

(२) लाख की कृषि को विस्तृत करना।

(३) लाख के औद्योगिक उपयोगों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण तथा परामर्श।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या टसर की मात्रा तथा किस्म बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई अनुसन्धान किया गया है ?

श्री करमरकर : श्रीमान्, मैं ने ऐसा ही कहा ।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार चैवासा में, जो कि टसर का बढ़ता हुआ केन्द्र है, एक अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने की बात पर विचार कर रही है ?

श्री करमरकर : हम इस समय ऐसी किसी परियोजना पर विचार नहीं कर रहे हैं, परन्तु यदि राज्य सरकार ऐसी किसी परियोजना की प्रस्थापना करेगी तो हम इस पर सहर्ष विचार करेंगे ।

श्री जांगड़े : क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि टसर उद्योग में कितने ऐसे लोग लगे हुए हैं जो कपड़ा तैयार करने का काम करते हैं ?

श्री करमरकर : हमारे पास उन लोगों की संख्या का एक स्थूल अनुमान है जो रेशम उद्योग में लगे हुए हैं, अर्थात् कच्चे रेशम के उत्पादकों का। परन्तु टसर उद्योग में लगे लोगों की ठीक ठीक संख्या क्या है, यह बताने के लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री झुनझुनवाला : क्या माननीय मंत्री को यह मालूम है कि भागलपुर में टसर की बड़ी भारी इंडस्ट्री है। जब से आर्टीफिशियल सिल्क आने लगा तब से यह इंडस्ट्री प्रायः खत्म हो गई है। क्या गवर्नमेंट इस के बारे में कुछ कर रही है, और कर रही है तो क्या कर रही है ?

श्री करमरकर : भागलपुर टसर का बड़ा भारी सेंटर है यह हम जानते हैं और इस के बारे में दूसरे मैटीरियल के काम्पीटीशन से यह सिल्क इंडस्ट्री सफर करती है इस का भी हम को पता है और जितना भी हो सकता है इस इंडस्ट्री को प्रोमोट करने के लिये वह हम सब कोशिश करते हैं और टसर को और दूसरी तरह की सिल्क इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देते हैं ।

श्री झुनझुनवाला : मेरा कहना यह है कि आर्टीफिशियल सिल्क यार्न के आने की वजह से जितने भी वीवर्स हैं वे सब सिल्क यार्न वीव करने लगे हैं और वे टसर को प्रायः एकदम भूल से गये हैं। इस के लिये गवर्नमेंट ने कुछ किया है या नहीं और किया है तो क्या किया है ?

श्री करमरकर : क्या माननीय सभासद का यह कहना है कि आर्टीफिशियल सिल्क का इम्पोर्ट कम करना है ?

अध्यक्ष महोदय: यही तो उन का सुझाव है।

श्री करमरकर : मैं यह सुझाव ले लेता हूं।

श्री जांगड़े : क्या केन्द्रीय कुटीर उद्योग बोर्ड ने इस बात पर ध्यान दिया है कि कहीं टसर उद्योग का ह्रास न हो ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

सरदार ए० एस० सहगल : टसर इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने के लिये क्या स्टेट सरकार को भारतीय सरकार अपने एक्सपर्ट्स देने की कृपा करेगी ?

श्री करमरकर : अभी कोई चार पांच एक्सपर्ट्स उन स्टेट्स में जहां सिल्क पैदा होता है जा कर घूमते रहते हैं और इस काम के लिये अगर और ज़्यादा सहायता चाहिये तो सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड उस पर विचार करेगा।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या सरकार को यह मालूम है कि छत्तीस गढ़ के इलाके में सब से ज़्यादा टसर पैदा होता है और उस को प्रोत्साहन देने के लिये क्या सरकार अपने आदमी भेजने की कोशिश करेगी ?

श्री करमरकर : अगर ज़रूरत होगी तो ज़रूर भेजेगी।

न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण

*१९६७. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्र तथा राज्यों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का सिद्धान्त कहां तक लागू किया गया है; तथा

(ख) पृथक्करण का काम कब पूरा होगा ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना वास्तव में राज्य सरकारों का काम है। पृथक्करण की परियोजनायें मध्य भारत, हैदराबाद तथा बम्बई के सम्पूर्ण राज्यों तथा मद्रास, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार के कुछ ज़िलों में लागू हैं।

(ख) माननीय सदस्य इस बात को मान लेंगे कि मैं कोई कालावधि निश्चित नहीं कर सकता हूं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि निवारक निरोध अधिनियम न्यायपालिका से कई वैध अधिकार छीन के इन्हें कार्यपालिका के हाथ सौंपता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह इस अधिनियम के निर्वाचन का प्रश्न है।

डा० काटजू : मैं निवेदन करता हूं कि मेरे माननीय मित्र को निवारक निरोध अधिनियम भी पढ़ लेना चाहिये तथा वह परियोजनायें भी पढ़ लेनी चाहियें जो कि विभिन्न राज्यों में तैयार की गई हैं।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सत्य नहीं कि अधिकारों के पृथक्त्व का सिद्धान्त यहां अभी भी एक सैद्धान्तिक कल्पना ही है ?

अध्यक्ष महोदय : आप राय पूछ रहे हैं। राय भिन्न भिन्न हो सकती है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि कुछ विशिष्ट राज्यों में असैनिक (सिविलियन) अधिकारयों को दंडाधीशों के रूप में नियुक्त किया जा रहा है ?

डा० काटजू : असैनिक (सिविलियन) अधिकारियों को दंडाधीशों के रूप में नियुक्त किया जा रहा ? इस प्रश्न के पूछने का मतलब क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : पहिले दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए और अधिक कहने का कोई फायदा नहीं ।

श्री वैलायुधन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भाग ग राज्यों में यह प्रथक्करण हुआ है ?

डा० काटजू : श्रीमान्, मेरे विचार में अभी नहीं हुआ है ।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा

***१९६९. श्री ए० के० गोपालन**: (क) क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि कुछ व्यक्तियों को जो कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा (पुनर्गठन तथा कर्मचारी संख्या वृद्धि) परियोजना की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते थे, प्रारम्भिक ढांचे में शामिल कर लिया गया है ?

(ख) किन बातों को ध्यान में रखते हुए इन व्यक्तियों को इस परियोजना में शामिल कर लिया गया है ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) तथा (ख) । ग्राह्य उम्मीदवारों के अलावा मंत्रालयों को कुछ ऐसे अधिकारियों के बारे में अपनी सिफ़ारिशें पेश करने का अधिकार दिया गया जो प्रवैधिक रूप से अग्राह्य थे किन्तु जिन्हें शामिल न किया जाना उन के विरुद्ध एक निष्ठुर कार्यवाही होती । ऐसे अधिकारियों की एक विशिष्ट श्रेणी उन विस्थापित सरकारी कर्मचारियों की है जो भारत में नहीं अपितु पाकिस्तान में पर्यवेक्षी पदों पर नियुक्त थे ।

श्री ए० के० गोपालन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पुनर्गठित केन्द्रीय सचिवालय सेवा के प्रारम्भिक ढांचे में कई अग्र कर्मचारियों को, जिन का सेवा-काल काफी लम्बा है तथा जो तरक्की के अधिकारी हैं, बिल्कुल निकाल दिया गया है ?

डा० काटजू : मैं इस अनिश्चित प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सकता हूं । परन्तु मुझे इस बात का ज्ञान है कि विभिन्न मंत्रालयों ने लगभग १००० मामलों की सिफ़ारिश की थी। यह मामले विशेष भर्ती बोर्ड के हाथ सौंपे गये तथा बोर्ड ने १००० में से ३०० के सम्बन्ध में यह सिफ़ारिश की है कि वह ग्राह्य हो सकते हैं ।

श्री नम्बियार : क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि पुनर्गठन परियोजना को जिस ढंग से क्रियान्वित किया गया है उस से कर्मचारियों में भारी असन्तोष फैला हुआ है ?

डा० काटजू : मुझे इस की पूर्वसूचना चाहिये ।

अनुसूचित जातियों के कर्मचारी (स्थायीकरण)

***१९०७. श्री जाटव-वीर** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार ने उन सारे अनुसूचित जातीय असिस्टैंटों तथा क्लर्कों आदि को स्थायी बनाना मान लिया है जो ३१ दिसम्बर १९४७ से पूर्व केन्द्रीय सरकार के अधीन काम कर रहे थे ?

(ख) यदि यह सत्य है तो क्या ऐसे सारे कर्मचारी अब तक स्थायी बना दिये गये हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो इस के कारण क्या हैं; तथा

(घ) क्या उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी भारत सरकार के विचाराधीन ऐसी ही कोई प्रस्थापना है जो ३१ दिसम्बर १९४७ के बाद नौकरी पर लगा दिये गए हैं ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी हां। अनुसूचित जातियों से संबंध रखने वाले जो अस्थायी कर्मचारी ३१ दिसम्बर १९४७ तक सचिवालय अथवा सम्बद्ध कार्यालयों में असिस्टैंटों अथवा क्लर्कों के रूप में सेवायुक्त किये गये हैं तथा जो शिक्षा की दृष्टि से उन पदों के लिये अर्हत हैं, वह उन श्रेणियों में प्रत्यक्ष भर्ती के लिये उपलब्ध कुल स्थानों के १२॥ प्रतिशत भाग तक के लिये स्थायी बनाये जाने के ग्राह्य हैं बशर्तेकि उनका सेवा काल कम से कम तीन वर्ष हो तथा संबंधित मंत्रालय उन के काम से संतुष्ट हो ।

(ख) तथा (ग)। कुछेक मामलों को छोड़ के जिनके बारे में कि संबंधित मंत्रालयों ने सिफ़ारिश नहीं की हो अथवा जहां कि स्थायीकरण से पहले की प्रारम्भिक कार्यवाही अभी पूर्ण नहीं हुई हो, ऐसे सारे व्यक्तियों को गृह कार्य मंत्रालय ने स्थायी नियुक्तियों के लिये नामनिर्दिष्ट किया है ।

(घ) इस मामले पर केन्द्रीय सचिवालय क्लार्क सेवा (पुनर्गठन) परियोजना, जो कि सूत्रबद्ध की जा रही है, के सिलसिले में तथा असिस्टैंट श्रेणी के संधारण से संबंधित व्यवस्थाओं के अंग के रूप में विचारे किया जा रहा है। प्रस्थापना यह है कि १ जुलाई १९५२ को जिन व्यक्तियों का असिस्टैंटों अथवा क्लर्कों के रूप में सेवा-काल एक वर्ष हुआ हो, उन्हें असिस्टैंटों की नियमत अस्थायी सेवा में अथवा क्लार्क सेवाओं में, जैसी कि स्थिति हो, नियुक्त किया जाये ।

आशा है कि इस प्रस्थापना पर शीघ्र ही कोई निश्चय कर लिया जायगा ।

श्री जाटव-वीर: क्या यह बात सच है कि इस संबंध में कोई आवेदन पत्र आप की सेवा में भेजा गया है और भेजा गया है तो उसमें क्या हो रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : किस की ओर से ? किस की ओर से आवेदन पत्र भेजा गया है ?

श्री जाटव-वीर: संसद् सदस्यों की ओर से माननीय गृह-कार्य मंत्री को भेजा गया है।

डा० काटजू: मेरे ऊपर पार्लियामेंट के बहुत से मैंम्बर कृपा करते हैं और खत भेजते हैं। उन पर मैं जो कुछ होता है साधारण विचार करता हूं और उस पर मुनासिब अमल भी करता हूं। लेकिन अलग अलग एक एक के लिये कहना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है।

श्री पी० एन० राजभोज : क्या मंत्री महोदय बतला सकते हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के असिस्टैंट्स और क्लर्क्स् की कितनी संख्या है ?

डा० काटजू: बड़ा मुश्किल है कहना, मैं नोटिस चाहता हूं ।

श्री जाटव-वीर: क्या यह बात सच है कि तीन हज़ार असिस्टैंट्स और क्लर्क्स् हैं और उनमें अछूत जाति के केवल तीस हैं ?

डा० काटजू: मैं न धर कह सकता हूं न उधर कह सकता हूं। मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा हैं। आप ने सही बात नहीं कही। मैं सही तो नहीं कह सकता लेकिन मेरे पास कुछ फिगर्स हैं। इस रियायत के अन्तर्गत इस समय तक ३३ व्यक्ति असिस्टैंटों के रूप में तथा २०३ व्यक्ति क्लर्कों के रूप में नामनिर्दिष्ट किये गये हैं।

श्री एम० आर० कृष्ण: क्या मैं अनुसूचित जाति सरकारी कर्मचारियों की तरक्की की शर्तें जान सकता हूं ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या तरक्की के संबंध में उनके मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

डा० काटजू: मैं ने गत छः सप्ताहों में इस प्रश्न का कई बार उत्तर दिया है। एक रियायत यह है कि आयु-सीमा के सम्बन्ध में

ढील दी गई है। दूसरी रियायत यह दी गई है कि उन के मामलों का प्रतिभाशालिता से निवारण करने के लिये अनुदेश दिये गये हैं।

श्री वैलायुधन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पांच वर्ष की अस्थायी सेवा के बाद भी अनुसूचित जाति कर्मचारियों को अर्ध-स्थायी नहीं बनाया जाता है ?

डा० काटजू : मैं माननीय सदस्य से कोई विशिष्ट प्रश्न पूछने का निवेदन करूंगा। उसी दशा में मैं कोई विशिष्ट उत्तर भी दे सकूंगा।

श्री वीरस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार सचिवालय में कुल कितने अनुसूचित-जाति कर्मचारी ऐसे हैं जो राज-पत्रित (गज़ेटिड) अधिकारियों के रूप में काम कर रहे हैं ?

डा० काटजू : मेरे माननीय मित्र मुझ पर कुछ तरस खायें। मेरे लिये अभी यह बता देना संभव नहीं कि केन्द्रीय सचिवालय में कुल कितने अनुसूचित-जाति अधिकारी काम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अगले प्रश्न को लेता हूं।

टैलीग्राफ़ इंजीनियरी तथा वायरलैस सेवायें

*१९७१. **श्री तुषार चटर्जी :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) टैलीग्राफ इंजीनियरी तथा वायरलैस सेवा श्रेणी २ के अधिकारियों को तार इंजीनियरी सेवा श्रेणी १ में तरक्की देने के लिये कौन सी सामान्य प्रणाली बर्ती जाती है ;

(ख) क्या तरक्की का कोई ऐसा मामला हुआ है जहां सामान्य प्रणाली का अनुसरण नहीं किया गया हो ; तथा

(ग) क्या इस संबंध में उक्त अधिकारियों का कोई प्रतिनिधि-मंडल संचरण मंत्रालय के अधिकारियों से भी मिला था, तथा यदि मिला था, तो इसके परिणाम क्या निकले हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) टैलीग्राफ इंजीनियरी तथा वायरलैस सेवा श्रेणी २ के अधिकारियों को संघ लोक सेवा आयोग की अनुमति से विभागीय तरक्की-समिति की सिफारिशों के आधार पर तथा योग्यता के आधार पर तार इंजीनियरी सेवा श्रेणी १ में तरक्की दी जाती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां। प्रतिनिधि मंडल को सूचित किया गया कि वर्तमान प्रणाली संतोष जनक ढंग से चल रही है। फिर भी इसे ऐसे किसी अन्य उपाय के बारे में विस्तृत विवरण देने के लिये कहा गया जो इसके विचार में अधिक उपयुक्त हो।

श्री तुषार चटर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि श्रेणी १ की रिक्तियों को पुर करने के लिये जो तरक्कियां दी गई हैं उन में से कुछेक नियमानुसार नहीं हुई थीं, तथा संबंधित अधिकारियों ने उनके विरुद्ध शिकायतें की थीं ?

श्री राज बहादुर : जब तक कि कुछ विशिष्ट मामलों की ओर संकेत न किया जाये, मेरे लिये इस संबंध में कुछ कहना बहुत ही कठिन होगा।

श्री तुषार चटर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या तरक्कियों की यह परियोजना केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के समनुकूल है ?

श्री राज बहादुर : कुछ निश्चित नियमों द्वारा अधिशासित एक सुस्थापित

रु तथा कार्य प्रणाली है तथा इसी के अनुसार यह तरक्कियां दी जाती हैं।

श्री नम्बियार: क्या यह तरक्कियां निम्नतम अपेक्षित अर्हताओं के संगत अग्रता के आधार पर निश्चित रूप से दी जाती हैं ?

श्री राज बहादुर: श्रेणी १ के पदों के लिये तरक्कियां योग्यता के आधार पर दी जाती हैं, तथा जब अर्हताएं समान हों तो अग्रता के आधार पर काम किया जाता है।

श्री रघवय्या: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस विभाग में भी अनुसूचित जातीय कर्मचारियों को तरक्की देने के विषय में निश्चित सिद्धांतों में कुछ ढील दी जाती है ?

श्री राज बहादुर: जहां तक प्रथम श्रेणी के पदों का संबंध है कोई भी ढील नहीं दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय: वह अनुसूचित जातीय कर्मचारियों के संबंध में पूछ रहे हैं।

श्री राज बहादुर: श्रीमान्, मुझे मालूम है। कोई भी ढील नहीं दी जाती है। इन मामलों का निर्णय योग्यता के आधार पर किया जाता है।

दिल्ली स्वास्थ्य सेवायें

*१९७२. **श्री राधा रमण :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी:

(क) क्या दिल्ली स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पदावधि प्रणाली, जिसके अन्तर्गत अधिकारियों को स्थानान्तरित किया जाता है, लागू है; तथा

(ख) यदि नहीं है, तो दिल्ली में एक भिन्न प्रणाली लागू करने का कारण क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) जी नहीं। पदावधि प्रणाली इस समय किसी भी भाग ग राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं पर लागू नहीं होती है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। फिर भी मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि इस समय कोई भी एक केन्द्रीय स्वास्थ्य संवर्ग नहीं जिस से कि अधिकारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबदील किया जा सके। एक केन्द्रीय स्वास्थ्य संवर्ग स्थापित करने के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

श्री राधा रमण: क्या मैं जान सकता हूं कि दिल्ली स्वास्थ्य सेवा में इस समय कुल कितने अधिकारी हैं, उन्हें कब अपने पदों पर नियुक्त किया गया है तथा वह किस प्रांत अथवा प्रांतों के रहने वाले हैं ?

राजकुमारी अमृत कौर: इस समय संपूर्ण सूचना देना मेरे लिये असंभव है। जहां तक आई० एम० एस० अधिकारियों का संबंध है, इस समय दो ऐसे अधिकारी दिल्ली राज्य में हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दिल्ली यातायात सेवा

*१९६८. **सेठ गोविन्द दास:** क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दल्ली यातायात प्राधिकार द्वारा १९५१-५२ में नई बसों के खरीदने में कितना धन व्यय किया गया ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): १९५१-५२ में दिल्ली सड़क यातायात प्राधिकार ने नई बसों के खरीदने पर ३४·१४ लाख रुपये खर्च किये।

टैलीफ़ोन और रेडियो सैट

*१९७३. **सेठ अचल सिंह:** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) भारत में प्रयोग में आने वाले टेलीफोनों और रेडियो सैटों की कुल संख्या ;

(ख) क्या यह सच है कि १९५१ तक टेलीफोन रखने वालों से ६३,००,००० रुपये की बक़ाया वसूल होनी थी ; तथा

(ग) यदि हां, तो इसे वसूल करने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १ अप्रैल १९५२ को १,८५,४३२ टेलीफोन थे। रेडियो सैटों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं।

(ख) टेलीफोन बिलों के सम्बन्ध में १ अप्रैल १९५० को कुल ६३ लाख रुपये बक़ाया था जब कि १ फ़रवरी १९५२ को यह राशि ४७ लाख रुपये थी।

सापेक्षतयः एक छोटी राशि का सम्बन्ध प्राइवेट टेलीफोन रखने वालों से है ; तथा देय धन राशि अदा न करने की दशा में इनके टेलीफोन कनेकशन या तो काट लिये जाते हैं या ट्रंक कालों के लिये निषिद्ध ठहराये जाते हैं। वैयक्तिक प्रयत्नों के असफल होने पर इन के विरुद्ध दीवानी मुक़दमे दायर किये जाते हैं। इस बक़ाया राशि के अधिकांश भाग का सम्बन्ध केन्द्र तथा राज्य सरकारों के टेलीफोन रखने वालों से है। सरकार इस पर पहिले से ही ध्यान दे रही है तथा राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को इस सम्बन्ध में लिखा जा चुका है।

फ़ैसला यह किया गया है कि सरकारी कनेकशनों को भी निषिद्ध ठहराया जाये यदि 'ट्रंक कालों' की फ़ीस आदि बिल के दिनांक से ६० दिन के अन्दर अन्दर न चुकाई जाये।

सरकारी टेलीफोन रखने वालों से टेलीफोन बिलों के नक़द भुगतान का प्रश्न भी विचाराधीन है, जब कि इस समय केवल लेखा समायोजन की प्रणाली विद्यमान है।

जिला कोरापुट (उड़ीसा) में जान्तुकीट परिमाप

*१९७४. **श्री संगण्णा** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि १९५० में ज़िला कोरापुर (उड़ीसा) के पहाड़ी जंगलों तथा नदियों में उस प्रकार के पौधों तथा मछलियों का पता लगाने के लिये नरतत्वीय परिमाप किया गया था जैसे कि हिमालय के जंगलों तथा नदियों में पाये जाते हैं ;

(ख) यदि किया गया था, तो इसके परिणाम क्या निकले ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) भारत की नरतत्वीय पमिाप संस्था के अधीन ही नरतत्वीय परिमाप का काम किया गया था।

(ख) इस प्रदेश में उस प्रकार की मछलियां नहीं मिलीं जैसे कि हिमालय की नदियों में मिलती हैं।

केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला

*१९७५. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला को कलकत्ता से हटा कर लखनऊ में स्थापित करने का फैसला किया है ; तथा

(ख) यदि किया है तो, इसके कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) जी हां।

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान दिनांक १७ जुलाई १९५२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४४८ के भाग (क) के सम्बन्ध में दिये गए उत्तर की ओर दिलाया जाता है।

सामान के लाने ले जाने में हुई क्षति से सम्बन्धित रिपोर्ट

*१९७६. **श्री एन० पी० सिन्हा :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के संचालक ने जिसे कि 'सामान के लाने ले जाने में क्षति' के मामलों के सम्बन्ध में जांच करने के लिये नियुक्त किया गया था, अपने काम की रिपोर्ट पेश की है ; तथा

(ख) उसके कार्य का क्षेत्राधिकार कहां तक था ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) सामान के लाने ले जाने में क्षति के कारणों की जांच के लिये रेलवे बोर्ड के एक संचालक को जो कि निवृति पूर्व अवकाश पर था, वापस ड्यूटी पर बुलाया गया ।

(ख) इस अधिकारी का मासिक वेतन ३००० रुपये था तथा इसके अलावा समुद्र पार वेतन १३ पौंड ६ शिलिंग ८ पेन्स प्रति मास था ।

निर्देश निबन्धन यह थे :

(१) रेलवे पर प्रतिकर के जो बढ़ चढ़ कर दावे किये जाते हैं उनके कारणों की जांच करना तथा उन्हें निम्नतम स्तर तक कम करने के उपायों का सुझाव देना तथा उन्हें लागू करना।

(२) सवारियों तथा/अथवा माल की बुक करने की प्रक्रिया में यान्त्रिक आदेशिकाओं अथवा अन्य तरीकों से सुधार करने की सिफारिश करना जिस से कि अधिक कुशल सेवा उपलब्ध हो सके तथा वह कुल खर्चा कम हो सके जो हाथों से काम करने से होता है ।

जनसंख्या सम्बन्धी समस्यायें

*१९७७. **श्री एस० एन० दास :** क्या गृह कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् ने जनसंख्या सम्बन्धी समस्यायों पर एक विश्व सम्मेलन बुलाने के बारे में भारत सरकार से राय पूछी है;

(ख) यदि पूछी है तो सरकार की इस सम्बन्ध में प्रतिक्रिया क्या है; तथा

(ग) इस सम्मेलन में किन महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने का सुझाव दिया गया है ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा०काटजू) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) इस मामले पर अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय के साथ चर्चा हो रही है ।

पैप्सू में खाद्याभाव

*१९७८. **श्री चिनारिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि पैप्सू का सम्पूर्ण महेन्द्रगढ़ जिला तथा संगरूर जिले के कुछ भाग जो जींद तथा नरवाना तहसीलों में स्थित हैं, गत अठारह महीनों से अकाल पीड़ित है ;

(ख) इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; तथा

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने अकाल सहायता के रूप में उस राज्य (पैप्सू) को कोई आर्थिक सहायता दी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) यह सही है कि इन क्षेत्रों में खाद्य का अभाव है ।

(ख) एक विवरण जिस में कि अपेक्षित सूचना दी गई है, सदन पटल पर रखा जाता

है। [देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३६]

(ग) अकाल सहायता का प्रबन्ध करना राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी है।

अनुसूचित जातियों की भरती के लिये विशेष बोर्ड

*१९७९. **श्री जाटव-वीर** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि स्वर्गीय सरदार वी० पटेल ने १९४६ में जबकि वह गृह मंत्री थे, तत्कालीन विधान सभा के सदस्य श्री एन० शिवराज के एक प्रश्न के उत्तर में अनुसूचित जातियों की भरती के लिये एक विशेष बोर्ड स्थापित करने का वचन दिया था ;

(ख) यदि यह सत्य है, तो इस सम्बन्ध में कार्यप्रगति कहां तक पहुंची है ; तथा

(ग) क्या सरकार कोई ऐसा बोर्ड नियुक्त करेगी तथा अनुसूचित जातियों के लिये समस्त श्रेणियों में रक्षित रिक्तियों को एकत्रित करके उन्हें इसी बोर्ड द्वारा पुर करेगी ; जिस से कि इस बात का निश्चय हो सके कि अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित उम्मीदवार उन रक्षित रिक्तियों को पुर करते हैं तथा कोई भी पद इस कथन के आधार पर उनके हाथ से नहीं चला जाता है कि अनुसूचित जातियों के योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) स्वर्गीय सरदार पटेल ने १९४६ में बजट वाद विवाद के दौरान में यह कहा था :—

"जहां उम्मीदवारों का चुनाव इस समय विभागों द्वारा होता है, यह सम्भव है कि शायद उतना ध्यान न दिया जाता हो जितना कि हम देना चाहते हैं तथा उनकी वैध शिकायते हों, इसलिये मैं ने अधीनस्थ सेवाओं में उम्मीदवारों के चुनाव के लिये एक बोर्ड नियुक्त करने का निश्चय किया है जो अनुसूचित जातियों तथा अल्पसंख्यकों के हितों की देखभाल करेगा जिस से कि उनकी शिकायतें दूर की जायें। यह इस बात का सुनिश्चयन करेगा कि उम्मीदवारों का चुनाव अधिकांश रूप से उसी आधार पर होता है, जिस आधार पर संघलोक सेवा आयोग अन्य सेवाओं के लिये करता है।"

(ख) तथा (ग)। दिसम्बर १९४७ में सरकार ने सिद्धान्ततः यह बात स्वीकार कर ली कि एक केन्द्रीय अधीनस्थ सेवा आयोग स्थापित किया जाये जिस से कि एक स्वतंत्र अभिकरण द्वारा कर्मचारियों की नियमित भरती हो सके तथा अनुसूचित जातियों तथा अल्पसंख्यक जातियों के लिये स्थान उचित रूप से रक्षित रखे जा सकें।

मार्च १९४८ में एक विशेष अधिकारी (आफीसर आन स्पेशल ड्यूटी) इसकी व्यवहारिक उपलक्षनाओं का अध्ययन करने के लिये तथा प्रशासकीय सविस्तार विवरण तैयार करने के लिये नियुक्त किया गया, उसकी जांच से यह पता चला कि इस आयोग का काम उससे कहीं अधिक जटिल तथा कठिन होगा जितने की कि हम ने कल्पना की थी ; तथा सरकार की मूल प्रस्थापना में भारी परिवर्तन करना होगा।

इस दौरान में सरकार को बहुत से विस्थापित सरकारी कर्मचारियों के लिये तथा अन्य उच्च अर्हता रखने वाले व्यक्तिओं के लिये नौकरियां ढूंढने की समस्या पेश आई ; तथा उसके अलावा उन लोगों के कष्ट निवारण का मामला भी सामने आया जिन्हें कि सम्भरण विभाग तथा अन्य संस्थाओं से जो कि युद्ध काल में बहुत ही बढ़ गई थी, निकाल दिया गया था, इसलिये सरकार यह घोषणा करने पर मजबूर हुई कि अग्रेतर आदेशों तक इन श्रेणियों से सम्बन्ध रखने वाले

उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी । जब तक कि ऐसे लोगों के पुनः स्थापन का कार्य पूरा न होगा तब तक सामान्य भरती का काम फिर से हाथ में नहीं लिया जा सकता है। यह स्थिति स्वर्गीय सरदार पटेल ने २९ मार्च १९५० को भारत संसद् में तारांकित प्रश्न संख्या ११९९ के उत्तर में स्पष्ट की थी ।

इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहता हूं कि प्राथमिकता वाली श्रेणियों में भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थान सुरक्षित रखे जाते है ।

दीसा–कांडला रेलवे लाइन

*१९८०. **श्री जसानी:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) दीसा-कांडला रेलवे लाइन का निर्माण कार्य कब पूरा होने की आशा है ;

(ख) इस रेलवे लाइन के निर्माण पर अब तक कुल कितना रुपये खर्च किया जा चुका है तथा यह काम पुरा होने तक इस पर और कितना रुपया खर्च होगा ; तथा

(ग) माल तथा मुसाफिर गाड़ियां इस पर कब से चलना शुरू करेंगी ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) दीसा–कांडला रेलवे के निर्माण से सम्बन्धित सभी कार्य वर्ष १९५३ के अन्त तक पूरे होने की आशा है ।

(ख) मई १९५२ के अन्त तक इस पर ३.३५ करोड़ रुपया खर्च किये जा चुके हैं तथा यह काम पूरा होने तक इस पर २.३२ करोड़ रुपये और खर्च किये जाने की आशा है ।

(ख) आशा है कि इस लाइन पर अक्तूबर १९५२ से माल तथा मुसाफिर गाड़ियां चलना शुरू करेंगी ।

कोयला सम्भरण के लिये अधिक भुगतान

*१९८१. **श्री एन० एस० नायर:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९४९ में कोयला सम्भरण के लिये ५६,२२७ रूपये का जो अति भुगतान किया गया था उस में से कितना वसूल कर लिया गया है ;

(ख) भविष्य में ऐसी घटनाओं का निवारण करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : माननीय सदस्य प्रत्यक्षत : रेलवे लेखा–परीक्षण रिपोर्ट १९५० की कडिका २० में उल्लिखित हानि की ओर निर्देश कर रहे हैं । कोई वसूली सम्भव नहीं हो सकी है क्योंकि विधि मंत्रालय के कथनानुसार किसी मूल्य अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है, कारण यह कि इस का प्रभाव पुराने वित्तीय लेन-देन पर पड़ता है ।

(ख) जैसे कि लोक–लेखा–समिति ने अप्रैल १९५२ में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में सिपारिश की है, उत्पादन मंत्रालय तथा कोयला कमिश्नर की सलाह से इस प्रयोजन के लिये एक प्रक्रिया तैयार की जा रही है कि दोनों मंत्रालय के बीच अधिक समन्वय हो जिससे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न होने पायें ।

'टेलको' से क्रय'

*१९८२. **श्री एन० एस० नायर :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) 'क' तथा 'ख' कालावधियों में अन्तर्कालीन भुगतानों के रूप में 'टेलकों' को उन से खरीदे गये माल के लिये कितना रुपया दे दिया गया ;

(ख) क्या 'क' तथा 'ख' कालावधियों के लिये कीमतें अन्तिमरूप से निश्चित की गई हैं ; यदि की गई हैं तो इस के

परिणाम स्वरूप कितना और अधिक रुपया दे दिया गया है ;

(ग) क्या कालावधि 'ग' के लिये कीमतें निश्चित की गई हैं ; यदि की गई हैं तो किस दर के हिसाब से ; तथा

(घ) जनवरी १९४९ के बाद 'टेलको' से खरीदे गये सामान के लिये कुल कितनी धन राशि का भुगतान किया गया है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) १६१,७०,००० रुपये ।

(ख) 'क' तथा 'ख' कालावधियों के लिये मूल्य अन्तिम रूप से अभी निश्चित नहीं किये गए हैं ।

(ग) जी नहीं, कालावधि 'ग' अभी आरम्भ नहीं हुई है ।

(घ) १२६,०६,००० रुपये

रेल कर्मचारी (भत्ते)

***१९८३. श्री विट्टल राव** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार ने रेल कर्मचारियों को द्वीप, घाट तथा पर्वत भत्ते देने के सम्बन्ध में संयुक्त सलाहकार समिति की सिपारिश स्वीकार की है ; तथा

(ख) यदि ऊपर भाग (क) का उत्तर 'हां' में हो तो सैंट्रल रेलवे पर स्थित लोनावाला, खांडला, इगतपुरी तथा मठेरन के स्थानों पर काम करने वाले रेल कर्मचारियों को क्यों अब तक कोई ऐसे भत्ते नहीं दिये गये ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी हां । सरकार ने संयुक्त सलाहकार समिति की इस सिपारिश को स्वीकार किया है कि केन्द्रीय वेतन आयोग की सिपारिशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को द्वीप, घाट तथा पर्वत भत्ते देते समय राज्य सरकारों की कार्य प्रणाली को ध्यान में रखा जाना चाहिये ।

(ख) बम्बई सरकार खांडला स्थित अपने कर्मचारी वर्ग को कोई पर्वत भत्ता नहीं दे देती है, परन्तु वह लोनावाला, इगतपुरी तथा मठेरन स्थित अपने कर्मचारियों को कुछ विशिष्ट भत्ते दे देती है, जहां तक लोनावाला, इगतपुरी तथा मठेरन स्थित रेल कर्मचारी वर्ग को भत्ता देने का सम्बन्ध है सरकार इस मामले पर विचार कर रही है ।

रेल कर्मचारियों को प्रतिकरात्मक भत्ता

***१९८४. श्री विट्टल राव** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि रेल मंत्री द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि प्रतिकरात्मक भत्ते के संगणन के प्रयोजन से पूना को 'ख' श्रेणी के क्षेत्र में शामिल करने के प्रश्न पर जनगणना के बाद विचार किया जायगा ;

(ख) यदि ऊपर भाग (क) का उत्तर 'हां' हो तो सरकार अब किस निर्णय पर पहुंची है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री ऐल० बी० शास्त्री) : (क) अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ तथा भारतीय राष्ट्रीय रेल कर्मचारी संघ को आश्वासन दिया गया था कि प्रतिकरात्मक भत्ता देने के प्रयोजन से नगरों के पुनर्वर्गीकरण का काम उस समय हाथ में लिया जायगा जब कि १९५१ की जनगणना के आकड़े उपलब्ध होंगे ।

(ख) नगरों के पुनर्वर्गीकरण का प्रश्न अभी विचाराधीन है अभी कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

आपराधिक आदिम जाति अधिनियम

*१९८५. **श्री एन० पी० सिन्हा** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सभी राज्यों ने आपराधिक आदिम जाति अधिनियम, जिसका ३१ अगस्त १९५२ से निरसन हुआ है, के स्थान पर उचित विधान पारित किये हैं,

(ख) यदि किये हैं तो किन किन राज्यों ने किये है ; तथा

(ग) क्या ऐसे विधान का शीर्षक सभी राज्यों में एक जैसा है ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) तथा (ख) । बम्बई, मद्रास तथा राजस्थान के राज्यों ने आपराधिक आदिम जाति अधिनियम के प्रतिस्थापन के लिये विधान पारित किये हैं। मद्रास का अभ्यस्त अपराधी निर्बन्धन अधिनियम, १९४८ दिल्ली तथा अजमेर के राज्यों पर लागू किया गया है। पश्चिमी बंगाल, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश हैदाराबाद, मैसूर, सौराष्ट्र, मध्य भारत, पैप्सू तथा भोपाल के राज्य इसी प्रकार का विधान अधिनियमित करने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं ।

(ग) जी नहीं ।

रेलवे दावे

*१९८६. **श्री के० के० बसु** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पुनर्वर्गीकरण के समय से दक्षिण मध्य तथा पश्चिमी रेलों में कितने दावे प्रति वर्ष प्राप्त हुये हैं ;

(ख) क्या पुनवर्गीकरण के समय से इन श्रेत्रों में दावों की संख्या में कोई वृद्धि हुई है ; तथा

(ग) ऐसे दावों के निपटारे में कितना औसत समय लगता है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) दक्षिणी रेलवे को १ अप्रैल १९५१ से जोकि उसके पुनर्वर्गीकरण का दिनांक है ३१ मार्च १९५२ तक ४८,१७१ दावे प्राप्त हुए हैं । मध्य तथा पश्चिमी रेलों के सम्बन्ध में १ नवम्बर १९५१ से, जो कि उनके पुनर्वर्गीकरण का दिनांक है, ३१ मई १९५२ तक क्रमश: २७,४४२ तथा २१,२७२ दावे प्राप्त हुई हैं ।

(ख) दक्षिणी तथा मध्य रेलों के सम्बन्ध में प्राप्त दावों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है, किन्तु पश्चिमी रेल के सम्बन्ध में इस संख्या में ज़रा कुछ कमी हुए है ।

(ख) १९५१–५२ में दक्षिणी मध्य तथा पश्चिमी रेलों में दावों के निपटारे में औसत समय क्रमश: ७९, ८७ तथा ७८ दिन प्रति दावा लगा है ।

मनीपुर के राज्य अधिकारी (वेतन)

*१९८७. **श्री० एल० जे० सिंह** : क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मनीपुर के राज्य अधिकारी जो कि उस राज्य के भारतीय संघ में प्रवेश से पुर्व वहां सरकारी नौकर थे, अब भी पुराने दर के हिसाब से अपना वेतन पा रहे हैं ;

(ख) क्या यह सत्य है कि इन अधिकारियों को अब आसाम सरकार के वेतन दरों के हिसाब से वेतन दिया जायगा ; तथा

(ग) यदि यह सत्य है तो यह वेतन दर कब से लागू होंगे ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) जी हां ।

(ख) आसाम सरकार के अधीन तत्स्थानीय दर्जे तथा जिम्मेदारी के पदों के लिये जो वेतन दर निश्चित हैं उनके निर्देश में वहां भी वेतन दरों में संशोधन करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ग) संशोधित वेतन दर भूतलक्षी प्रभाव से १ अप्रैल १९५० से उन अधिकारियों के लिये ग्राह्य होंगे जिन्हें उचित छानबीन के पश्चात पुनर्गठन व्यवस्था में नौकरी में रखा जायगा।

कृषि सम्बन्धी उधार सविधायें

*१९८८. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत सरकार ने कृषि सम्बन्धी उधार सुविधाओं के बारे में क्या पग उठाये हैं ;

(ख) कितनी समितियां नियुक्त की गईं प्रत्येक समिति की कितनी बैठकें हुईं तथा उनके विचार विमर्श का और प्रत्येक समिति द्वारा 'दीर्घकालीन कृषि-उधार' के सम्बन्ध में की गई सिपारिशों को, यदि कोई हो, क्रियान्वित करने का परिणाम क्या निकला है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई विशष सुविधाएं उपलब्ध हैं अथवा क्या इन्हें उपलब्ध करने का विचार है ; तथा

(घ) यदि है, तो वह क्या सुविधाएं हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : इस विषय का सम्बन्ध मुख्यतय राज्य सरकारों से है। सामान्यतयः दो तरह की कार्यवाही की गई है। एक तो विधान द्वारा महाजनी को विनियमित किया गया है तथा दूसरे उधार के लिये धन की उपलब्धि में वृद्धि की गई। अनुदान दे कर, अर्थ सहायता दे कर, कम ब्याज पर ऋण दे कर तथा सैंट्रल लैंड मार्गेज बैंकों द्वारा जारी किये गई ऋण-पत्रों की गारंटी दे कर सहकारी समितियों के विकास को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। भारत का रिजर्व बैंक भी इस मले में सहकारी बैंक को ब्याज के रियायती दरों पर उधार दे कर तथा लैंड मार्गेज बैंकों के ऐसे ऋण-पत्रों को जो कि राज्य सरकारों द्वारा प्रत्याभूतित होते हैं, खरीद कर सहायता करता है। राज्य सरकारें भूमि-सुधार ऋण अधिनियम, १८८३ तथा कृषक ऋण अधिनियम, १८८४ के अन्तर्गत भी कर्जे दे देती है। कृषि सम्बन्धी उधार की उपलब्धि में वृद्धि करने के लिये केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को 'जी० एम० एफ० कार्यक्रमों के अन्तर्गत ऋणों, अर्थ सहायताओं के तथा अनुदानों के रूप में वितरित करने के लिये धन देती है।

(ख) १९४४ से इस समय तक दीर्घ-कालीन उधार देने की समस्या पर चार केन्द्रीय सरकार निकायों ने विचार किया है। इस सम्बन्ध में सूचना तत्काल ही उपलब्ध नहीं कि उनकी कितनी बैठकें हुई हैं। दीर्घ-कालीन उधार से सम्बन्धित मुख्य सिपारिशों नीचे दी गई हैं ;

(१) कृषि सम्बन्धी वित्त उप-समिति (१९४८) ने सुझाव दिया है कि जहां सहकारी लड मार्गेज बैंक सुविकसित हों, वह दीर्घ-कालीन उधार दे सकते हैं: अन्य स्थानों पर कृषि उधार निगमों की ओर से दीर्घ-कालीन उधार प्रदाय किया जाना चाहिये।

(२) अकाल जांच आयोग (१९४५) ने सुझाव दिया है कि दीर्घकालीन उधार देने के लिये लैंड मार्गेज बैंकों को विकसित किया जाना चाहिये। यह लोगों को न केवल पुराने ऋण से मुक्त करने के लिये देना चाहिये अपितु भूमि सुधार तथा उत्कृष्ट खेती के लिये भी दिया जाना चाहिये।

(३) सहकारी योजना समिति (१९४५) ने इस बात पर जोर दिया है कि इस समस्या को हल करने के लिये सहकारिता' को विस्तार दिया जाना चाहिये।

(४) ग्राम्य महाजनी जांच समिति १९५० कृषि सम्बन्धी उधार निगमों की स्थापना के पक्ष में नहीं थी तथा इसकी राय में लैंड मार्गेज (भूमि बन्धक) अभिकरण दीर्घ-कालीन उधार के लिये अत्यन्त ही उपयुक्त थे ।

उपरोक्त सिपारिशों के अलावा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त की गई समितियों ने भी साधारणतः यह सिपारिश की है कि लैंड मार्गेज बैंकों को तरक्की दी जानी चाहिये । राज्य सरकारों को इन सिपारिशों का ज्ञान है तथा वह इस विषय में अपनी नीति निर्धारित करते समय इन बातों को ध्यान में रखते हैं ।

(ग) तथा (घ) जी हां रिज़र्व बैंक ने केन्द्रीय लैंड मार्गेज बैंक द्वारा जारी किये गए ऐसे ऋण पत्रों का २० प्रतिशत भाग खरीदना शुरू किया है जो कि राज्य सरकारों द्वारा प्रत्याभूतित हैं । इस ने रिज़र्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम की धारा १७ (४) (क) के अन्तर्गत ऋण की सुविधाऐं देने के उद्देश्य से ऐसे ऋण-पत्रों को ग्राह्य प्रति भूतियों (सिक्यूरिटियों) के रूप में भी अभिज्ञात किया है ।

विनियोजन योजना

*१९८९. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त तथा दिसम्बर १९५१ के बीच जनेवा में हुये असाधारण प्रशासकीय रेडियो सम्मेलनों में भारतीय प्रतिनिधि-मंडल के सुझाव के अनुसार क्या एक ऐसी विनियोजन योजना तैयार की गई है जिस में कि प्रत्येक देश को दी गई वास्तविक 'वेव-लेंगथ' दिखाई गई हो, तथा क्या इसे अनुमोदन तथा स्वीकृति के लिये विश्व के देशों में परिचालित किया गया है ;

(ख) यदि इसे तैयार किया गया है तो क्या सरकार इस विनियोजन योजना की जिसके संबंध में एक प्रस्थापना उक्त सम्मेलन के अवसर पर मंजूर की गई थी एक प्रति सदन पटल पर रखेगी ; तथा

(ग) इस संबंध में कार्य प्रगति कहां पहुचीं है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने जनेवा में हुये असाधारण प्रशासकीय रेडियो सम्मेलन में पेश करने के लिये कोई विनियोजन योजना तैयार नहीं की थी ; केवल वारम्वारताओं के न्यायोचित वितरण के लिये कुछ सामान्य सिद्धांत देने वाली एक प्रस्थापना पेश की गई थी; लेकिन अन्य देशों ने इसे पसन्द नहीं किया ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अनुसूचित आदिम जातियां

*१९९०. **श्री आर० बी० परमार :** क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने अनुसूचित आदिम जातियों तथा अनुसूचित क्षेत्रों के लिये प्रत्येक भाग (ग) राज्य को कितना सहायता अनुदान दिया है ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : भाग (ग) में के राज्यों के सम्बन्ध में सहायता अनुदान देने का प्रश्न ही नहीं उठता है । केन्द्रीय बजट के चालू वर्ष के लिये १५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है तथा इसे निम्न-लिखित ढ़ंग से वितरित करने की प्रस्थापना है :—

मनीपुर	५ लाख
विंध्य प्रदेश	३ लाख
त्रिपुरा	२½ लाख
अजमेर	२ लाख
भोपाल	२ लाख

तथा अन्य राज्यों के लिये छोटी छोटी राशियां। कुल अनुदान को २४ लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है तथा उस दशा में विभिन्न राज्यों को आवंटित राशियों में उचित वृद्धि की जायगी।

डाक कर्मचारियों के लिये क्वाटर

*१९९१. **श्री संगण्णा** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के पोस्ट मास्टरों तथा सिगनेलरों को छोड़ के अन्य कर्मचारियों को भी प्रत्येक राज्य में सरकारी क्वार्टर दिये गये हैं।

(ख) यदि दिये गये हैं तो क्या कर्मचारियों से स्टैंडर्ड किराया वसूल किया जाता है अथवा नाम मात्र किराया ; तथा

(ग) इन मकानों से प्रति वर्ष कुल कितना किराया वसूल किया जाता है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां, लेकिन हाल ही से सरकार ने उन कर्मचारियों के लिये भी क्वार्टर बनाने का काम शुरु कर दिया है जिन्हें कि नौकरी की शर्तों के अनुसार सरकारी क्वार्टर दिलाये जाने का हक नहीं है। इस समय तक तैयार किये गये क्वार्टरों की संख्या इसी लिये अधिक नहीं है।

(ख) कर्मचारियों से उनकी उपलब्धियों का १० प्रतिशत अथवा स्टैंडर्ड किराया, जो भी कम हो, किराया के रूप में वसूल किया जाता है।

(ग) लगभग ३,३५,१३३ रुपये।

भारतीय स्वामित्व के पोत (कमाई)

*१९९२. **श्री बंसल** : क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९४८—१९५१ के वर्षों में भारतीय स्वामित्व के पोतों ने अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रों में परिवहन करने से कुल कितना रुपया कमाया है ; तथा

(ख) भारतीय स्वामित्व के पोतों द्वारा विदेशी विनिमय की प्राप्तियाँ बढ़ाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : एक विवरण जिस में भारतीय नौवहन समवायों की प्राप्तियां दी गई हैं सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३७**]

भारतीय स्वामित्व के पोतों तथा भारतीय अधिकार-प्राप्त पोतों द्वारा कितना धन कमाया गया है, इस सम्बन्ध में सूचना पृथक् रूप से उपलब्ध नहीं।

(ख) विदेशी विनिमय की प्राप्तियां केवल तभी बढ़ सकती हैं जब कि भारतीय स्वामित्व के पोतों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो सके तथा जिस से कि भारतीय नौवहन समवाय समुद्रपार के व्यापार में अधिकाधिक भाग ले सकें। नौवहन प्राइवेट क्षेत्र से सम्बन्ध रखता है तथा समुद्रपार के व्यापार के विकास के लिये अधिक पोतों का अर्जन करना भी मुख्यतयः भारतीय नौवहन समवायों का ही काम है। फिर भी सरकार इस कार्य में सहायता देने के लिये सक्रिय रूप से कार्यवाही कर रही है। इस सम्बन्ध में उठाये गये पग यह हैं :—(१) भारतीय नौवहन समवायों को विदेशी नौवहन संस्थाओं के साथ इस उद्देश्य के लिये बातचीत कराने में सहायता देना कि उन्हें ऐसे 'नौवहन सम्मेलनों' की जो कि समुद्रपार के व्यापार पर अपना नियंत्रण रखे हुये हैं, सदस्यता प्राप्त हो सके, तथा उस व्यापार में उनका हिस्सा बढ़ाया जा सके। (२) राज्य एवं प्राइवेट स्वामित्व के आधार पर एक नौवहन निगम की स्थापना जिस में अधिकांश रूप से सरकार द्वारा पूंजी लगाई गई है तथा जो चुने हुए समुद्री मार्गों पर परि-

वहन के लिय पोतों का अर्जन करेगी । (३) दूसरे देशों के साथ हुई व्यापार संधियों में दिये गये आवश्यक उपबन्धों द्वारा अथवा अन्य उपायों द्वारा इस बात का सुनिश्चयन करना कि भारतीय नौवहन समवायों को समुद्रपार के व्यापार में ढोने के लिये माल का उचित भाग मिलता है । (४) भारतीय नौवहन समवायों को ऋण उपलब्ध करना जिस से कि वह उचित दामों पर विदेशों से पोत खरीद सकें, तथा (५) उपलब्धियों के सम्बन्ध में सूचना दे कर तथा विदेशी विनिमय की उदार उपलब्धि की व्यवस्था करके इन समवायों को पोतों के अर्जन में सहायता देना ।

अपीलीय प्राधिकार

*१९९३. **श्री मुनिस्वामी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि दंड देने के मामले में अपील प्राधिकार को इस बात का अधिकार दिया गया है कि दंड देने से पूर्व वह प्रारम्भिक दण्ड देने वाले प्राधिकारियों के नाम अनुदेश जारी करे ।

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): यह प्रश्न स्पष्ट नहीं है । जहां तक मैं इसे समझ सका हूं, इसका उत्तर 'नहीं' है ।

फोर्डफाऊन्डेशन परियोजना

*१९९४. **श्री सी० एन० पी० सिन्हा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में फोर्ड फाऊंडेशन परियोजना की गतिविधियों को प्रकाशना देने के लिये क्या पग उठाने की प्रस्थापना कर रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : राज्य सरकारें इसे उचित प्रकाशना दे देंगी । कृषि सम्बन्धी प्रकाशना का देश-व्यापी आधार पर सुधार करने के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कुछ उपायों पर विचार कर रही है ।

चांदा-कोरवा रेलवे लाईन

*१९९५. **सरदार ए० एस० सहगल :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि बिलासपुर ज़िले (मध्य प्रदेश) में स्थित चांदा से कोरबा तक लाइन बिछाने के लिये परिमाप कार्य प्रारम्भ हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या हुआ ;

(ग) क्या परिमाप कार्य पूरा हो चुका है ;

(घ) यदि हो चुका है, तो रेल लाइन बिछाने का काम सरकार कब आरम्भ करना चाहती है और इसके पूरा होने में कितना समय लगेगा ;

(ङ) परिमाप-कार्य पर अब तक किया गया व्यय ; तथा

(च) रेलवे लाइन बिछाने में कितना व्यय होगा ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) चम्पा तथा कोरवा के बीच रेलवे लाइन बिछाने के लिये परिमाप का काम किया गया ।

(ख) तथा (ग). परिमाप का काम पूरा हुआ है ;

(घ) केन्द्रीय यातायात बोर्ड द्वारा फैसला किया गया है कि चम्पा-कोरबा परियोजना पर काम १९५४-५५ तथा १९५५-५६ के वर्षों में शुरु होना चाहिये बशर्ते कि इस लाइन का निर्माण कार्य कोरबा स्थित कोयला क्षेत्रों के विकास कार्य के साथ साथ चल सके

(ङ) लगभग ६१,१३३ रुपये ।

(च) इस लाइन का अनुमानित निर्माण व्यय ८८.२ लाख रुपये है ।

"अधिक अन्न उपजाओ" जांच समिति

*१९९६. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन के कार्यसंचालन की जांच के लिये श्री वी० टी० कृष्णमाचारी की अध्यक्षता में जो जांच समिति नियुक्त की गई थी उसकी उपपत्तियां तथा सिफारिशें क्या हैं ; तथा

(ख) उस रिपोर्ट पर क्या कुछ कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) इस जांच समिति की रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रख दी जाती है। इसकी उपपत्तियों तथा सिफ़ारिशों का एक संक्षेप विवरण ६८—७७ के पृष्ठों पर दिया गया है। [**प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या ४ एल० ३ (८७)**]

(ख) रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है।

अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार

*१९९७. **श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १९५०-५१ तथा १९५१-५२ के वर्षों में अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिये विज्ञापित कुछ पद, योग्य उम्मीदवारों के न मिलने के कारण खाली रखे गये ; तथा

(ख) क्या अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित कुछ पद योग्य अनुसूचित-जाति उम्मीदवार न मिलने के कारण ग़ैर-अनुसूचित-जाति उम्मीदवारों को दे दिये गये ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) तथा (ख). जी हां।

पशु मरण

*१९९८. **श्री गणपति राम :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५०-५१ तथा १९५१-५२ के वर्षों में भारत में पशु मरण की संख्या तथा प्रतिशतता क्या रही ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : १९५० से लेकर १९५२ तक के वर्षों में भारत में पशु मरण की कुल संख्या उपलब्ध नहीं। कुछ राज्यों में बड़ी बड़ी छूत की बीमारियों के कारण पशु मरण के आंकड़े उपलब्ध हैं। एक विवरण जिस में यह आंकड़े दिये गये हैं, सदन पटल पर रखा जाता है।

इन बताये गये मामलों के सम्बन्ध में मृत्यु संख्या कुल पशु संख्या के एक प्रतिशत भाग से भी कम है।

विवरण

वर्ष	रोग का नाम							
	रिंडरेपेस्ट	हैमोरेजिक सेप्टेसिमिया	ब्लैक क्वार्टर	एन्थ्राक्स	सुर्रा	पादएव मुह के रोग	ल्पेरोपनेन-मोनिया	कुल
१९५०-५१	२७,३६३	३३,११६	१४,९७६	४,८९६	६३६	१,३९५	८१६	८३,१९८
१९५१-५२	३१,३३८	३५,१०९	२०,८१७	४,६३१	६९९	२,१०८	३७९	९५,०८१

नोट :—ऊपरलिखित आंकड़े विन्ध्य प्रदेश, कच्छ, बिलासपुर, त्रिपुरा तथा मनीपुर को छोड़ कर शेष सभी राज्यों से सम्बन्ध रखते हैं।

गोपीगंज—जौनपुर रेलवे लाइन

*१९९९. **श्री गणपति राम:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि गोपीगंज से जौनपुर तक एक नई रेलवे लाइन बनाने की बात पर विचार हो रहा है ;

(ख) यदि हो रहा है तो यह लाइन किन किन महत्वपूर्ण कस्बों तथा ग्रामों को आपस में मिला देगी तथा इस सम्बन्ध में भू-परिमाप कार्य कब शुरु किये जाने की सम्भावना है ; तथा

(ग) क्या यह काम इस वर्ष में अथवा अगले वित्तीय वर्ष में आरम्भ होगा ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) उत्तर 'नहीं' है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

जगाधरी में रेलवे वर्कशाप

*२०००. **श्री काजरोलिया:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार जगाधरी में रेलों के लिये एक वर्कशाप बना रही है।

(ख) क्या उक्त वर्कशाप नये डिब्बे बनाने के लिये होगा अथवा मरम्मत के लिये ; तथा

(ग) क्या यह केवल बड़ी लाइन (ब्राड गेज) के लिये है अथवा मीटर गेज तथा छोटी लाईन (नेरो गेज) के लिये भी है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) जी हां।

(ख) यात्री डिब्बों तथा माल डिब्बों की मरम्मत के लिये।

(ग) केवल बड़ी लाइन (ब्राड गेज) के लिये।

दिल्ली-सहारनपुर रेलवे लाइन

*२००१. **श्री काजरोलिया:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार दिल्ली तथा सहारनपुर के बीच एक दोहरी रेलवे लाइन बिछाने का विचार रखती है ; तथा

(ख) यदि ऊपर भाग (क) का उत्तर 'हां' हो तो सरकार इस सम्बन्ध में किस निश्चय पर पहुंची है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) तथा (ख). दिल्ली तथा गाजियाबाद के बीच एक दोहरी लाइन पहले से ही विद्यमान है। गाजियाबाद तथा सहारनपुर के बीच एक ही लाइन है परन्तु चूंकि इस में अतिरिक्त सामर्थ्य है इसलिये इसे दोहरा बनाने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

दक्षिणी भारत में हवाई अड्डे

*२००२. **श्री अच्युतन:** क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वायुयान सेवा के विस्तार के लिये १९५२-५३ में दक्षिणी भारत में कितने हवाई अड्डे बनाये जायेंगे ;

(ख) क्या कोज्हीकोड (कालीकट) को इस परियोजना में शामिल कर लिया गया है ; तथा

(ग) यदि नहीं, तो क्या अगले तीन वर्षों में कोज्हीकोड में कोई हवाई अड्डा बनाये जाने की आशा है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) एक, अर्थात वह हवाई अड्डा जो मंगलौर में बनाया जा रहा है, तथा जिसके इस वर्ष के अन्त तक बिलकुल तैयार होने की आशा है।

(ख) जी नहीं ;

(ग) इस सम्बन्ध में इस समय कोई सूचना नहीं दी जा सकती है ।

मद्रास में खाद्य स्थिति

*२००३. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को मद्रास राज्य में विनियंत्रण के पश्चात खाद्य सम्बन्धी नवीनतम स्थिति के बारे में सूचना मिलती रहती है ;

(ख) क्या वहां हाल ही से खाद्य की कीमतें कुछ बढ़ने लगी हैं ; यदि बढ़ने लगी हैं, तो किस दर से बढ़ रही हैं ;

(ग) क्या राज्य के आधिक्य वाले जिलों में कई स्थानों पर खाद्य की कीमतें घट रही हैं ; तथा

(घ) मद्रास राज्य के हाल ही के अनुभवों को दृष्टि में रखते हुये क्या भारत सरकार अपनी विनियंत्रण नीति में संशोधन करेगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) कीमतों में घटती बढ़ती हो रही है, कई स्थानों पर यह बढ़ रही है तथा कई स्थानों पर यह घट रही है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । सरकार अपनी नियंत्रण नीति पर स्थिर है । यद्यपि कुछ राज्यों के सम्बन्ध में कुछ विशिष्ट ढ़ीलें दी गई हैं ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्

*२००४. **श्री झूलन सिन्हा :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी :

(क) भारत में लोक स्वास्थ्य को बढ़ाने के उपायों का समन्वय तथा विकास करने के लिये क्या एक केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद स्थापित करने की कोई प्रस्थापना है ; तथा

(ख) यदि है, तो इस प्रस्थापना को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में कार्य-प्रगति कहां तक पहुंची है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) जी हां ।

(ख) इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार हुआ है तथा शीघ्र ही आदेश जारी किये जाने की आशा है ।

बरवाडीह-चिरमिरी रेल परियोजना

*२००५. **सरदार ए० एस० सहगल :** क्या रेल मंत्री दिनांक २८ मई १९५२ के मेरे तारांकित प्रश्न संख्या २६१ के भाग (ग) के उत्तर की ओर निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरवाडीह-चिरमिरी परियोजना के बरवाडीह-सरमाडीह भाग में भूमि ठीक करने की क्रिया पर कितना रुपया खर्च किया गया है ; तथा

(ख) यह काम १९५० में अस्थायी तौर पर क्यों बन्द कर दिया गया था ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) लगभग ७०.२७ लाख रूपये ।

(ख) बरवाडीह–सरमाडीह क्षेत्र पर १९५० में मुख्यतय: काम इसलिये बंद कर दिया गया था कि साधनों के सम्बन्ध में सरकार की स्थिति दुर्गम थी । फिर भी इस परियोजना पर इस वर्ष अक्तूबर में पुनर्विचार होगा

रांगिया-रांगरपारा रेलवे लाइन (डिब्बे)

*२००६. **श्री के० पी० तिवारी :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि पूर्वोत्तर रेलवे की रांगिया रांगरपारा शाखा पर

रेलगाड़ी के माल डिब्बों तथा यात्री डिब्बों की अपर्याप्तता है ; तथा

(ख) क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है, तथा यदि रखती है तो क्या ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) तथा (ख) । सरकार के ध्यान में यह बात नहीं आई है कि पूर्वोत्तर रेलवे की रांगिया रांगरपारा शाखा पर डिब्बों की अपर्याप्तता है । पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन से इस सम्बन्ध में पूरी सूचना देने के लिये कहा गया है तथा ज्यों ही यह प्राप्त होगी इसे सदन पटल पर रख दिया जायगा ।

विदेशी धर्म प्रचारक

*२००७. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कितनी विदेशी धर्म प्रचारक संस्थायें सरकार की अभिज्ञात सूची पर हैं तथा उनके नाम क्या हैं ;

(ख) यह कहां कहां काम कर रही हैं; तथा

(ग) यह किन कार्यों में संलग्न हैं ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा०काटजू): (क) तथा (ख) । एक विवरण, जिस में यह सूचना दी गई है, सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३८]

(ग) शिक्षा, चिकित्सा, ईसाई धर्म प्रचार, परोपकार तथा सामाजिक कल्याण सम्बन्धी कार्य ।

चलते डाक घर

*२००८. **श्री मुनिस्वामी** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ग्रामों में चलते डाक घरों की प्रणाली को पुरःस्थापित करने की कोई परियोजना है; तथा

(ख) यदि है, तो इसे कब तथा भारत के किन किन भागों में आरम्भ किया जायगा ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ऐसी सेवा को प्रयोग के रूप में पुनः चालू करने की बात विचाराधीन है ।

(ख) इन मामलों के सम्बन्ध में कोई निश्चय करने का अभी मौका नहीं आया है ।

असैनिक नभश्चरण प्रशिक्षण केन्द्र इलाहाबाद

*२००९. **श्री पी० आर० राव** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने के कृपा करेंगे :

(क) असैनिक नभश्चरण प्रशिक्षण केन्द्र इलाहाबाद में कितने वायुयान तथा प्रशिक्षण वायुयान (लिंक ट्रेनर्स) उपलब्ध हैं ; उन का परिव्यय क्या है तथा उन्हें बनाये रखने पर प्रति वर्ष कितना रूपया खर्च होता है ;

(ख) इसके आरम्भ से अब तक कितने विमान चालकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है ;

(ग) भारत में कितने विदेशी प्रजाजन विमान चालकों के रूप में काम कर रहे हैं ;

(घ) क्या उन्हें प्रतिस्थापित करने की कोई प्रस्थापना है ; तथा

(ङ) क्या सरकार इस असैनिक नभश्चरण प्रशिक्षण केन्द्र का कुछ उपकरण जैसे कि 'लिंक ट्रेनर्स' आदि उडयन क्लबों तथा वायुयान समवायों को देने की प्रस्थापना कर रही है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) २६ वायुयान तथा ४ 'लिंक ट्रेनर' । उनका परि-व्यय लगभग ४०,५०, ६०० रुपये है ; तथा १९५१-५२ के वर्ष में उन्हें बनाये रखने पर २०२,४०० रूपये खर्च हुये हैं।

(ख) ४७

(ग) ४१

(घ) ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं ; परन्तु विदेशी विमान चालकों को निस्सन्देह ही भारतीय विमान चालकों द्वारा प्रतिस्थापित किया जायगा जब कि इन्हें पर्याप्त अनुभव प्राप्त होगा ।

(ङ) कुछ प्रशिक्षण वायुयानों (लिंक ट्रेनर्स) को वायुयान समवायों के हाथ बेचने की प्रस्थापना पर विचार किया जा रहा है ।

संतरे के व्यापारियों के लिये रेल के डिब्बों की कमी

*२०१०. **श्री चण्डक :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को सैंट्रल रेलवे पर स्थित कमलेश्वर, कोंहली कटोल, कलंभा, नरखेड तथा पांढूर्ना स्थानों के संतरा-व्यापारियों और उत्पादकों की ओर से समय पर और आवश्यकता के अनुसार रेल के डिब्बे न मिलने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिले हैं, और यदि मिले हैं, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में पग उठाया है, या उठाने जा रही है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : जी हां । इन लायनों के सम्बन्ध में बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुये थे सैंट्रल रेलवे ने संतरा व्यापारियों तथा उत्पादकों और मध्य प्रदेश सरकार की सलाह से इस परिवहन के लिये कुछ ऐसे विशेष डिब्बे आदि बना कर अधिकतम सम्भावित यातायात सुविधाओं की व्यवस्था की है जिन से कि यह माल यात्री गाडियों द्वारा लिया जा सकता है । इस वर्ष 'मृग' काल में उल्लिखित क्षेत्रों से संतरों के ३५९३ भरे डिब्बे भेजे गये जब कि गत छै वर्षों में तत्स्थानीय काल में औसत में केवल २४५२ डिब्बे भेजे गये इस तरह से इस में ४६.४ प्रति शत वृद्धि हुई है ।

अनुसूचित जनजातियों के लिये अनुदान

*२०११. **सरदार ए० एस० सहगल :** क्या गृहकार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को वहां की अनुसूचित जन जातियों के लिये दिये जाने वाले वार्षिक अनुदान ; तथा

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार भारत सरकार को व्यय के वार्षिक या छमाही विवरण भेजती है ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) कोई निश्चित वार्षिक अनुदान नहीं दिया जाता है । यह राशि प्रति वर्ष कुल बजट उपबन्ध तथा विभिन्न राज्य सरकारों की आवश्यकताओं तथा साधनों के आधार पर निश्चित की जाती है । गत वर्ष मध्य प्रदेश के लिये १२ लाख रुपये का अनुदान मंजूर किया गया था जब कि चालू वर्ष में उन्हें १७ लाख रुपये दिये जाने की प्रस्थापना है ।

(ख) राज्य सरकारों से प्रति वर्ष व्यय का विवरण भेजने के लिये कहा गया है ।

भुसावल मन्दुरबार शटल सर्विस

*२०१२. **श्री पाटसकर :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १९४२ से पूर्व भूतपूर्व बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे पर स्थित भुसावल तथा नंदुरबार के बीच एक शटल ट्रेन सर्विस विद्यमान थी;

(ख) क्या १९५२ में उस लाइन पर गड़बड़ी होने के कारण इसे बन्द कर दिया गया;

(ग) क्या सामान्य स्थितियों के बहाल होने के बावजूद इसे अब फिर से चालू नहीं किया गया है ; तथा

(घ) क्या इस सर्विस को फिर से चालू करने के प्रश्न पर विचार हो रहा है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल०बी० शास्त्री) : (क) से (घ) तक। एक विवरण जिस में भुसावल-नदुरबार शाखा पर यात्रियों को ले जाने के सम्बन्ध में रेलगाड़ी सेवाओं की स्थिति दी गई है, सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ९ अनुबन्ध संख्या ३९**]

दिल्ली--अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग

*२०१३. **श्री बलवन्त सिन्हा महता** : क्या यातायात मंत्री यह बतालने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि जयपुर तथा उदयपुर से होके जो सड़क दिल्ली से अहमदाबाद को जाती है, उसे एकराष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है ;

(ख) इसके कौन से भाग तथा कितने मील मुकम्मल तैयार किये गये हैं तथा कौन से भाग तथा कितने मील अभी तैयार करने हैं ;

(ग) इस सड़क के कब तक पूरा तैयार होने की आशा है ;

(घ) क्या यह सत्य है कि उदयपुर खेरवाड़ा भाग पर चलने वाले पथिकों से कुछ कर वसूल किया जाता है ; तथा

(ङ) यदि किया जाता है, तो पथिकों को कितने मील के लिये कितना रुपया देना पड़ता है।

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) दिल्ली से खेरवाड़ा तक के लगभग ५०० मील इस समय विद्यमान हैं और खेरवाड़ा से अहमदाबाद तक के लगभग १०० मील अभी तैयार किये जाने हैं।

(ग) लगभग ६ वर्षों में।

(घ) तथा (ङ) सरकार को इस सम्बन्ध में इस समय कोई सूचना नहीं परन्तु वह पूछताछ कर रही है।

ब्रह्मा से चावल का प्रेषण

*२०१४. **श्री अच्युतन** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ब्रह्मा मिशन का ब्रह्मा से इस देश के लिये चावल खरीदने तथा भेजने का कोई सम्बन्ध है ;

(ख) यह काम इस समय कौन करता है तथा कितने कमीशन पर करता है ;

(ग) १ अक्तूबर १९५१ से ले कर १ अप्रैल, १९५२ तक इस खाते पर कुल कितनी धनराशि कमीशन के रूप में दी गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) यदि यह ब्रह्मा स्थित भारतीय राजदूतावास की ओर निर्देश है, तो इसका उत्तर 'हां' है।

(ख) चावल खरीदने के सम्बन्ध में बातचीत सामान्यतयः राजदूत द्वारा की जाती है। वहां से चावल भेजने के काम का निरीक्षण वहां स्थित हमारे खाद्य सहचारी द्वारा होता है। चावल भेजने का वास्तविक काम भारतीय व्यापारियों के एक दल द्वारा किया जाता है तथा उन्हें भेजे गये चावल के प्रति टन के लिये १२ आने कमीशन दिया जाता है :

(ग) १४३,८१५ रुपये।

सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई जातियां

*२०१५. **श्री दाभी :** क्या गृहकार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदि जातियों को छोड़ के) भारत में कुछ ऐसी जातियां भी हैं जो सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई हैं;

(ख) यदि ऊपर भाग (क) का उत्तर 'हां' में हो, तो उनके नाम क्या हैं तथा वह देश के किस भाग अथवा किन भागों में रहते हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इन जातियों की उन्नति के लिये कोई पग उठाय हैं; तथा

(घ) क्या इन जातियों की उन्नति के लिये सरकार ने राज्य सरकारों को कोई अनुदान दिया है अथवा देने की प्रस्थापना कर रही है ।

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) तथा (ख) । माननीय सदस्य का ध्यान १४ जुलाई, १९५२ को श्री अच्युतन द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १७३४ के उत्तर की ओर दिलाया जाता है ।

(ग) तथा (घ) । पिछड़ी हुई जातियों की उन्नति के लिये कार्यवाही करना मुख्यतया राज्य सरकारों का काम है ।

राष्ट्रीय ब्यूरो

*२०१६. **श्रीमती जयश्री :** क्या गृहकार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि जेलखानों के महा-निरीक्षकों (इन्स्पेक्टर जनरलों) की एक बैठक में हाल ही में एक संकल्प पारित किया गया था कि सुधार सम्बन्धी संस्थाओं के प्रशासन के लिये एक राष्ट्रीय ब्यूरो होना चाहिये ; तथा

(ख) इस संकल्प को क्रियान्वित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी हां ।

(ख) इस सिफ़ारिश तथा अन्य सिफ़ारिशों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से अपनी अपनी राय भेजने के लिये कहा गया है ।

औरंगाबाद-पुरलीवैजनाथ रेलवे लाइन

*२०१७. **श्री एच० जी० वैष्णव :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भूतपूर्व हैदराबाद सरकार की यह परियोजना अब भी सरकार के विचाराधीन है कि औरंगाबाद दक्षिण को एक रेल मार्ग द्वारा (जो कि पैथन, भीर, मोमिनाबाद से गुजरता है) पुरलीवैजनाथ के साथ मिला दिया जाये ; तथा

(ख) यदि ऊपर भाग (क) का उत्तर 'हां' हो तो इसका निर्माणकार्य कब शुरू किया जायेगा ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) उत्तर 'नहीं' है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केन्द्रीय रक्षित पुलिस

*२०१९. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय रक्षित पुलिस को राजस्थान सरकार द्वारा उस राज्य में डाकुओं के गिरोहों का मुकाबिला करने के लिये अधिग्रहीत किया गया है ; तथा

(ख) केन्द्रीय रक्षित बल के प्रयत्न कहां तक सफल हुये हैं ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) तथा (ख) । केन्द्रीय रक्षित पुलिस की दो कम्पनियों को गत मई से इस उद्देश्य से वहां नियुक्त किया गया है । उनकी कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप दो बदनाम डाकू मारे गये हैं तथा १९ पकड़े गये हैं । उन्होंने अरावली पर्वत में काक्कड़-वाला नादिया के स्थान पर कल्याण सिंह गिरोह के मुख्य अड्डे पर भी अधिकार कर लिया । इस कार्यवाही में डाकुओं का एक संतरी गोली से उड़ा दिया गया । पकड़ी गई सम्पत्ति में संतरी की बन्दूक गोलाबारूद की एक बड़ी मात्रा, डाकू गिरोह के ऊंट तथा कई डकैतियों में लूटी गई बहुत सम्पत्ति शामिल है । केन्द्रीय रक्षित पुलिस ने पाली (जोधपुर डिवीजन) के सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस की भी बहुत से डाकूओं के गिरफ्तार करने में सहायता की ।

व्यवसायिक कर्मचारी वर्ग

***२०२०. श्री पी० आर० राव**: क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि व्यवसायिक कर्मचारी वर्ग के पदों के सम्बन्ध में संयुक्त सलाहकार समिति की सिफ़ारिशें सरकार द्वारा स्वीकृत की गई हैं ;

(ख) यदि की गई हैं, तो कहां तक इन सिफ़ारिशों को उत्तरी रेलवे पर लागू किया गया है ; तथा

(ग) इन सिफ़ारिशों के अनुसार व्यवसायिक कर्मचारी वर्ग के कुल कितने पदों का ग्रेड बढ़ा दिया गया है तथा ऐसे पदों की कुल पदों के मुक़ाबिले में प्रतिशतता क्या है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) सरकार ने संयुक्त सलाहकार समिति की सिफ़ारिशों को इस सम्परिवर्तन के साथ स्वीकार किया है कि निम्नतम ग्रेड (६०—१५०) रुपये में कुल पदों की संख्या ७२ १/२ से ७५ प्रतिशत रखने के स्थान पर ८५ प्रतिशत रखी गई है ।

(ख) समिति की मानी गई सिफ़ारिशों को उत्तर रेलवे के भूतपूर्व ईस्ट पंजाब रेलवे भाग पर पूर्णतया लागू किया गया है ; परन्तु इन्हें उस रेलवे के भूतपूर्व बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे तथा भूतपूर्व ई० आई० रेलवे भागों पर लागू किया जा रहा है । भूतपूर्व जोधपुर रेलवे तथा भूतपूर्व बीकानेर स्टेट रेलवे के सम्बन्ध में मानी गई सिफ़ारिशों पर उस समय विचार किया गया जब कि इन दोनों भूत-पूर्व स्टेट रेलों के अराज-पत्रित पदों को १ अप्रैल, १९५० से केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन दरों के तुल्य बनाया गया ।

(ग) भूतपूर्व ई० पी० रेलवे भाग पर ३०७ पदों का ग्रेड बढ़ा दिया गया है, इसके परिणामस्वरूप उच्च ग्रेड के पद कुल पदों का १५ प्रतिशत भाग के बराबर हो गये हैं ।

प्रतिनियुक्त अधिकारी

***२०२१. पंडित सी० एन० मालवीय**: क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बतालने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने उस प्रणाली को पुनः चालू किया है जिसके अन्तर्गत राज्यों से केन्द्र में प्रतिनियुक्त अधिकारियों को पदावधि के पूर्ण होने पर अपनी अपनी सरकारों के पास वापिस भेज दिया जाता है ; तथा

(ख) यदि किया है, तो १९५०-५१ तथा १९५१-५२ के वर्षों में अलग अलग राज्यों से कितने ऐसे अधिकारी केन्द्र में प्रति-नियुक्त किये गये ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) भारत सरकार में प्रशासकीय पदों की व्यवस्था के लिये "पदावधि" प्रणाली कभी भी त्याग नहीं दी गई थी यद्यपि कई मामलों में अधिकारियों को उनकी सामान्य पदावधि से अधिक समय के लिये अपने पदों पर रखा गया था। इस बात को सदैव मान लिया गया है कि उपयुक्त प्रतिस्थापन की व्यवस्था होने के शीघ्र बाद ही उन्हें वापिस भेज दिया जाना चाहिये। भारतीय असैनिक प्रशासकीय (केन्द्रीय) संवर्ग परियोजना में इस बात का उपबन्ध रखा गया है कि अधिकारियों का कुछ भाग "अर्ध-स्थाई" आधार पर रखा जाना चाहिये तथा शेष के सम्बन्ध में 'पदावधि' प्रणाली निश्चित रूप से लागू की जानी चाहिये। जब इस परियोजना को क्रियान्वित किया जायेगा तो पदावधि प्रणाली को पूर्णतया बहाल किया जायगा।

(ख) एक विवरण जिस में अपेक्षित सूचना दी गई है सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४०]**

भारतीय राष्ट्रीय रेल कर्मचारी संघ

*२०२२. **श्री के० सुब्रह्मण्यम** : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारतीय राष्ट्रीय रेल कर्मचारी संघ को अभिज्ञात करने से पूर्व क्या इस से सम्बद्ध संस्थाओं के प्रतिनिधि रूप की जांच की गई थी; तथा

(ख) यदि ऊपर भाग (क) का उत्तर 'नहीं' हो तो क्या यह जांच अब की जायगी ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) तथा (ख)। इस सम्बन्ध में कोई विशेष जांच करना आवश्यक नहीं समझा गया है परन्तु रेलवे बोर्ड को उपलब्ध सामग्री से इस बात का सन्तोष हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय रेल कर्मचारी संघ पर्याप्त रूप से कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने के कारण बोर्ड से सम्बन्ध स्थापित करने के बारे में न्यायसंगत है। इन परिस्थितियों में सरकार कोई अग्रेतर जांच करने की प्रस्थापना नहीं करती है।

मद्रास के रेल कर्मचारियों द्वारा विरोधात्मक हड़ताल

*२०२३. **श्री नम्बियार** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि मद्रास के ६००० रेल कर्मचारियों ने ३ जुलाई १९५२ को छः घंटे की एक विरोधात्मक हड़ताल की थी तथा यदि की थी तो इस का कारण क्या था ;

(ख) क्या यह सत्य है कि जुलाई १९५२ से रेलवे अनाज दुकानों पर बेचे जाने वाले चावल की कीमत ११ आने ९ पाई से बढ़ा कर १ रुपये ३ आने ४ पाई प्रति माप कर दी गई है; तथा यदि कर दी गई है तो उसका कारण क्या है ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि इस मूल्य वृद्धि से रेल कर्मचारियों में बहुत असन्तोष फैला है ; तथा

(घ) मूल्यों में भारी वृद्धि को दृष्टि में रखते हुये सरकार रेल कर्मचारियों में चावल तथा अन्य अनाज कम दामों पर वितरित करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) से (ग)। राशन व्यवस्था को हटाये जाने के साथ ही रेलवे अनाज दुकानों में पंजीबद्ध गैर-रियायती कार्ड वालों से नियमों के अन्तर्गत इतना मूल्य वसूल करना था जिस में कि क्रम मूल्य

तथा उपरि-व्यय शामिल हो । इस नीति के अनुसार चावल की कीमत बढ़ाने की प्रस्थापना का यह परिणाम निकला कि ३ जुलाई १९५२ को मद्रास के इर्दगिर्द वाले क्षेत्रों में कुछ कर्मचारियों ने अल्पकाल के लिये हड़ताल की ।

(ख) उस समय के लिये यह निश्चय किया गया है कि रैलवे अनाज दुकानों से गैर-रियायती कार्ड वाले व्यक्तियों को उसी मात्रा में तथा उसी कीमत पर अनाज उपलब्ध किया जाये जैसे कि कम दाम वाला सरकारी दुकानों पर उपलब्ध होता है । सरकार को मूल्यों में भारी वृद्धि का कोई ज्ञान नहीं ।

रायगढ़ के लिये टेलीफ़ोन कनेक्शन

४७०. **श्री संयण्णा** : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा राज्य में कुल कितने ऐसे स्टेशन हैं जो भारतीय संघ के अन्य भागों के साथ ट्रंक टेलीफोन द्वारा मिलाये गये हैं ।

(ख) क्या यह सत्य है कि उड़ीसा राज्य के कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक तथा वाणिज्यिक केन्द्र ट्रंक टेलीफोन व्यवस्था द्वारा आपस में नहीं मिलाये गये हैं ?

(ग) क्या यह सत्य है कि मद्रास राज्य स्थित पार्वतीपुरम नगरी (ज़िला चिकाकोले) ट्रक टेलीफोन द्वारा मिलायी गयी है ?

(घ) पार्वतीपुरम को रायगढ़ के साथ—केवल ३० मील का फासला—ट्रंक टेलीफोन द्वारा मिलाने के काम पर मूल व्यय कितना होगा ?

(ङ) क्या देश के इस प्रकार के सभी महत्वपूर्ण स्थानों को ट्रंक टेलीफोन द्वारा आपस में मिलाये जाने की कोई प्रस्थापना सरकार के हाथ में है ?

(च) यदि है तो उन्हें क्रियान्वित किये जाने की कब सम्भावना है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १७ ।

(ख) डाक तथा तार विभाग ने टेलीफ़ोन की सुविधा उड़ीसा की उन महत्वपूर्ण स्थानों तक पहुंचाई है जहां कि ट्रंक कालों की प्रत्याशित संख्या इस व्यवस्था पर हुये व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त होगी । ट्रक टेलीफ़ोन की सुविधा उड़ीसा के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों तक पहुंचाई जायगी बशर्ते कि राज्य सरकार वाणिज्य मंडल अथवा कुछ प्राइवेट व्यक्ति किराया को स्वीकार करेंगे तथा किसी सम्भावित हानि को पूरा करने की कोई गारंटी दे देंगे । इस समय तक ऐसी कोई गारंटी नहीं दी गई है ।

(ग) जी हां :

(घ) पार्वतीपुरम को रायगढ़ के साथ तांबे की एक दोहरी तार द्वारा मिलाने के कार्य पर प्रारम्भिक लागत लगभग ४०,४०० रुपये आयगी ।

(ङ) तथा (च) । १ अप्रैल १९५१ को आरम्भ होने वाली पंचवर्षीय योजना में डाक तथा तार विभाग ने नियमित रूप से भारत के सभी ऐसे स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का निश्चय किया है जहां ३०,००० से अधिक जन संख्या हो तथा सभी ऐसे स्थानों पर 'पब्लिक काल आफिस' खोलने का निश्चय किया है जहां जनसंख्या २०,००० से अधिक हो ।

सगवाड़ा डाक तथा तार घर

४७१. **श्री भीखा भाई** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के सगवाड़ा डाक तथा तार घर से भेजी जाने वाली डाक गढ़ी डाक तथा तार घर

तक एक सप्ताह में पहुंचती है, यद्यपि उनकी दूरी केवल दस मील है ;

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो उसके कारण तथा ;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस वस्तु-स्थिति को सुधारने के लिये कुछ कार्यवाही की जा रही है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग) तक। सगवाड़ा तथा गढ़ी के बीच एक नदी बहती है जिस पर कि कोई पुल नहीं। सगबाड़ा से जो डाक गढ़ी भेजी जाती थी वह उदयपुर, चित्तौड़गढ़ रतलाम तथा दोहद से होती हुई पांचवें दिन के बाद वहां पहुंच जाती थी : १ जुलाई १९५२ से नदी पर नाव-सेवा की व्यवस्था किये जाने के परिणामस्वरूप डाक दूसरे दिन ही गढ़ी पहुंच जाती है।

अनाज

४७२. **श्री के० पी० त्रिपाठी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५१ में चाय उद्योग के प्रबन्धकों को आयात किये गये अनाज में से कितना अनाज, राज्यवार, प्रदाय किया गया है ;

(ख) क्या प्रदाय किये गये अनाज में अर्थ सहायता दी गई थी ; तथा

(ग) यदि दी गई थी, तो इस में कितनी धनराशि, राज्यवार, ग्रस्त थी ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): १९५१ में आसाम तथा पश्चिमी बंगाल के चाय बागानों को आयात किये गये खाद्यान्न में से जो अनाज प्रदाय किया गया था उस की मात्रा नीचे दी गई है :—

आसाम—६४,३५२ टन ।

पश्चिमी बंगाल—५३ १८२ टन ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

लाटरी प्रपत्र तथा परिपत्र

४७३. **श्री वी० जी० देशपांडे :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे

(क) क्या भारतीय डाक तथा तार पुस्तिका अंक ५ का नियम संख्या १५३ (यदि डाक तथा तार गाइड की खंड संख्या ९६ के साथ पढ़ लिया जाय) उन लाटरी प्रपत्रों तथा लाटरियों से सम्बन्धित अन्य परि-पत्रों पर भी लागू होता है जो डाक द्वार भारत भर में परिचालित किये जाते हैं; तथा

(ख) यदि होता है तो डाक अधिकारियों द्वारा इस नियम को प्रवर्तित करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जब कभी इस नियम के उल्लंघन का मामला पकड़ा जाता है तो प्रेषक को वह वस्तु वापिस भेज दी जाती है, जैसे कि नियमों में नियत है ।

टेलीफ़ोन चालक

४७४. **श्री इस्लामुद्दीन :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) टेलीफ़ोन चालकों के प्रशिक्षण के लिये कुल कितने प्रशिक्षण केन्द्र हैं तथा यह कहां कहां स्थित हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक केन्द्र में कितने प्रशिक्षार्थियों ने प्रशिक्षा ली; तथा

(ग) प्रशिक्षण काल कितना है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) तक । एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४१]**

पब्लिक काल आफ़िस

४७५. **श्री के० एस० गौंडर** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में तारघरों के साथ नये काल आफ़िस खोलने के लिये सामान्य पब्लिक उपेक्षायें क्या हैं ; तथा

(ख) क्या मद्रास राज्य के मुदुराई जिले में थेनी, पेरियाकुलम, बोदीनयकानुर, कुमबमचिन्ना मनुर तथा यूसिलमपट्टी के कस्बों में नये पब्लिक काल आफ़िस खोले जाने की कोई प्रस्थापनायें अथवा सम्भावनाएं हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) डाक तथा तार विभाग की यह नीति है कि प्रत्येक ऐसे स्थान पर एक पब्लिक काल आफ़िस खोला जाये, जहां की जनसंख्या २०,००० से अधिक हो, बशर्ते कि इस के लिये धन उपलब्ध हो तथा परियोजना को क्रियान्वित करने से काफ़ी आय प्राप्त हो।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में थेनी तथा बोदीनायकानुर के स्थानों पर पब्लिक काल आफ़िस खोलने तथा पेरियाकुलम में एक टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की प्रस्थापना है। यूसिलमपट्टी में एक पब्लिक काल आफ़िस खोलने की प्रस्थापना पर विचार किया जा रहा है।

कुमबम तथा चिन्नामनुर के लिये टेलीफोन सुविधाओं की मांग उचित नहीं क्योंकि इस बात का अनुमान लगाया जाता है कि यदि इन स्थानों पर पबलिक काल आफ़िस खोले गये तो डाक तथा तार विभाग को भारी हानि उठानी पड़ेगी। इसलिये नये पब्लिक काल आफ़िस खोलने के कार्यक्रम में इन्हें उस समय तक शामिल करने की कोई प्रस्थापना नहीं जब तक कि राज्य सरकार अथवा प्राइवेट व्यक्ति अथवा संस्थायें पूर्वानुमानित हानियों को पूरा करने की गारंटी न दें।

सेवा निवृत्ति आयु

४७६. **श्री बी० बी० वर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या अनुसचिवीय सेवा के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु पहले ५५ निश्चित थी परन्तु अब इसे ६० कर दिया गया है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो सेवानिवृत्ति की आयु कब से ६० निश्चित की गई है तथा किन आधारों पर ;

(ग) क्या यह सत्य है कि सरकार कुछ समय से सेवा निवृत्ति आयु फिर से ५५ निश्चित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(घ) यदि कर रही है, तो यह मामला कहां पर आ पहुंचा है तथा इस सम्बन्ध में कब कोई निश्चय किया जायेगा ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) तथा (ख). यह मामला मूलभूत नियमों के नियम ५६ (ख) द्वारा अधिशासित है जो कि इस प्रकार से है :—

"मूलभूत नियम ५६ (ख). (१) एक अनुसचिवीय कर्मचारी के लिये जो कि उप-खंड (२) द्वारा अधिशासित नहीं, ५५ वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होना अपेक्षित हो सकता है, परन्तु उसे सामान्यतय ६० वर्ष की आयु तक सेवा में रखा जाना चाहिये यदि वह कार्य करने में सक्षम हो, उसे उस आयु के बाद सेवा में नहीं रखा जाना चाहिये सिवाय अत्यन्त ही विशेष परिस्थितियों में, जिन्हें कि लिख कर अभिलिखित किया जाना चाहिये तथा यह स्थानीय सरकार की मंजूरी से होना चाहिये।

" (ii) एक अनुसचिवीय कर्मचारी—

(१) जो ३१ मार्च को अथवा १ अप्रैल १९३८ के बाद सरकारी नौकरी में प्रवेश करे; अथवा

(२) जो ३१ मार्च १९३८ को सरकारी नौकरी में होते हुए उस दिन को किसी स्थायी पद का पूर्वाधिकार (लियन) अथवा निलम्बित पूर्वाधिकार न रखता हो,

के लिये सामान्यतयः ५५ वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होना अपेक्षित होगा। उसे उसके बाद सेवा में नहीं रखा जाना चाहिये सिवाय सार्वजनिक आधारों पर जिन्हें कि लिख के अभिलिखित किया जाना चाहिये, तथा स्थानीय सरकार की अनुमति से उसे ६० वर्ष की आयु के बाद नौकरी में नहीं रखा जाना चाहिये सिवाय अत्यन्त ही विशेष परिस्थितियों में।"

मूल स्थिति वही थी जो उप-खंड (i) में दी गई है। उप-खंड (ii) १९३८ में जोड़ दिया गया था।

असैनिक सेवा विनियमों में भी ऐसे ही उपबन्ध हैं जो सरकारी कर्मचारियों के विशेष वर्गों पर लागू होते हैं।

(ग) तथा (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

मध्य प्रदेश में डाकघर

४७७. **श्री जांगड़े** : क्या **संचरण** मंत्री हबतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मध्य प्रदेश के बस्तर, रायगढ़ और सरगुजा जिलों में डाकघरों की कुल संख्या और साथ ही १९४८ के बाद खोले गये डाकघरों की संख्या,

(ख) इन जिलों में प्रत्येक मे कितनी जनसंख्या के लिये एक डाकघर है, तथा

(ग) क्या यह सच है कि सरगुजा जिले में सभी डाकघर पूर्व से पश्चिम जाने वाली एकमात्र सड़क पर स्थित हैं और उत्तर दक्षिण की ओर पचास पचास, साठ साठ मील तक कोई डाकघर नहीं है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). एक विवरण जिस में अपेक्षित सूचना दी गई है सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४२]**

(ग) तथा (घ). सरगुजा जिले के डाकखाने मुख्यतयः पूर्व-पश्चिम दिशा में स्थित हैं जैसे कि संचरण के साधन भी वहां विद्यमान हैं। परन्तु रामानुगंज, अम्बिकापुर, सीतापुर तथा प्रतापगढ़ के डाकखाने रामानुगंज—अम्बिकापुर—धर्मजंगगढ़ पर स्थित हैं जो कि उत्तर से दक्षिण को जाती है।

छत्तीसगढ़ में तारघर

४७८. **श्री जांगड़े** : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि छत्तीसगढ़ (मध्य प्रदेश) में १९४७ से १९५२ वर्षों तक कितने मीलों तक तार (टेलीग्राफ़) के तार बिछाये गये, और किन किन स्थानों पर तारघर खोले गये ?

(ख) छत्तीसगढ़ में किन स्थानों पर "अपने टेलीफोन का स्वामित्व प्राप्त करो" योजना के आधीन नये टेलीफ़ोन ऐक्सचेंज या सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले गये या खुलने वाले हैं ?

संचरण उप-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४३]**

बाराजाम्दा क्षेत्र से कच्ची धातुओं का प्रेषण

४७९. **श्री देवगम :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि बाराजाम्दा क्षेत्र से कलकत्ता बन्दरगाह तक निर्यात के लिये कच्ची धातुओं के प्रेषण से सम्बन्धित पूर्वी रेलवे (भूतपूर्व बी० एन० रेलवे) के व्यादेश पूर्णतयः पूरे नहीं किये जाते हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो क्यों नहीं।

(ग) क्या यह सत्य है कि बाराजाम्दा क्षेत्र में निर्यात के निमित्त कच्ची धातुओं के प्रेषण के लिये प्रतिदिन दो 'रेक' दिये जाते हैं तथा उन्हें, आनुपातिक आधार पर सभी निर्यातकों में उस वितति तक वितरित किया जाता है जहां तक कि माल लेने वालों का छुड़ाई सम्बन्धी सामर्थ्य हो ;

(घ) क्या यह प्रक्रिया संतोषजनक ढंग से चल रही है; तथा

(ङ) दो से अधिक 'रेक' प्रदाय करने की दशा में यदि इस प्रक्रिया में कोई फेर बदल किया गया, तो क्या समाचार पत्रों में उसकी कोई घोषणा की गई ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी हां।

(ख) बाराजाम्दा क्षेत्र से कलकत्ता बन्दरगाह तक निर्यात के लिये कच्ची धातुओं के प्रेषण के व्यादेश न केवल साइडिंग्स के माल लादने के सामर्थ्य से अधिक होते हैं अपितु राज खारसवन-गुआ शाखा के उस सीमित पथ सामर्थ्य से भी अधिक होते हैं जो लोहा तथा इस्पात उद्योगों के लिये कच्ची धातुओं के यातायात तथा उस शाखा से सम्बन्धित अन्य सारभूत यातायात के संगत इस परिवहन के लिये उपलब्ध होता है। कभी कभी, भारतीय रेलों की यातायात सम्बन्धी ऊपरी अपेक्षाओं के कारण, अधिकतम सीमित पथ सामर्थ्य के बराबर भी डिब्बे नहीं मिलते हैं।

(ग) जी हां, सामान्य प्रक्रिया यह है कि कलकत्ता गोदियों तक कच्ची धातुओं को ले जाने के लिये माल गाड़ी के डिब्बे विभिन्न प्रेषकों को आनुपातिक रूप से उनके कलकत्ता बन्दरगाह में माल डिब्बे छुड़ाने के सामर्थ्य के आधार पर दिये जाते हैं। इनके इस सामर्थ्य के व्ययन की सूचना बन्दरगाह अधिकारियों द्वारा पूर्वी रेलवे को समय समय पर दी जाती है।

(घ) यह प्रक्रिया संतोषजनक ढंग से चली है।

(ङ) जी हां। जब इस यातायात के लिये एक अतिरिक्त गाड़ी का सामर्थ्य उपलब्ध हुआ तो इसे केवल मैसर्ज बर्ड एण्ड को० तथा टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी, इन्हीं दो सार्थों में आवंटित किया गया; क्योंकि केवल इन्हीं दो सार्थों ने रेलगाड़ी रेकों को एक साथ भरने के लिये अपनी साईडिंग्स का सामर्थ्य पर्याप्त रूप से बढ़ा दिया था, तथा यह इस रेलगाड़ी के आवंटन के लिये वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा निश्चित की गई शर्तों में से एक थी। आवंटन की प्रक्रिया में इस फेर बदल की, जो कि एक अस्थायी रूप का था, समाचारपत्रों में कोई घोषणा नहीं की गई थी।

डाक तथा तार विभाग (हानि)

४८०. **श्री एन० पी० सिन्हा :** क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारतीय डाक तथा तार विभाग ने १९५१-५२ के वर्ष में निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत कितनी हानि उठाई है—,

(i) 'ट्रंक कालों' के सम्बन्ध में फ़ी आदि की अप्राप्ति

(ii) इन्शोर्ड वस्तुओं तथा मनिआर्डरों के गुम होने के सम्बन्ध में लोगों को दिया गया प्रतिकर;

(iii) ग्रामीण डाक खानों को, जो कि आत्मनिर्भर नहीं हैं, दी गई अर्थसहायता;

(iv) डाक कर्मचारियों द्वारा धन का दुरुपयोग, तथा

(v) धनराशियों की जिनकी कि वसूली न हुई हो, मंसूखी ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) (i) ११,१८५ रुपये १२ आने।

(ii) ३,२६,२८९ रुपये।

(iii) १९,६२,७७० रुपये।

(iv) १,०९,६०० रुपये।

(v) २३,७६९ रुपये।

मानसिक गृह

४८१. **डा० राम सुभग सिंह:** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी :

(क) क्या यह सत्य है कि विश्व स्वास्थ्य संघटन के विशेषज्ञ श्री मेयर ग्रास ने हाल ही में भारत स्थित मानसिक ग्रहों का तीन महीनों तक पर्यालोकन किया ;

(ख) यदि यह सत्य है, तो क्या उन्हों ने इस पर्यालोकन के सम्बन्ध में अपनी कोई रिपोर्ट पेश की है; तथा

(ग) यदि ऊपर भाग (ख) का उत्तर उत्तर 'हां' तो इस रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) तथा (ख). जी हां।

(ग) एक टिप्पणी, जिस में डा० मेयर ग्रास की रिपोर्ट की मुख्य बातें दी गई हैं, सदन पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४४**]

ग्राम्य डाकखाने

४८२. **श्री जसानी:** क्या **संचरण मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में दो हजार अथवा उस से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों अथवा ग्राम-समूहों में कुल कितने ग्राम डाक खाने खाले गये तथा किन किन राज्यों में खोले गये ;

(ख) इन डाक खानों को चलाने पर डाक विभाग को कुल कितना धन (वर्ष-वार) व्यय करना पड़ा है ; तथा

(ग) इस कालाविधि में, इन डाक-खानों के कार्यसंचालन के परिणाम स्वरूप कुल कितनी शुद्ध लाभ अथवा हानि हुई है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) एक विवरण, जिस में अपेक्षित सूचना दी गई है, इसके साथ सम्बद्ध है। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४५**]

(ख) व्यय :—

१९४९-५०	८,००,३९५ रुपये
१९५०-५१	२२,४२,०५२ रुपये
१९५१-५२	३८,८५,४७२ रुपये

(ग) हानि :—

१९४९-५०	२,८९,९९७ रुपये
१९५०-५१	९,१४,०४७ रुपये
१९५१-५२	११,१५,५१२ रुपये

कालीघाट-फाल्टा रेलवे

४८३. **श्री के० के० बसु :** क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कालीघाट-फाल्टा रेलवे के संचालन के लिये जो अनुज्ञप्ति दी गई है उसकी शर्तें क्या हैं;

(ख) क्या ऐसी रेलों को कोई अर्थ सहायता भी दी जाती है; और

(ग) यदि दी जाती है, तो किन शर्तों पर ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) कालीघाट-फाल्टा रेलवे के निर्माण तथा कार्यसंचालन से सम्बन्धित संविदा की शर्तें यह हैं :—

(i) सरकार ने कम्पनी को नि-शुल्क भमि दे दी है ।

(ii) इस रेलवे पर लिये जाने वाले भाड़े के दर सरकार द्वारा मंजूर किये गये हैं।

(iii) यदि किसी वर्ष में कम्पनी की शुद्ध आय प्रस्तुत अंश पूंजी के पांच प्रतिशत भाग से अधिक हो तो यह सरकार तथा कम्पनी में बराबर बराबर हिस्सों में बट जायगी, परन्तु यदि किसी वर्ष में शुद्ध आय प्रस्तुत अंश पूंजी के पांच प्रति शत भाग से अधिक न हो, तो सम्पूर्ण विशुद्ध कमाई कम्पनी को मिलेगी, किन्तु यदि विशुद्ध आय इतनी पर्याप्त न हो कि प्रस्तुत अंश पूंजी पर ३$\frac{1}{4}$ प्रतिशत के दर से वार्षिक ब्याज दिया जा सके, तो सरकार कम्पनी को उतनी धन राशि दे देती है जिसे विशुद्ध आय के साथ मिला कर कुल पूंजी के ३$\frac{1}{2}$ प्रतिशत भाग के बराबर किया जा सके ।

(iv) सरकार या तो कुछ विशिष्ट दिनांकों पर रेलवे को अपने अधिकार में ले सकती है अथवा संविदा में दी गई कुछ शर्तों को पूरा करके ऐसा कर सकती है ।

(ख) तथा (ग). जी हां, उन्हीं शर्तों के अनुसार जिनका कि पहिले उल्लेख किया गया है ।

रायगढ़ टेलीफ़ोन लाइन

४८४. **श्री संगण्णा** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ट्रंक टेलीफोन लाइन को जिला कोसुपत (उड़ीसा) स्थित रायगढ़ नगर तक बढ़ा के ले जाने की कोई प्रस्थापना है; तथा

(ख) यदि है, तो कब ?

संचरण उपमत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी हां ।

(ख) १९५३-५४ में, यदि यह परियोजना लाभकर सिद्ध होगी ।

सहकारी समितियां

४८५. **श्री जसानी** : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) रेल कर्मचारियों की कुल कितनी उपभोक्ता सहकारी समितिय हैं; तथा यह किन किन स्थानों पर विद्यमान हैं;

(ख) इनकी कुल सदस्यता क्या है तथा प्रस्तुत पूंजी क्या है; तथा

(ग) इन समितियों द्वारा १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ के वर्षों में कुल कितना कारबार किया गया है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): रेलों से सम्बन्धित कुल ७८ सहकारी समितियां हैं जो निम्नलिखित स्थानों पर विद्यमान हैं :—

माटुंगा, खडगपुर (३) अद्रा, चक्रधरपुर, नैनपुर, तीतिलाघर, कान्ताबांजी, वाल्टेयर, विज़गापटम, कुर्दा रोड, गोंडिया, इतवारी नागपुर, चितपुर, नईहटी, कांचड़ापारा लिलोवाह, जमालपुर (२) दीनापुर, मुगलसराय, ओन्दल, आसनसोल, धनबाद, गोमोह, दिल्ली, काल्का, जलंधर छावनी, इलाहाबाद, हरथाला रोज़ा, बीकानेर, लखनऊ, पांडु, लुमडिंग, बदरपुर, डिबरूगढ़ कस्बा, अलीपुर, दुवर तथा बोनगायगोन, तम्बरम, तिरुचनापली, गोल्डन राक, पोन्मलाई पट्टी, विल्लुपुरम, पोडानुर, ई रोड, कूनूर, नेगापट्टम, मदुरा, जलारपेट, हुबली, मैसूर, दादर, बलसार, अजमेर (२) आबू रोड, बन्दीकुय (२)

फुलेरा (२) रेवाड़ी, महौ, रतलाम, नीमुच, दोहद, गंगपुर, चितरंजन (६)।

नोट : प्रत्येक समिति की प्रत्येक शाखा अलग समिति मान ली गई है।

(ख) इन समितियों की कुल सदस्यता ३९,६३० है तथा कुल प्रस्तुत पूंजी ७,४५,३८३ रुपये है।

(ग) इन समितियों द्वारा १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१,५२ के वर्षों में क्रमशः ४६,५८,६९७ रुपये, ४८,८२,९५७ रुपये तथा ५४,७४,४६५ रुपये का कारबार किया गया है। अन्तिम आंकड़े में ३ समितियों से सम्बन्धित सूचना नहीं दी गई है क्यों कि यह अभी उपलब्ध नहीं।

टेलीफोन एक्सचेंज

४८६. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२-५३ के वर्ष में कितने टेलीफोन एक्सचेंजों के बढ़ाये जाने की प्रस्थापना है ; तथा

(ख) इस विस्तार कार्यक्रम के परिणामस्वरूप लाइनों की संख्या में कितनी वृद्धि होगी ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ५७ वर्तमान एक्सचेंजों का विस्तार किया जायगा तथा ६२ नये एक्सचेंज खोले जायेंगे।

(ख) वर्तमान एक्सचेंजों के विस्तार के परिणामस्वरूप १२,८८० लाइनों की वृद्धि होगी तथा नये एक्सचेंजों के खोले जाने के परिणामस्वरूप ७,१२० लाइनों की वृद्धि होगी।

खाद्य नियंत्रण

४८७. **श्री बंसल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) खाद्य नियंत्रण के प्रशासन पर केन्द्रीय सरकार को कुल कितना व्यय करना पड़ा है ;

(ख) खाद्य नियंत्रण नीति में कुछ फेर बदल करने के परिणामस्वरूप सरकार को कितनी अनुमानित बचत हुई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) तथा (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा इसे यथासमय सदन पटल पर रख दिया जायगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग

४८८. **श्री गणपति राम :** क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) अगले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश में विशेषकर बनारस तथा गोरखपुर के डिवीज़नों में कुल कितने मील राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की प्रस्थापना है; तथा

(ख) प्रत्येक मील की अनुमानित लागत क्या होगी, तथा यदि कंकरों के स्थान पर ईंटों की गिट्टी प्रयोग में लाई जाये तो निम्नतम लागत प्रति मील क्या होगी ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) गोरखपुर डिवीज़न के बस्ती जिले में तीन बिल्कुल नये मीलों का निर्माण, लगभग ३१० मीलों के सुधार करने की प्रस्थापना है, इन में से २१ मील बनारस डिवीज़न में होंगे तथा १६ मील गोरखपुर डिवीज़न में होंगे।

(ख) ऊपर उल्लिखित नये निर्माण पर ६४,००० रुपये प्रति मील लागत आयेगी। यह अनुमान कंकर के प्रयोग के सम्बन्ध में है। पत्थर तथा ईंटों को प्रयोग में लाने पर जो लागत आती है वह भिन्न भिन्न स्थानों पर

भिन्न भिन्न है, विशेष कर यह इस बात पर निर्भर है कि यह सामान कितनी दूरी से लाना पड़ता है ।

कपास की खेती

४८९. **श्री बी० एस० मूर्तिः** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५०-५१ तथा १९५१-५२ के वर्षों में मद्रास राज्य में कुल कितनी एकड़ भूमि पर कपास की खेती हुई ;

(ख) इस कालावधि में कुल कितनी कपास पैदा की गई; तथा

(ग) किस किस्म की कपास पैदा की गई ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग) . १९५१-५२ के लिये अन्तिम प्राक्कलन अभी प्रकाशित नहीं किया गया है, परन्तु एक विवरण जिस में कि उपलब्ध सूचना दी गई है, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४६**]

कच्छ के राज्य-कर्मचारी

४९०. **श्री भवनजी** : क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) जब से कच्छ का प्रशासन केन्द्र सरकार ने अपने हाथ में लिया है, उस समयस से कितने व्यक्ति वार्धक्य प्राप्ति अथवा अयोग्यता के कारण सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा सेवानिवृत्त किये गये हैं;

(ख) इस तरह से सेवानिवृत्त किये गये व्यक्तियों में कितने व्यक्ति पेन्शन प्राप्त कर रहे हैं अथवा कितनों को उनके उपदान दिये गये हैं ;

(ग) कितने ऐसे व्यक्तियों को सेवा-नवृत्ति के समय से अभी तक पेन्शन अथवा उपदान नहीं दिये गये हैं ;

(घ) उन्हें अपना उचित पेन्शन अथवा उपदान के देने में विलम्ब का कारण क्या है ; तथा

(ङ) यह पेन्शन अथवा उपदान किस आधार पर दिये जाते हैं ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मांगी गई सूचना एकत्रित की जा रही है तथा इसे यथासमय सदन पटल पर रख दिया जायगा ।

रेलवे परियोजनायें

४९१. **श्री मादिया गौडा** : क्या **रेल मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि निम्नलिखित रेलवे परियोजनाओं की कार्यप्रगति कहां तक पहुंची है :—

(१) बंगलौर–होसुर रेलवे लाइन ।

(२) कडुर–चिक्कमगलुर रेलवे लाइन ।

(३) थलगुप्पा–जोग रेलवे लाइन ।

(४) मैसूर-मर्करा रेलवे लाइन ।

(५) हसन-मंगलौर रेलवे लाइन, तथा

(६) बंगलौर-मैसूर रेलवे का विद्युतीकरण ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : इनकी स्थिति नीचे दी गई है : —

(१) **बंगलौर-होसुर रेलवे**:—केन्द्रीय यातायात बोर्ड ने जुलाई १९५१ में इस परियोजना पर विचार किया तथा इस बात का निश्चय किया कि इस लाइन के सम्बन्ध में यात्रिक तथा यातायात सम्बन्धी पर्यालोकन कराने के लिये आदेश देने का प्रश्न इस समय के लिये उपस्थगित किया जाये ।

(२) **कडर-चिक्कमगलुर रेलवे लाइन** :—देश की वर्तमान वित्तीय तथा आर्थिक स्थिति को दृष्टि रखते हुय इस प्रस्थापना को इस समय अनिर्णीत रखा गया है ।

(३) **थलगुप्पा-जोग रेलवे लाइन** :— थलगुप्पा से जोग तक रेलवे लाइन ले जाने की कोई परियोजना नहीं ।

(४) **मैसूर-मरकेरा रेलवे लाइन**:— ऐसी किसी प्रस्थापना पर वचार नहीं किया गया है ।

(५) **हसन–मंगलौर रेलवे लाइन**:— केन्द्रीय यातायात बोर्ड ने जनवरी १९५० में इस परियोजना पर विचार किया तथा इस बात का निश्चय किया कि! से इस समय रोके रखा जाये ।

(६) **बंगलौर-मैसूर रेलवे का विद्युतीकरण**:—रेलवे बोर्ड को इस समय तक इस प्रकार की कोई भी परियोजना विचारार्थ प्राप्त नहीं हुई ।

डाकखाने के कैश सर्टिफ़िकेट

४९२. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पश्चिमी पाकिस्तान से आये किन्हीं विस्थापित व्यक्तियों ने दिल्ली तथा पंजाब के डाकखानों में उन कैश सर्टिफिकेटों के सम्बन्ध में अपने दावे दर्ज किये हैं जो कि उन्होंने पाकिस्तान में खरीदी थीं किन्तु जो बाद में गड़बड़ में गुम हो गईं ;

(ख) यदि किये हैं, तो ऐसे दावों का सम्बन्ध कितनी धन राशि से है ;

(ग) क्या इन दावों की जांच की गई है; तथा

(घ) क्या गुम हुई सर्टिफिकेटों के बदले में कोई घोषणा-पत्र जारी किये गये हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) (क) (i) जी हां ।

(ii) दर्ज किये गये दावों की संख्या

दिल्ली सर्कल	४८१
पंजाब सर्कल	४,१२८
कुल	४,६०९

(ख) यह दावे १७,२७,३०३ रुपये के हैं ।

(ग) ४६०९ दावों में से ५६६ की जांच की गई है ।

(घ) ऊपर उल्लिखित गुम हुई कैश सर्टिफिकेटों के बदले में जिनकी कि जांच हुई है घोषणा पत्र जारी किये गये हैं ।

अनाज का लाना ले जाना

४९३. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५१-५२ में अनाज के लाने ले जाने पर रेलवे को कुल कितना विलम्ब शुल्क दिया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : सन् १९५१-५२ में अनाज के लाने ले जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार ने रेलवे को कोई विलम्ब शुल्क नहीं दिया है । राज्य सरकारों द्वारा दिये गये ऐसे शुल्क, यदि कोई हों, के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं ।

खाद्यान्न

४९४. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५१-५२ में अनाज की कितनी मात्रा अपलेखित की गई; तथा

(ख) क्या अपलेखित मात्रा सारी की सारी खराब तथा मानव उपभोग के लिये अनुपयुक्त थी ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) लगभग ८८१ टन।

(ख) जी नहीं। केवल १० टन उपयोग के लिये अग्राह्य था। शेष मात्रा जहाज़ों से उतारे गये माल में कमी तथा गोदियों से सरकारी गुदामों तक माल पहुंचाने में क्षति है।

रखाबदेव के लिये तारघर

४९५. **श्री बलवन्त सिन्हा मेहता**: क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि रखाबदेव में जो कि एक तीर्थस्थान है कोई तारघर नहीं; तथा

(ख) सरकार वहां कब तार घर खोलने की प्रस्थापना कर रही है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी नहीं। रखाबदेव में एक तारघर ३ जुलाई १९५१ को खोला गया तथा यह सतोषजनक ढंग से चल रहा है।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

पर्यटक

४९६. **श्री बलवन्त सिन्हा मेहता** : क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उदयपुर तथा जयपुर में पर्यटक कार्यालयों को बनाये रखने पर प्रति वर्ष कितना व्यय होता है ;

(ख) अधिकाधिक यात्रियों को आकर्षित करने के लिये क्या सुविधायें दी गई हैं अथवा निकट भविष्य में दिये जाने की प्रस्थापना है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : जयपुर तथा उदयपुर में भारत सरकार का कोई पर्यटक कार्यालय नहीं। जयपुर में राजस्थान सरकार का एक अधिकारी भारत सरकार के एक अवैतनिक प्रादेशिक पर्यटक अधिकारी के रूप में काम कर रहा है; परन्तु भारत सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता है।

(ख) सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं में दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास स्थित पर्यटक सूचना कार्यालय, पर्यटक साहित्य तथा मार्गप्रदर्शन सेवायें शामिल हैं। आठ अन्य राज्यों में राज्य सरकार के कुछ अधिकारी हमारे अवैतनिक पर्यटक अधिकारियों के रूप में काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त बनारस तथा आगरा में दो छोटे से सूचना कार्यालय खोलने की प्रस्थापना है। समुद्र पार के दर्शकों के लिये सीमा सम्बन्धी औपचारिक नियम आसान कर दिये गये हैं ; तथा उनके नाम एक पर्यटक कार्ड जारी किया जाता है जिस से कि उन्हें सीमा-शुल्क के अविलम्ब भुगतान रेलवे स्थान-रक्षण तथा डाक बंगलों में आवास सुविधाओं के सम्बन्ध में विशेष सहायता मिलती है।

इलायची के पौधे

४९७. **श्री के० एस० गौंडर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दक्षिणी भारत में १९४४ में दो ऐसे प्रयोगात्मक अनुसन्धान केन्द्र खोले गये हैं जिनका उद्देश्य संक्रामक रोग न लगने वाले इलायची पौधों को उगाने की सम्भावनाओं का तथा इलायची पौधों से सम्बन्धित संक्रामक रोगों पर कीटाणु नाशक दवाइयों के प्रभाव का अध्ययन करना है ;

(ख) इन केन्द्रों में अध्ययन का काम कहां तक पहुंच चुका है तथा इसके परिणाम क्या निकले हैं; और

(ग) क्या सरकार कुछ उपयोगी परिणामों की प्राप्ति के लिये इस अनुसन्धान परियोजना को कुछ और वर्षों तक के लिये बढ़ाने का विचार रखती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां।

(ख) कृमिशास्त्र सम्बन्धी गवेषणा समाप्त हुई है। इलायची पौधों से सम्बन्धित रोगों के विरोधात्मक उपाय तैयार किये गये हैं तथा कृषकों के ध्यान में लाये गये हैं। उत्पत्ति कार्य तथा वैज्ञानिक कृषिकार्य चल रहा है।

(ग) वर्तमान परियोजना ३१ मार्च १९५४ को समाप्त होने वाली है।

भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी

४९८. **बाबू रामनारायण सिंह**: क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १५ अगस्त १९४७ से अब तक भूत-पूर्व सैनिक कर्मचारियों ने राज्य के विरुद्ध कितने ऐसे दीवानी मुकदमे दायर किये हैं जिन का सम्बन्ध उनकी उपलब्धियों तथा उनकी अनुचित सेवा विमुक्ति से है ; तथा

(ख) ऊपर भाग (क) में दिये गये मुकदमों में कितने मुकदमे ऐसे हैं जिन के सम्बन्ध में प्रथम न्यायालय ने वादी पक्ष के हक्क में डिग्री दी है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) तथा (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा इसे यथासमय सदन पटल पर रख दिया जायगा।

कोलम्बिया से एक प्रोफ़ेसर का आगमन

४९९. **श्री ए० के० गोपालन**: क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कोलम्बिया, संयुक्त राज्य अमरीका से आया एक प्रोफेसर भारत का दौरा कर रहा है ;

(ख) उसका कार्यक्रम क्या है तथा इसका उद्देश्य क्या है ; तथा

(ग) क्या भारत सरकार की सलाह से उसका कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) से (ग). मुझे ऐसे किसी पर्यटक प्रोफेसर का कोई ज्ञान नहीं तथा न ही इस बात का ज्ञान है कि भारत सरकार ने उसके दौरे का कार्यक्रम तैयार करने में कोई सहायता दी है।

केन्द्रीय सचिवालय में सचिव

५००. **पंडित सी० एन० मालवीय**: क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल १९४७ में रक्षा विभाग सहित भारत सरकार के सचिवालय में कुल कितने संयुक्त सचिव तथा अपर सचिव थे ; तथा

(ख) इस समय उनकी संख्या क्या है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) संयुक्त सचिव—३९। अपर सचिव—६ (जिस में कि १ पदेन अपर सचिव भी शामिल है।)

(ख) संयुक्त सचिव—४७ (जिस में पदकारणात संयुक्त सचिव तथा संयुक्त सचिव पद के २ विशेषाधिकारी भी शामिल हैं)। अपर सचिव—४ (जिस में ३ पदेन अपर सचिव शामिल हैं)।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय ज़िलों में डाकख़ाने

५०२. **श्री भक्त दर्शन**: क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९४७-४८, १९४८-४९, १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ के वर्षों में उत्तर प्रदेश के पांच पहाड़ी ज़िलों अर्थात् देहरादून, गढ़वाल, टिहरी-गढ़वाल, अल्मोड़ा तथा नैनीताल में से प्रत्येक जिले में कुल कितने नये डाकखाने तथा तारघर खोले गए तथा किन किन स्थानों पर खोले गए ;

(ख) क्या यह सभी के सभी अपने काम में सफल रहे हैं अथवा क्या उन में से कुछेक बाद में बन्द कर दिये गए ;

(ग) यदि बन्द कर दिये गये तो किन कारणों से ;

(घ) इन पांचों जिलों में से इस प्रत्येक जिले में इस समय कुल कितने डाकखाने तथा तारघर चल रहे हैं ; तथा

(ङ) १९५२-५३ में इन में से प्रत्येक जिले में कितने नये डाकखाने तथा तारघर खोले जाने की प्रस्थापना है तथा किन किन स्थानों पर ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) दो विवरण, जिन में अपेक्षित सूचना दी गई है, साथ रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४७]**।

(ख) तथा (ग). केवल दो ही डाक खाने, एक सनवाल (गढ़वाल) में तथा दूसरा लोहिडा (अल्मोड़ा) में, बन्द कर दिये गए क्योंकि यह अनुमत सीमा से अधिक घाटे पर चल रहे थे। कोई तारघर बन्द नहीं किया गया है।

(घ) उत्तर प्रदेश के पांच पहाड़ी जिलों में स्थित डाकखानों तथा तारघरों की कुल संख्या नीचे दी जाती है।

	देहरा-दून	गढ़-वाल	टिहरी-गढ़वाल	अलमोड़ा	नैनी-ताल
डाकखने	६३	१४७	१५	१४९	५०
तारघर	१८	१२	३	८	१३

(ङ) तारघर जिन्हें खोलने की प्रस्थापना है :—

देहरादून—

टिहरी-गढ़वाल—

गढ़वाल—चन्द्रपुरी तथा थराली

अल्मोडा—बागेश्वर, अस्कोट तथा द्वार-हाट।

नैनीताल—रुद्रपुर तथा गोकलनगर।

१९५२-५३ में ग्राम डाकखाने खोलने के संबंध में क्या नीति बर्ती जायगी, इस पर अभी विचार ही हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी ज़िलों में सभी ऐसे ग्रामों में डाकखाने मौजूद हैं जहां की जन संख्या २००० है।

टेलीफ़ोन एक्सचेंज

५०३. श्री भक्त दर्शन : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९४७-४८, १९४८-४९, १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ के वर्षों में उत्तर प्रदेश के पांच पहाड़ी जिलों, अर्थात् देहरादून, गढ़वाल, टिहरी-गढ़वाल, अल्मोड़ा तथा नैनोताल में से प्रत्येक जिले में कितने नये टेलीफोन एक्सचेंज तथा पब्लिक काल आफ़िस खोले गये तथा किन किन स्थानों पर खोले गए ?

(ख) क्या यह सारे के सारे अपने काम में सफल हुये हैं अथवा क्या इन में से कुछेक बाद में बन्द कर दिये गए;

(ग) यदि बन्द कर दिये गये हैं तो किन कारणों से ;

(घ) इन पांच पहाड़ी ज़िलों में से प्रत्येक में अब कुल कितने टेलीफोन एक्स-चेंच तथा पब्लिक काल आफिस हैं ; तथा

(ङ) १९५२-५३ में इन जिलों में से प्रत्येक में कितने टेलीफोन एक्सचेंज तथा पब्लिक काल आफिस खोलने की प्रस्थापना है तथा किन किन स्थानों पर खोलने की प्रस्थापना है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४८**]

(ख) जी हां। सारे के सारे चल रहे हैं। कोई भी बन्द नहीं किया गया है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(घ) —

पब्लिक काल आफिस एक्सचैंज

देहरादून	१५	४
गढ़वाल	१०	२
टिहरी-गढ़वाल	१	—
अल्मोड़ा	४	२
नैनीताल	११	२

(ङ) चालू वर्ष में जिला गढ़वाल में बदरीनाथ, जोशीमठ तथा नन्दप्रयाग के स्थानों पर तीन पब्लिक काल आफिस पहले ही खोले जा चुके हैं। इस वर्ष में और अधिक पब्लिक काल आफ़िस खोलने का कोई विचार नहीं । बदरीनाथ (जिला गढ़वाल) तथा रुद्रपुर तराई (जिला नैनीताल) में इस वर्ष दो एक्सचैंज खोले जायेंगे ।

हैदराबाद से खाद्यान्न

५०४. श्री वाघमारे: (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५१ तथा १९५२ के वर्षों में केन्द्र ने हैदराबाद राज्य से कुल कितना अनाज प्राप्त किया है ?

(ख) इन्हीं दो वर्षों में केन्द्र ने हैदराबाद राज्य को कुल कितना अनाज तथा किस प्रकार का अनाज दिया है ?

(ग) क्या हैदराबाद क़ानून के अन्तर्गत इस तरह से आयात अथवा निर्यात किये गए अनाज पर 'करोडगिरी' के रूप में कोई शुल्क लिया जाता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) हैदराबाद ने १९५१ में केन्द्र को ३३० टन लम्बी गेहूं दे दी तथा १९५२ में इसी अनाज के ६६० टन दे दिये ।

(ख) १९५१ में हैदराबाद को १,२९,००० टन अनाज दे दिया गया ; जिस में चावल १७,००० टन, गेहूं ९६,००० टन तथा अन्य अनाज १६,००० टन थे । १९५२ में उन्हें इस समय तक ५१,२०० टन अनाज दे दिया गया है जिस में चावल ३९०० टन, गेहूं ३८,९०० टन तथा अन्य अनाज ८,४०० टन है ।

(ग) हैदराबाद सरकार से इस बारे में सूचना मांगी गयी है, तथा ज्यों ही यह उपलब्ध होगी तो इसे सदन पटल पर रख दिया जायगा ।

खाद्यान्नों का समाहार

५०५. श्री वाघमारे: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने को कृपा करेंगे :

(क) क्या खाद्यान्नों के समाहार की नीति विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है, और यदि हां, तो उसके कारण; तथा

(ख) क्या समाहार केन्द्रीय सरकार के आदेश से किया जाता है या राज्य सरकारों के आदेश से ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): समाहार प्रणाली भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है, क्योंकि स्थानीय परिस्थितियां प्रत्येक राज्य में अलग अलग हैं।

(ख) समाहार की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा की जाती है । परन्तु प्रत्येक राज्य के लिये सब से उत्तम प्रणाली क्या होगी इसका फैसला केन्द्रीय सरकार की सलाह से किया जाता है ।

मंगलवार,
२२ जुलाई, १९५२

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पहला सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
19.3.92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

मंगलवार, २२ जुलाई, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिए भाग १)

९-१५ म० पू०

विशेषाधिकारों की समिति

डा० एस० एन० सिन्हा द्वारा सदन पटल पर रख गये अमुक पत्रों के सबन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय का विस्तार :

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) मुझे विदित नहीं कि प्रक्रिया क्या है। आपको इस बात का स्मरण होगा कि मैं ने आसाम के विषय में एक वक्तव्य देने का वचन दिया था। मैं यह वक्तव्य अभी दूं या कि विशेषाधिकारों की समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये समय के विस्तार का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पश्चात।

अध्यक्ष महोदय : जैसे आपकी इच्छा हो आप पहले प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

डा० काटजू : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"डा० सत्यानारायण सिन्हा द्वारा सदन पटल पर रखे गये अमुक पत्रों के विशेषाधिकार के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये समय का विस्तार आने वाले अधिवेशन में दूसरे सप्ताह के पहले दिन तक किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

आसाम बाढ़ के सबन्ध में वक्तव्य

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) ने आसाम राज्य पर भूंचाल तथा बाढ़ के शीघ्र पश्चात ही बाढ़ के रूप में एक और आपत्ति पड़ने पर हार्दिक खेद प्रकट करते हुए कहा :

यह समाचार मिलते ही मैंने मुख्य मंत्री को एक तुरन्त तार भेजा जिसमें हार्दिक सहानुभूति प्रकट करने के साथ ही सारी स्थिति का विस्तारपूर्वक प्रतिवेदन भेजने को कहा। यह भी कहा कि हमें पता दें यदि हम उनकी कोई सहायता कर सकें।

मुख्य मंत्री ने, जिन्हों ने अभिभावित क्षेत्रों का स्वयं दौरा किया, मुझे एक लम्बा तार भेजा है जिसमें उन्होंने बताया है कि लगातार वर्षा होने से ब्रह्मपुत्र और इसकी अधिकांश सहायक नदियों में एक साथ पानी चढ़ गया जिस से लगभग १०,००० वर्ग मील के क्षेत्र में बाढ़आया। अधिकतम अभिभावित जिले लक्षिमपुर, कामरूप, नौगांग और गोलपारा हैं। अभी तक केवल ५२ व्यक्ति के मृत्यु का प्रतिवेदन मिला है, परन्तु बहुत सी नौकायें डूबी हैं और अभिभावित क्षेत्रों में ढोर बिना चारे के फसे हुए हैं। आसाम रेल जोड़ कई स्थानों पर टूटा हुआ बताया जाता है और यही हाल

[डा० काटजू]

अमीनगांव से आसाम सीमा तक की रेलवे लाइन का है । रेलें अभी कहीं कहीं ही फिर से चलाई गई हैं । ब्रहमपुत्र के दोनों ओर आसाम ट्रंक रोड पानी के नीचे है और इस कारण विभिन्न जिलों में यातायात में विघ्न पड़ा है । गारो पहाड़ियों और दक्षिण लक्षिमपुर जाने वाले स्थल मार्ग भी रुके पड़े हैं और अन्य भीतरी सड़कें भी पानी के नीचे हैं । केवल अति महत्वपूर्ण डाक ही आसाम जाती और वहां से आती है और जहां तक साधारण डाक का सम्बन्ध है, आसाम तो भारत के शेष भागों से पृथक हो गया है । रास्ता कट जाने से भी अमुक जिलों का डाक आना जाना रुक गया है । सादिया तथा मोरकांग-सेलेक के दो छोटे वायुयान-क्षेत्र भी शेष क्षेत्रों से पृथक हो गये हैं । जो धान की फसल अभी काटी नहीं गई है उसको भी बहुत हानि पहुंची है । यही अवस्था सर्दियों के धान के बीजाकुंरों की तथा खेतों में गहरे पानी में जो धान है उसकी है सारे अभिभावित क्षेत्रों में कई धान्यागार तथा एक सरकारी गोदाम पानी में हैं पर अभी तक उपहृत फसल की मात्रा के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

दिबूगढ़ और सादिया जिले जमीन के कटने से भी अभिभावित हुए हैं जिस में अभी तक कोई कमी नहीं हुई है । आसाम सरकार ने उपदानमूलक सहायता के लिये दो लाख रुपये की मंजूरी दी है और कृषि सम्बन्धी ऋण के लिये सवा दो लाख की । आवश्यकतानुसार और रुपये का बटन किया जा रहा है । जिला पदाधिकारी, जितनी सम्भव हो, सहांयता दे रहे हैं और उनको अनुदेश दिया गया है कि धान के बीजों तथा बीजाकुरों के संभरण की व्यवस्था करें । राज्य सरकार का स्वास्थ्य विभाग रोग आपत्ति के निवारणार्थ आवश्यक कार्यवाही कर रहा है । हां, संचार में बाधा पड़ने के कारण अभी पूरा वृतांत प्राप्त नहीं हुआ है ।

मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार से निम्न रूप में सहायता की मांग की है :

(१) तात्कालिक वितरण के लिये १०,००० मन शालि जिसका मूल्य दो लाख रुपये है ।

(२) उपदानमूलक सहायता अन्न तथा भेषज के वितरण के लिये नगद तथा मालो सहायता ।

(३) ढोर के शरणस्थान तथा बेघर हुए आदिवासियों के पुनर्वास के लिये सुक्रेतिगं वायुयान-क्षेत्र का उपयोग ।

(४) कुनैन, प्लाड्रीन, थेलेजान, सल्फा-डाईजीन तथा पेनिसिलीन आदि अमुक औषधियों का तात्कालिक वितरण ।

स्वास्थ्य मंत्रालय रेड क्रास भान्डार में से ५५ हजार रुपये मूल्य वाली औषधियां विनान्तर भेजने की व्यवस्था कर रहा है । इसी भान्डार में से थोड़े दिनों तक ४०,००० रुपये मूल्य वाले भेषज के संभरण करने की भी व्यवस्था की जा रही है । डेनिश रेड क्रास से निकट भविष्य में आने वाले १०,००० पौंड दुग्ध चूर्ण भी आसाम भेजा जायेगा ।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने आसाम सरकार को सूचना भेजी है कि यथावश्यक मात्रा में अनाज भेजा जाना सम्भव है यदि उसके लिये जाने का प्रबन्ध हो सके ।

आसाम सरकार द्वारा नगद तथा माली सहायता के लिये की गई प्रार्थना पर तात्कालिक विचार हो रहा है ।

इस सारी जानकारी का आधार १८ तारीख को शिलांग से भेजी गई विस्तृत तार है ।

मेरे पास अभी तक मुख्य मंत्री का और कोई तार नहीं आया है और उनके साथ शिलांग में दूरभाष पर बात चीत करना अति कठिन है । यह तो कहने की बात ही नहीं कि हम इस प्रार्थना की ओर शीघ्रता से सहानुभूति पूर्ण ध्यान देंगे और आसाम को इस क्षति के कष्ट से छुटकारा दिलाने के लिये जो भी सहायता सम्भव हो, देंगे । मैं राज्य के लोगों की ओर इस संसद की हार्दिक सहानुभूति प्रकट करता हूं ।

डा० एस० पी० मुखजी (कलकत्ता दक्षिण पूर्वी): मैं कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता । मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री के वक्तव्य से ज्ञात होता है कि संचार में पूर्ण रूप में बिघ्न पड़ा है । संचार का पुनःस्थापन सहायता दिये जाने के लिये भी अत्यावश्यक है । इसको उच्चतम पूर्ववर्तिता दी जानी चाहिये सरकार को इस बारे में क्या कुछ करने का बिचार है ?

डा० काटजू : सब से पहले यह आवश्यक है कि बाढ़ का पानी कम हो जाये । ऐसा होते ही निस्सन्देह राज्य सरकार अपने विभागों द्वारा संचार के पुनःस्थापन का कार्य आरम्भ करेगी । यदि वह हम से भी सहायता मांगे तो वह भी दी जायेगी ।

डा० मखर्जी : ऐसी अवस्था में तो सेना से सहायता लेना अत्यावश्यक है ।

श्री बमन (उत्तर बंगालरक्षित अनुसूचित—जातियां): मैं ने जो उत्तर बंगाल में आसाम के सदृश आई आपत्ति के विषय में दो अल्प सूचना वाले प्रश्न रखे थे, उनका क्या हुआ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): वे परसों उठाये जायेंगे ।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी): श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं .....

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति । मुझे डर है कि मुझे इस विषय में कटु नीति अपनानी पड़ेगी । माननीय सदस्य को, दूसरे आसन पर बैठे हुए, यह प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जा सकती है । मैं ने माननीय सदस्यों से प्रार्थना की है कि वह, जहां तक सम्भव हो, एक ही आसन पर या कहीं निकट ही बैठा करें। नहीं तो अध्यक्ष को एक सदस्य पहचानने में कठिनाई होती है ।

जो भी सुझाव वह देना चाहते हों, सदस्य गृह कार्य मंत्री को दें । मैं उनको इस विषय में अग्रेतर वक्तव्य देने की अनुमति दूंगा ।

निवारक निरोध (द्वितीय संशोधन) विधेयक से प्राप्त हुई याचिकायें

श्री बर्तक (थाना): मैं निवारक निरोध अधिनियम, १९५० के पुनः संशोधन सम्बन्धी विधेयक के विषय में याचिकाओं के बारे में समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

निवारक निरोध द्वितीय संशोधन) विधेयक---जारी

अध्यक्ष महोदय: १७ जुलाई, १९५२ को डा० कैलाश नाथ काटजू द्वारा किये गये इस प्रस्ताव पर अब सदन अग्रेतर विचार करेगा कि :

> "निवारक निरोध अधिनियम, १९५० के पुनः संशोधन सम्बन्धी विधेयक को विचार में लिया जाये ।"

इसके साथ तीन संशोधन हैं जिनको दोहराने की आवश्यकता नहीं ।

इस के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक पर संवैधानिक, वैधानिक तथा अन्य दृष्टिकोणों से लम्बी चर्चा की गई है । इसलिये मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि वह पुनः वही बातें न दोहरायें और केवल उन तथ्यों

[अध्यक्ष महोदय]

अथवा युक्तियों की ओर निर्देश करें जिन पर अभी तक विचार न हुआ हो।

मैं अब श्रीमती सुभद्रा जोशी को अपना भाषण जारी करने को कहता हूं। माननीया सदस्या ने अपने आसन को ऐसे बदला है कि मैं देख ही नहीं सका था कि वह उपस्थित हैं या नहीं। इस से बहुत असुविधा होती है। मैं तो किसी सदस्य का नाम देख कर उसी आसन की ओर देखता हूं जहां वह सामान्य रूप में बैठते हैं। मैं उन से प्रार्थना करता हूं कि आगे अपने ही आसन पर वह बैठा करें।

श्रीमती सुभद्रा जोशी (करनाल): अध्यक्ष महोदय, मैं कल इस बात का ज़िक्र कर रही थी कि देश में हालत ऐसे हैं कि जब तक इस क़िस्म का कोई क़ानून हमारी हुकूमत के पास नहीं होता है तब तक उन हालात पर क़ाबू पाना मुश्किल है। इस सिलसिले में मैं कल औरतों का ज़िक्र कर ही थी और अर्ज़ कर रही थी कि जब से यह जमातें आर्गेनाइज़ (संघटित) हुई हैं, या थोड़ा ज्यादा जनता के सामने आई हैं, ख़ास कर सन् १९४७ के दंगों के बाद, हम लोग यह देख रहे हैं कि किसी न किसी बहाने से कभी पाकिस्तान में जो हमारी बहनें हैं उन का नाम ले कर, कभी यहां धर्म के नाम से, कभी किसी बदला लेने के बहाने से औरतों की इज्ज़त को ख़तरे में डाल दिया जाता है और जैसा मैं ने पहले कहा कि उन्हों ने ऐसे ऐसे तरीके निकाले हैं जिन पर पेश पाना बहुत मुश्किल है। और जो उन के लीड (नेतृत्व) करने वाले होते हैं वह कभी सामने नहीं आते हैं। इसी सिलसिले में मैं आप से कह रही थी, अध्यक्ष महोदय, कि यह तकरीबन रोजमर्रा की बातें हो गई हैं। देश के कोने कोने से ऐसी बातों के ज़िक्र रोज़ आते रहते हैं। मैं एक स्पेसिफिक (विशेष) बात का ज़िक्र करना चाहती हूं। दो साल हुए जब कि इसी तरह का क़िस्सा हिसार के इलाक़े में हुआ। वहां के शरणार्थियों और वहां के रहने वालों में आपस में झगड़ा हूआ और एक बहिन का बहुत अपमान किया गया। मुझे ख़ुद वहां जा कर तहक़ीक़ात करने का मौक़ा मिला और मुझे इस बात का बहुत अफ़सोस हुआ कि वहां एक ग्रुप (समुदाय) को हिन्दू महासभा के नेता लीड कर रहे थे। और दूसरे ग्रुप को संघ के लोग लीड कर रहे थे। यहां इसी क़िस्म की बातें रोज़ रोज़ होती हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता कि इन लोगों के लिये क्या किया जाय। मुक़दमे चलते हैं उन लोगों पर जिन को यह भड़काते हैं या जिनसे काम करवाते हैं और यह लोग आराम से बैठे रहते हैं।

मैं और बातों का ज़िक्र न करके केवल एक और बात का ज़िक्र करना चाहती हूं। एक अख़बार जो दिल्ली का है उस में एक ख़बर आई जिस की हैडिंग है "मुसलमान नौजवान झंडेवालान से हिन्दू लड़की को अगवा कर के ले गया।" मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहती लेकिन मैं अपने आनरेबल होम मिनिस्टर की तवज्जह इस तरफ़ दिलाना चाहती हूं और उम्मीद करती हूं कि वह इस बात की अच्छी तरह से तहक़ीक़ात करेंगे। आनरेबल मेम्बर्स की इत्तला के लिये इतना ही कह देना काफ़ी होगा कि जिस नौजवान का यहां ज़िक्र है वह उस लड़की का अपना सगा भाई है और वह लड़की घर से लड़ कर या पिट कर अपने भाई के पास गई थी और उस अख़बार में यह लिखा है:

"दिल्ली, १८ जुलाई, दिल्ली प्रान्तीय हिन्दू महासभा के प्रधान प्रो० राम सिंह

को मुहल्ला सुधार कमेटी के जनरल सेक्रेटरी ने लिखा है : एक शख्स बाबूलाल चमार, झंडेवालान रोड दिल्ली, के लड़के सोहन लाल की बीबी शान्ति को एक मुसलमान नौजवान अनवर जो सराय ख़लील, सदर का रहने वाला है, अगवा कर के ले गया है।" इस तरह की बातचीत होती है । इस का नतीजा यह होता है कि लोगों पर ख़राब असर पड़ता है । इन जमातों के काम करने के तरीके ऐसे होते हैं कि मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि सन् १९४७ के बाद से कम से कम मैं दिल्ली में यह देखती आ रही हूं कि हर १५, २० दिन पर या महीने के बाद एक न एक मुसलमान मुहल्ले को किसी बहाने से घेर लिया जाता है और वहां औरतों का, वहां के रहने वाली बहनों का अपमान किया जाता है । इसी तरह से इस क़िस्से में भी सराय ख़लील पर १००-२०० आदमी जमा हो गये और औरतों का अपमान करने की कोशिश की गई और तलाशी लेने की कोशिश की गई उस मुसलिम मुहल्ले की । तो जब से इन जमातों ने ऐसे मामलों में औरतों पर हाथ उठाना शुरू कर दिया तो उन्हों ने हमारे देश में देहातों और शहरों की फ़िजा को ख़राब कर दिया और जैसा मैं ने अभी आप से कहा कि अगर कोई किसी पर उंगली उठाये तो लोग यह नहीं देखते हैं कि किसी का अपमान हो रहा है, वह समझते हैं कि इस से हमारा क्या ताल्लुक़ है । आप उस का मज़हब पूछते हैं, उस का धर्म पूछते हैं, आप पूछते हैं कि औरत अच्छी है या बुरी । इन जमातों ने वैल्यूज़ (माहात्म्य) को चेन्ज (परिवर्तित) कर दिया है और चेन्ज करने की कोशिश करते हैं । मुझे तो इन जमातों के रवैये को देख कर ताज्जुब होता है । उस से एक कन्फ़्यूज़न (घबराहट) पैदा होता है । मुझे ताज्जुब होता है उन जमातों पर जो उन से हाथ मिलाने को तैयार होती हैं । मैं इस बारे में कहना चाहती हूं कि अगर हमारी जमातों के लोग या किसी भी सयासी जमात के लोग इन जमातों के साथ हाथ मिलाते हैं तो मुझे उन की औरतों की तरफ़ से कहना पड़ेगा कि वह लोग निहायत निकम्मे पति हैं और निकम्मे भाई हैं, निकम्मे और अनग्रेटफुल सन्स (कृतघ्न पुत्र) हैं अपने माता और पिता के ।

जिस तरह की हवा यह जमातें बनाती हैं उस तरह की हवा में हमारे बच्चों की ट्रेनिंग अच्छी नहीं हो सकती न उन्हें अच्छी तालीम मिल सकती है । मैं तो चाहती हूं कि कोई इस क़िस्म का क़ानून हमारी हुकूमत के पास हो जिस से वह इन लोगों के साथ सख़्ती के साथ पेश आ सके ।

जो दूसरी बात मैं आप से अर्ज़ करना चाहती हूं वह थोड़ा सा माइनारिटीज़ (अल्प-संख्यक वर्गों)के बारे में है ।

ऐसे क़िस्से चलाते हैं हमारी इन जमातों के नेता कि मैं यह महसूस करती हूं कि मामूली क़ानून से, और मामूली कोर्टस (न्यायालयों) में और मामूली मुक़दमों से इन लोगों का कोई इन्तिज़ाम नहीं हो सकता । मैं इस तरफ़ आप की तवज्जह दिलाना चाहती हूं । हमारे अख़बारों और हमारे इन जमातों के नेताओं की स्पीचेज़ से मालूम होता है कि यह देश के कोने कोने में बलवे कराना चाहते हैं । और, अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में मैं यह अर्ज़ करना चाहती हूं कि यह सिर्फ़ मुसलमानों के ही लिये नहीं किया जाता है, बल्कि इस क़िस्म की स्पीचेज़ देकर यह लोग सिख और हिन्दुओं में भी लड़ाई करवाना चाहते हैं । मैं ने सुना है कि कोई ऐसा क़ानून है कि अगर कोई हिन्दुस्तान के रहने वालों में नफ़रत पैदा करता है तो वह क़ानून उस के ख़िलाफ़ इस्तैमाल किया जाता है । लेकिन मैं ने उस को इस्तैमाल होते नहीं देखा ।

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

वह क़ानून मुझे इतना कमज़ोर मालूम होता है कि जब तक हमारी हुकूमत के हाथ में ऐसी ऐग्ज़ीक्यूटिव पावर्स (कार्यपालिका शक्ति) नहीं होंगी तब तक ऐसे लोगों का इलाज नहीं हो सकता।

आखिर में मैं आप से यह कहना चाहती हूं, अध्यक्ष महोदय, कि यह जो ग्रुप्स बने हैं और जो सब क़िस्म की पार्टीज़ मिल कर कांग्रेस गवर्नमेंट का विरोध कर रही हैं वह सिर्फ़ इस लिये यह विरोध कर रही हैं कि यह कांग्रेस गवर्नमेंट है, इस से देश में एनार्की (अराजकता) पैदा हो गई है। आप अन्दाज़ा लगायें। एक तरफ़ कम्युनिस्ट पार्टी है, एक तरफ़ हिन्दू महासभा और जन संघ है। तो यह क़िस्म क़िस्म की पार्टियां हैं। उन की आइडियालाजी (विचार-धारा) नहीं मिलती है, न उनके रास्ते मिलते हैं। एक तरफ़ हमारे कम्युनिस्ट भाई हैं जो कि एक ऐसी हुकूमत बनाना चाहते हैं कि जिस में सब बराबर के लोग हों। वह एक ख़ास रास्ते पर चलते हैं। हथियार जमा करते हैं, मारते हैं, मरवाते हैं, और जब मरवाने लगते हैं तो लोग ज्यादा भी मारे जाते हैं। तो यह लोग आखिर एक इकानामिक थ्योरी (आर्थिक सिद्धान्त) रखते हैं, और उनकी आइडियालाजी किसी पोलिटिकल थ्योरी (राजनैतिक सिद्धान्त) पर बेस्ड (आधारित) है। पर जो दूसरी जमातें हैं उन से उन का कोई मिलान नहीं है। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि यह जो पार्टियां मिल कर आपस में गुट बनाती हैं तो जनता कनफ़्यूज़ हो जाती है। इस तरह से यह जनता में एनार्की की भावना पैदा करते हैं। तो मैं आप से यह अर्ज़ करना चाहती हूं कि इन के आपस में मिल जाने से ऐसी हवा पैदा हो गई है कि मैं इस बात को अच्छी तरह से महसूस करती हूं कि मामूली क़ानून से, मामूली अदालतों से, कुछ होने वाला नहीं है। और मैं चाहती हूं कि हुकूमत इस बिल को जल्दी पास करके फ़ौरन यह ताक़त अपने हाथ में ले। मैं इस बात का अनुमोदन करती हूं कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये। पर मैं इस बात के ख़िलाफ़ हूं कि इस को सरकुलेट (परिचालित) किया जाय पबलिक ओपिनियन (जनता की राय लेने) के लिये क्योंकि हम यहां पबलिक के नुमायन्दे हैं। अगर इसको पबलिक ओपिनियन के लिये सरकुलेट किया जायगा तो इन लोगों को एक बहाना मिल जायगा और जिस तरह यह और चीज़ों को ले कर समाज में ऊधम मचाते हैं इसी तरह इस बहाने को ले कर मचायेंगे। मैं चाहती हूं कि उन को फिर से ऐसा करने का बहाना न दिया जाय।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : कल जब हम ने इस विधेयक के प्रस्तुत किये जाने पर भी विरोध किया था, तो हमारे मित्रों ने आश्चर्य प्रकट किया। मैं उन को याद दिलाना चाहता हूं कि भूतकाल में जब वह भी हमारे पक्ष में थे, इस विषय के सम्बन्ध में उनकी भी मेरी जैसी ही नीति थी। इस विधेयक के माननीय प्रस्तावक ने कल कहा कि हम लोग इस विधेयक की पुरःस्थापना अवस्था में ही इसका विरोध केवल पक्षपात की भावना के आधार पर कर रहे हैं। श्रीमान्, मैं इन को कहना चाहता हूं कि यह भी केवल पक्षपात की भावना से इस विधेयक को प्रस्तुत कर रहे हैं। इन के एक अनुयायी, श्रीमती सुभद्रा जोशी ने अभी अपने वक्तव्य में स्पष्ट रूप में कहा कि :

"यह कांग्रेस के विरोधी गुट हैं। यह सब गड़बड़ पैदा करते हैं। कांग्रेस का काम चलने नहीं देते। इन्हें इस ऐक्ट के मुताबिक बन्द कर दिया जाये।"

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

डा० एन० बी० खरे : हमें इस बात पर कुछ भी आश्चर्य नहीं कि इस काले विधेयक (ब्लैक बिल) को, इसकी कालावधि बढ़ाने के अभिप्राय से, पुनः हमारे समक्ष रखा गया है। यह काला विधेयक हमारे लिये इस कारण आश्चर्यजनक नहीं कि इस समय देश में सभी कुछ काला ही है । काले विधेयक हैं, काले प्रशासक हैं और काला बाज़ार है । केवल एक टोपी सफ़ेद है और यह भी अब, दुर्भाग्यवश दिल्ली या अन्य स्थानों के बाज़ारों में जलाई जा रही है । कांग्रेस सरकार की यदि ऐसी ही मनोवृत्ति है तो मैं बिना संकोच कह सकता हूं कि यह गांधीवादी गोडसे हैं।

इस काले विधेयक की तो उस भयानक सर्प से तुलना की जा सकती है जो किसी भी जीव को नष्ट कर सकता है । जैसे कि श्रीमती सुभद्रा जोशी ने अभी प्रकट किया—और मुझे कोई सन्देह नहीं कि ऐसा होगा—कि इस विधेयक को विशेषकर साम्यवादियों, समाजवादियों, महासभा वालों तथा जनसंघियों के विरुद्ध उपयोग में लाये जाने का विचार है ।

अभी अभी सदन में हिन्दू-मुस्लिम व्यवहार तथा विवाह की ओर निर्देश किया गया । मैं पूर्ण उत्तरदायित्व से यह कहता हूं कि इस विधेयक के सम्बन्ध में सदा साम्प्रदायिकता का एकांगी दृष्टिकोण रखा जाता है ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । इनको बोलने दीजिये ।

डा० एन० बी० खरे : 'नहीं, नहीं' न कहिये । मैं उदाहरण दे दूंगा ।

हैदराबाद राज्य के आदिलाबाद ज़िले में कुछ मास पूर्व दो पाकिस्तानी गुप्तचर संवाद तथा जवाद के झूठे नाम देकर आये । उन्हों ने पाकिस्तान के "हिन्दुस्तान हमारा है" नामक दल की शाखा खोली, चन्दा इकट्ठा किया और फिर भाग गये । जब यह बात फैल गई तो ज़िला के समाहर्त्ता और वहां के पुलिस के निर्देशक ने, जो मुसलमान है, दण्ड-प्रणिधि गुप्तचर विभाग के एक उप-निरीक्षक को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया । इसके परिणामस्वरूप उक्त दो व्यक्ति को निवारक निरोध अधिनियम के अधीन बन्दी बनाया गया। पर उस के पश्चात् जामियत-उल-उलेमा ने सरकार पर दबाव डाला और इन व्यक्तियों को क़ानून के विरुद्ध छड़वाया । इससे भी तृप्त न हो कर, उन्हों ने उपनिरीक्षक को नौकरी से निकलवाया। क्या यह मुसलमानों के पक्ष में साम्प्रदायिकता का एकांगी दृष्टिकोण रखना नहीं है ।

दिल्ली में जिस विवाह में विघ्न पड़ने के कारण विलम्ब हुआ, उसके सम्बन्ध में हिन्दू महासभा पर यह अप्रत्यक्ष आरोप लगाया गया कि इसी संगठन ने झगड़े को उकसाया । मैं पूरे ज़ोर से कहता हूं कि यह आरोप ग़लत है । हमें इन विवाहों की कोई चिन्ता नहीं । पर यदि सरकार शान्ति स्थापित रखना चाहती है तो देश में कोई ऐसी बात न होने देनी चाहिये जिस से शान्ति भंग होने की सम्भावना हो। यही ऐसे विवाहों के विषय में कहा जा सकता है जो समाज की शान्ति में विघ्न डालें । पर ऐसा करने के विरुद्ध सरकार ने निवारक निरोध अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति को बन्दी बना लिया जिन पर शान्ति भंग करने का झूठा आरोप लगाया गया था ।

ऐसा ही एक और मामला है । अजमेर में एक हिन्दू लड़की कुछ मुसलमानों के क़ब्ज़े में थी । इस पर बड़ी सनसनी फैल गई और अजमेर के एक समाचारपत्र के सम्पादक को बन्दी बना लिया गया । यह वृत्तान्त अजमेर के समाचारपत्र "जन शक्ति" में दिया गया

[डा० एन० बी० खरे]

है। इस सम्पादक को बन्दी बनाने का कारण यह बताया गया है :

"कि तुम अपने लेखों व ज़बान से मुसलमानों व स्थानीय लोगों के ख़िलाफ़ घृणा व द्वेष फैलाते रहे हो। तुम्हें अनेक बार सन् १९४८ से ५२ तक चेतावनी भी दी गई। बावजूद इसके मई १९५२ में तुमने शहर में 'कुमारी भगवन्ती देवी कुछ मुसलमानों के क़ब्ज़े में है' इस नारे को उठा कर हिन्दुओं को मुसलमानों के विरुद्ध हिंसात्मक रूप से उभाड़ने की चेष्टा की।'

यह भी एसे ही विवाह का मामला है। सरकार प्रत्येक बार हस्तक्षेप करती है। मुझे बताया गया है कि दिल्ली के कान्स्टीट्यूशन क्लब में विवाह के दिवस पर ३०० सरकारी पुलिस के आदमी थे। मालूम पड़ता है कि विकृत रूप तथा मिथ्या धारणा वाली धर्मनिरपेक्षता के पालनार्थ सरकार ने एक विवाह करण खोल रखा है जिस के द्वारा हिन्दू कन्याओं का विवाह मुसलमानों से कराया जाता है। यदि यही धर्मनिरपेक्षता है तो मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं।

मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि केवल मैं ही ऐसा नहीं कहता हूं। यद्यपि मैं हिन्दू महासभा का प्रधान हूं, मेरे मन में मुसलमानों के प्रति कोई शत्रुता का भाव नहीं। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिकृत मुखपत्र, 'कांग्रेस संदेश' के २३ जून, १९५२ के अंक में कहा गया है :

"फिर भी इंडियन यूनियन में रहने वाले मुस्लिम लोग आज भी इसी तरह 'अपना लक्ष्य—पाकिस्तान' और 'पाकिस्तान—ज़िन्दाबाद' पुकारें तो किसी न किसी तरह उसे रोकना चाहिये। आज पाकिस्तान से इसी तरह एक हिन्दू 'भारत सरकार—ज़िन्दाबाद' कहे तो उसको उसी क्षण में इस दुनिया को छोड़ कर चले जाना पड़ेगा। पिछले हफ्ते में एक अख़बार में पढ़ा है कि मुस्लिम लोगों को रमज़ान के वक्त स्पेशल राशन दिया जायेगा। मेरी राय यह है—मैं एक कांग्रेसी पत्र पढ़ रहा हूं—मेरी राय यह है कि आजकल उनको स्पेशल राशन देने की ज़रूरत नहीं। उनके बीच में अस्सी प्रतिशत भारत सरकार से प्रेम नहीं करते। यह तो ठीक है कि वे मौक़ा पायें तो भारत सरकार के ख़िलाफ़ झंडा फहरायेंगे।"

यह है एक कांग्रेस के अधिकृत मुखपत्र की राय। जब तक सरकार साम्प्रदायिकता का एकांगी दृष्टिकोण रखने की नीति का त्याग न करेगी, देश में शान्ति नहीं रह सकती।

काश्मीर के विषय में भी यही एकांगी दृष्टिकोण रखा जाता है। मैं हिन्दू महासभाई हूं। मैं कहता हूं कि मैं सर्वप्रथम एक भारतीय हूं, फिर हिन्दू और फिर महाराष्ट्री। शैख अब्दुल्लाह ने, जिन्हें शेर-ए-काश्मीर कहा जाता है, हाल ही में दिल्ली आने से पूर्व श्रीनगर में एक भाषण दिया जिसको कांग्रेसी समाचारपत्र, "हिन्दुस्तान टाईम्स" ने प्रकाशित किया है। उन्हों ने कहा है, "मैं सर्व प्रथम एक मुस्लिम हूं, फिर काश्मीरी, और फिर भारतीय।" उनको उच्चतम कोटि का राष्ट्रीयतावादी समझा जाता है और मैं माना जाता हूं एक कलंकित साम्प्रदायिकता वादी। जब १९५० में अप्रैल के महीने में, पाकिस्तान के स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्री लियाक़त अली ख़ान, यहां आये तो ७०० मील दूर बम्बई में श्री सावरकर को निवारक निरोध अधिनियम के अधीन रोका गया था। मैं इतना मूर्ख नहीं कि मैं श्री लियाक़त अली ख़ान को मार डालता। पर मुझे भी दिल्ली से आधी रात को निकाला गया। मेरे साथ कई पुलिस कर्मचारी थे। इस प्रकार इस अधिनियम का पालन किया जाता है।

प्रधान मंत्री ने कल अपने भाषण में कहा कि यदि हमें काश्मीर चाहिये तो हमें काश्मी-

रियों के प्रति प्रेम भाव प्रकट करना चाहिये। हमारे प्रति भी ऐसी ही भावना रहनी चाहिये थी। पर नहीं। हमारे लिये निवारक निरोध है।

दूसरे पक्ष वाले इस बात पर ज़ोर दे सकते हैं कि यह अधिनियम बढ़ते हुए साम्यवाद का मुक़ाबला करने के लिये आवश्यक है। पर साम्यवाद केवल प्रचार के आधार पर ही फैल नहीं सकता। इस के फैलने का करण देश में दरिद्रता और कष्ट है और इसको रोकने के लिये इन बुराइयों को हमें दूर करना है। इनको उन दमनकारी क़ानूनों द्वारा दूर नहीं किया जा सकता जो लोकतन्त्र के मूल सिद्धान्तों के विपरीत हों। मैं अनुभव करता हूं कि वर्तमान अवस्था में न किसी विदेशी आक्रमण का डर है और न ही देश के अन्दर किसी विद्रोह की सम्भावना है। फिर भी सरकार क्यों भयभीत होकर इस विधेयक को पारित करने पर ज़ोर दे रही है? यह ठीक है कि सरकार द्वारा जनता की प्राथमिक अपेक्षायें पूरी न किये जाने के फलस्वरूप देश में बहुत असन्तोष फैल गया है। विस्थापित लोगों की कठिनाइयां दूर नहीं की जा सकी हैं। जनता से राय लिये बिना ही छत्रधारी कांग्रेस ने भुरभुरे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ साज़िश करके देश का विभाजन करना स्वीकार कर लिया। और इस का परिणाम यह रहा कि लाखों निर्दोष लोग मारे गये और निरन्तर निष्क्रमण जारी रहा। श्रीमान्, क्या इन सारी बातों से असन्तोष नहीं फैलता?

यह सब कुछ तो हो गया पर सफलता किस रूप में हुई? केवल इस बात में कि हमें राष्ट्र-मंडलीय सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न गणराज्य के रूप में स्वतन्त्रता मिली। जब हम यह सारी बातें कहते हैं तो दूसरे पक्ष में हमारे जो मित्र हैं उनको हम पर क्रोध आता है जो वह सदन में प्रकट करते हैं। पर, न अनगिनत भाषण तथा चित्र ही इस समस्या को हल कर सकते हैं और न ऐसे अवैध क़ानून ही जिन में विष भरा हो। विचित्र भावी देखिये, जो लोग विभाजन और उसके बुरे परिणामों के लिये उत्तरदायी हैं और जिन्हें एक वास्तविक लोकतन्त्रात्मक देश में बन्दी बनाया जाना चाहिये था, उन ही को आज अपने विरोधी, अर्थात् हम लोगों को बन्दी बनाने का अधिकार है।

उन्हों ने यह अधिकार कैसे प्राप्त किया? तानाशाही से। कल ही सदन में राजाओं के निजी कोष में कमी करने के सम्बन्ध में विधेयक प्रस्तुत किये जाने के समय दूसरे पक्ष के मेरे मित्र हल्ला मचा रहे थे। वह इस विधेयक का विरोध करना चाहते थे। उसी समय प्रधान मंत्री उठ खड़े हुए और उन्हों ने कहा कि विधेयक का विरोध नहीं किया जायेगा। बस, सारा कांग्रेसी विरोध सिमट गया। श्रीमान्, क्या यह तानाशाही नहीं?

इस संसार में हमारा देश विचित्र है। यहां शान्तिकाल में भी बिना परीक्षण मानवाधिकार हरन करने के विषय में उपबन्ध है और कहा जाता है कि हमारा देश लोकतन्त्रात्मक है। इस विचित्रता को हटाना आवश्यक है। अमरीका, इंगलिस्तान और फ़्रांस की संविधि पुस्तकों में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं। मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि इस विधेयक का पारण नहीं होना चाहिये। अधिकार का लोभ बढ़ता ही जाता है और अब मेरे मित्र, गृह कार्य मंत्री, इस विधान को २७ महीने के लिये और चालू रखना चाहते हैं। असामान्य अधिकार का प्रदान कार्यपालिका के लिये एक नशीले भेषज के समान है जिसका जितना ही उपयोग किया जाये उतनी ही लिप्सा बढ़ती है। मदिरापान के प्रतिषेध के लिये यह लोग विधेयक पारित कर रहे हैं। क्या स्वतन्त्रता पर अतिक्रमण की आदत को रोकने के लिये एक विधेयक पारित नहीं किया जा सकता? हमारी सरकार को भयभीत नहीं होना चाहिये

[डा० एन० बी० खरे]

और उन्हें वैयक्तिक स्वतन्त्रता को शान्ति काल में कम से कम उतना महत्व देना चाहिये जितना इंगलिस्तान की सरकार युद्ध काल में देती है।

अब रहा यह प्रश्न कि देश में यदि अशांति फैल जाये तो क्या करें? देश में तो कई लोग हैं जो बिना अनुज्ञप्ति शस्त्र रखते हैं और शांति भंग करते रहते हैं। इसी प्रकार कभी कभी हड़तालों आदि के कारण सामाजिक अशांति फैलती है। पर ऐसी अवस्थाओं में साधारण कानूनों के अधीन कार्यवाही की जा सकती है। इस विशेष विधान की तो कोई आवश्यकता नहीं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

इसी प्रकार साम्यवाद भी दमन से रोका नहीं जा सकता। साम्यवाद पर विजय तभी पाई जा सकती है जब सरकार जनता की कठिनाइयों को समझ कर, उन के प्रति सहानुभूति रखते हुए, लोकहित के काम करे। इस के विपरीत, ऐसे विधान तो लोकतन्त्र करो नष्ट करेंगे। इस देश में लोकतंत्र तभी जीवित रह सकता है जब यहां के लोगों की –जिन में से अधिकांश हिन्दू हैं—संस्कृति, परम्परा तथा बपौती का यथोचित मान किया जाये और प्रोत्साहन दिया जाये। मैं इस विधेयक का दृढ विरोध करता हूं।

श्री जोशिम अलवा (कनारा): श्रीमान्, मैं एक औचित्य प्रश्न पर आपका विनिर्णय चाहता हूं। क्या माननीय सदस्य, जिन्होंने अभी भाषण दिया, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के प्रति अपमान बचन कह सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय में अब और कोई विनिर्णय नहीं दिया जायेगा। मैंने माननीय सदस्य का सारा भाषण नहीं सुना है। यदि कोई अनुचित बात कही गई हो तो अध्यक्ष को यह अधिकार है कि सदन की कार्यवाही के वृतान्त में से ऐसा भाग निकाल दें। औचित्य का प्रश्न उसी समय उठाया जाना चाहिये जिस समय कोई अपमान बचन कहे जायें।

श्री बी० जी० देशपांडे (गुना): श्रीमान्, मैं एक औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय गृह कार्य मंत्री ने स्पष्ट रूप में कहा है कि यह विधेयक एक राजनैतिक दल के विरूद्ध उपयोग में लाने के लिये रखा गया है और उन्होंने इस दल के कुछ सदस्यों के भी नाम लिये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य एक औचित्य के प्रश्न के बदले एक भाषण देना चाहते हैं यदि उन्हें भाषण देने का अवसर मिले, वह इन सब बातों की ओर निर्देश कर सकते हैं। अब श्री जी० एच० देशपांडे अपना भाषण आरम्भ कर सकते हैं।

श्री जी० एच० देशपांडे : मैं इस संशोधन विधेयक का, जिस पर कुछ दिनों से चर्चा हो रही है, समर्थन करता हूं। मेरे पहले जो माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने इस सरकार के प्रति, जिस ने जनमत के आधार पर अधिकार प्राप्त कर लिया है, अति कटु बचन बोले। पर इस से भी यही बात स्पष्ट होती है कि हम अपने विरोधियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वह हमारे प्रति जितने चाहें अपशब्द बोल सकते हैं, केवल उनको अहिंसक रहना चाहिये। उन्होंने हम को विभाजन के लिये उत्तरदाई ठहराया। श्रीमान्, मैं उनसे पूछना चाहता हूं

कि उन्होंने विभाजन को रोका क्यों नहीं ? उस समय उनकी राजनैतिक पटुता कहां थी ? मेरे माननीय मित्र हमारे समक्ष जो विधेयक है उसका कटु विरोध करते हैं। उनके शब्द सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि वह इसी सदन में एक ऐसी सरकार के साथ सहयोग करते थे जो सहस्रों देशभक्तों को बिना निरीक्षण बन्दी बनाये रखती थी। उस समय मेरे माननीय मित्र, डा० खरे की देशभक्ति की भावना कहां थी ? उस समय उनका लोकतंत्र का प्रेम कहां लुप्त था ? मेरे माननीय मित्र हमें समझाना चाहते थे कि हम सब कुछ भूल गय ह। पर भूल तो वह गये हैं कि १९४२ तथा १९४३ में वह कहां थे। सच तो यह है कि माननीय सदस्य के १९४२ तथा ४३ के कारनामे इस देश में आने वाली कई संततियों में भी नहीं भूले जाँयेंगे ।

जिस समय विधेयक प्रस्तुत किया गया, मेरे मन में कुछ कुछ सन्देह था कि क्या इस की कालावधि बढाने की कोई वास्तविक आवश्यकता है परन्तु श्री हिरेन मुखर्जी का लोकतंत्र तथा नागरिक स्वतन्त्रता पर व्याख्यान सुन कर मुझे पूरा विश्वास हुआ कि यह विधेयक परमावश्यक है। मेरे माननीय मित्र यह बताने का प्रयत्न कर रहे थे कि कलकत्ता में उनका आचरण शांतिपूर्ण था। पर बंगाल में हो क्या रहा है ? कहा जाता है कि क्षुधा से पीड़ित लोगों को क्रोध आता ही है। पर एक क्षुधा से पीड़ित मनुष्य अकस्मात ऐसे प्रदर्शन में भाग कैसे लेगा जहां अम्ल बम का उपयोग किया जाये ? ट्रामें क्यों जलाई जाती हैं ? क्या इसीलिये नागरिग स्वतंत्रता की मांग की जा रही है ?

श्री चटर्जी ने कहा कि यह एक अराजक क़ानून है और इंग्लैंड में एसा कोई कानून नहीं। क्या आप को याद है कि हैदराबाद में क्या हुआ ? थोड़े से समय में २५० ईमानदार कांग्रेसियों को ऐसे मारा गया कि न्यायालय में इस अपराध को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। क्या इसीलिये आप नागरिक स्वतन्त्रता की मांग कर रहे हैं। क्या अमरीका या इंगलैंड में गत दो शताब्दियों में कभी ऐसा हुआ है ?

यदि हमारे देश में क्षुधा है तो उसको मिटाना है। पर कैसे ? इस उद्देश्य के लिये जनसाधारण को 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के परिपालनार्थ एकाग्रता से प्रयत्न कराना है। पर कई लोग ऐसे भी हैं जिन के मन में लोकतंत्र के प्रति कोई प्रेम भावना नहीं और जो विदेशों के लोगों द्वारा बहकाये जाने पर भारत में गड़ बड़ पैदा करना चाहते हैं। यह लोग लोकतंत्र के नाम पर लोक तंत्र का ही विरोध करते हैं। पर जिसको यह लोकतन्त्र कहते हैं वह सच्चा लोकतन्त्र नहीं। हमें सावधान रहना चाहिये। हमें बतलाया जाता है कि अब देश में शान्ति है पर कहीं ऐसा न हो कि यह शांति केवल आन्धी की द्योतक हो। ऐसे लोग हैं जो अवसर मिलने की ताक में हैं और यदि हम उनको अवसर दें तो वह पांच वर्ष में किये गये कार्य को निस्सन्देह आध महीने में उधेड़ देंगे। श्रीमान्, भारत में साम्यवाद तो अवसरवाद का दूसरा नाम है। प्रत्येक अवसर का शोषण किया जाता है, और गड़ बड़ फैलाई जाती है। वैधानिक प्राधिकार की जड़ काटने पर यह लोग उतारू हैं। महान प्रयत्न करके जो लोकतन्त्र हमने स्थापित किया है यह लोग उसको नष्ट करने की सोच रहे हैं और यदि इस देश में लोकतन्त्र नष्ट किया गया तो यह केवल हमारे देश और इसकी भावी संततियों के लिये ही नहीं, समस्त मानव जाति के लिये एक विपत्ति होगी। हमें लोक तन्त्र की रक्षा करनी है। और

[श्री जी० ऐच० देशपांडे]

नागरिक स्वतन्त्रता के प्रति हमारे मन में कितनी भी प्रेम भावना हो, हमें इस स्वतन्त्रता को कहीं न कहीं सीमित करना है। नागरिक स्वतन्त्रता रहेगी, पर अनुचित स्वतन्त्रता नहीं। क्या नागरिक स्तंतन्त्रता ऐसे लोगों को दी जा सकती है जो ट्रामों को आग लगाना और रेलें उलटाना चाहते हों? जो लोग चारे के भाण्डारों को आग लगाकर ग्रामों में आतंक मचाना चाहते हों? क्या आप यह चांहते हैं कि इन लोगों को नागरिक नागरिक स्वतन्त्रता देकर करोड़ों की संख्या वाले निर्दोष जन साधारण की नागरिक स्वतन्त्रता का नाम न रहे? क्या आप यह चाहते हैं कि थोडे से मनुष्यों को इस बात का अवसर दिया जाये कि वह करोड़ों लोगों की इच्छा के विरूद्ध उत्पात और भय फैला कर अपनी एक मनमानी सरकार स्थापित करें? ऐसा कभी नहीं हो सकता। सारा संसार इनको जानता है, १९४२ और ४३ में मेरे माननीय मित्र डा० खरे उस सरकार के एक अंग थे जिस ने बिहार में लोगों पर बम गिराये। १९४२ और ४३ में हमारी साम्यवादी दल कहां था? यह हमारी आज इस कारण विरोध कर रहे हैं कि हम वास्तव में लोक तंत्र और नागरिक स्वतन्त्रता चाहते हैं। मैं बिना किसी संकोच के इस विधेयक की समर्थन करता हूं।

डा. जयसूर्य (मेदक): मैं गृह मंत्री को कुछ साफ साफ बातें सुनाना चाहता हूं; वह कहते हैं कि उन्होंने ४० वर्ष न्यायालयों में बिताया हैं। पर यदि एक अधिवक्ता की हैसियत से नहीं अपितु एक न्यायाधीश की हैसियत से ४० वर्ष बिताये होते तो वह इस मामले को निष्पक्ष रूप में हमारे समक्ष रखते। साथ ही वह कहते हैं कि किसी राज्य में उनका जन्म हुआ, किसी राज्य में रहने वाली एक कन्या के साथ उनका विवाह हो गया, किसी और राज्य में उन्होंने जीवन का कुछ भाग बिताया तथा किसी और राज्य के वह राज्यपाल रहे हैं। पर इस कारण वह अपने आप को राज्य विशारद नहीं बतला सकते। राज्य विशारद बनने के लिये तो विशाल हृदय होना तथा मानव को सहानुभूति से समझना आवश्यक है।

बहरे मनुष्य को कोई बात सुनानी हो तो ऊंचा बोलना पड़ता है। और जो मनुष्य सुनना ही न चाहता हो, उसके कानों तक कोई बात पहुंचाने के लिये और भी ऊंचा बोलना पड़ता है। इसी प्रकार जब जनता की पुकार की सुनवाई न हो, तो जनता और जोर से पुकारती है और इसका वही परिणाम निकलता है जिसको मेरे माननीय मित्र ने 'शांति भंग करना' कहा है। यही पुकार आगे बढ़ कर विद्रोह या क्रांति का रूप धारण करती है और इसको कोई भी कानून रोक नहीं सकता।

निवारक निरोध विधेयक का पुरः स्थापन स्वर्गीय सरदार पटेल ने किया था, जिन के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है। उन्होंने कहा था:

"मैं सदन का समय यह बताने में नहीं लेना चाहता कि साम्यवादी किस रूप में राज्य के अस्तित्व के लिये खतरनाक हैं।"

इस के दृष्टिगोचर इस में कोई सन्देह ही नहीं कि यह विधेयक किन के विरुद्ध उपयोग में लाया जाता है। उन्होंने यह भी कहा था कि बलिदमन देकर तथा कष्ट

उठाकर जो स्वतन्त्रता प्राप्त की गई थी उस को सुरक्षित रखना आवश्यक है। अर्थात्, यह दावा किया जाता है कि हमने स्वतन्त्रता बहुत बलिदान के फल स्वरूप प्राप्त की। यह सब को मालूम ही है। स्वतन्त्रता वेस्टमिनस्टर में संसद् द्वारा एक अधिनियम पारित करने से नहीं प्राप्त होती। मेरे लिये तो यह स्वतन्त्रता नहीं थी, केवल हस्तान्तरण था।

पहला विधेयक तो केवल चार घंटे में पारित हुआ। दूसरी बार जब यह नवकरण के लिये प्रस्तुत किया गया, उस समय तात्कालिक गृह मंत्री ने कहा था :

"मैं यहां भागता हुआ आया क्योंकि मैंने सुना कि डा० अम्बेदकर इस सदन द्वारा दो ठोस विधेयक पारित कराने में समर्थ रहे थे जिस की कि मैं कल शाम कोई प्रत्याशा नहीं कर सका था। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि लोग डा० अम्बेदकर के प्रति मेरे साथ ज्यादा बुरा व्यवहार करते हैं।"

अर्थात्, वह एक विधेयक अर्ध समय में पारित कराना चाहते थे। मुझे आश्चर्य है कि एक ऐसे गम्भीर विषय से सम्बन्धित विधेयक जिस में मानवाधिकार का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है, अति शीघ्रता से पारित कराया गया। इसके विपरीत, भारतीय नारियों की प्रगति से सम्बन्धित विधेयक—हिन्दू कोड बिल—आधे रास्ते ही रह गया यद्यपि कहा गया था कि सरकार का अस्तित्व इसी विधेयक के पारित होने या न होने पर निर्भर है। उस सरकार पर मुझे क्या विश्वास रह सकता है जो इस विधेयक के आधे रास्ते पर पड़े रहने पर भी अभी अपना अधिकार संभाले बैठी है।

हमें आश्वासन दिलाया गया कि सरकार ऐसे पदाधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी जो इस अधिनियम का अनुचित उपयोग करें। मुझे अपने माननीय मित्र की सचाई पर संदेह नहीं, पर उनके अधीन जो शासन यन्त्र है उसकी क्या अवस्था है? मैं सरदार पटेल के इस कथन को मानता हूं कि हमारी सरकार अभी नई है और हमें सरकार चलाने का अनुभव नहीं। परन्तु दुःख इस बात का है कि आप की धारणा कुछ ऐसी है कि जो आप करते हैं वही ठीक है और जो अन्य लोग करते हैं वह ठीक नहीं। पिछले संसद् में जब राज्य मन्त्रालय पर चर्चा हो रही थी तो एक सदस्या श्रीमती पदमजा नायडू ने मन्त्रालय पर यह आरोप लगाया कि हैदराबाद जो आदमी भेजे गये थे वह अयोग्य थे। श्री गोपालस्वामी आयंगार ने, जो कि इस विभाग के मंत्री थे, यह पद थोड़ा ही समय पहले संभाला था। उन्हें कुछ पता नहीं था। फिर भी वह बोले कि उनको पूरा विश्वास था कि सरदार पटेल ने देश में प्राप्य उच्च योग्यता वाले पुरुष वहां भेजे होंगे। उनको यह ज्ञात न था कि सरदार पटेल ने स्वयं इसी विषय के सम्बन्ध में मुझे कहा था कि वह कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास उच्च योग्यता वाले मनुष्य थे ही नहीं।

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): मेरे माननीय मित्र को पूरा अधिकार है कि जो चाहें मेरे प्रति कहें, क्योंकि मैं उपस्थित हूं और किसी बात का भी उत्तर दे सकता हूं। पर यह उचित नहीं कि अनुपस्थित व्यक्तियों के विरुद्ध कुछ कहा जाये।

श्री रघवय्या: क्या सरकारी पक्ष के किसी माननीय सदस्य को यह अधिकार है कि वह किसी अन्य माननीय सदस्य के चुनाव की सचाई का प्रश्न उठाये?

उपाध्यक्ष महोदय : इस में कोई औचित्य प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता किसी माननीय सदस्य के चुनाव की ओर यदि साधारण निर्देश किया जाय तो मैं नहीं समझता कि उस में कोई दोष है। फिर भी यदि ऐसी कोई बात हो तो उसी क्षण ऐसा प्रश्न उठाया जाना चाहिये।

डा० जयसूर्य : मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ ठोस निदश करना चाहता हूं क्योंकि इस का परिपालन राज्य सरकारें करेंगी। मैं आप को बताता हूं कि हैदराबाद में क्या हुआ। खम्माम में, सरदार पटेल के आने से पूर्व २,००० मनुष्य बन्दी बना लिये गये और उनको ऐसे आठ तंग खेमों में बन्द कर दिया गया जिन में तीस व्यक्ति प्रति खेमा समा सकते थे। परिणाम यह रहा कि १३ मनुष्य लू लगने और मस्तिष्कछदकोप (मेनन्जयटिस) से मर गये। मैं ने जब सेनापति से पूछा कि इन २,००० में से कितने लोग साम्यवादी थे तो उन्होंने बताया कि ४०० ऐसे थे जिन को साम्यवादियों से सहानुभूति है, १०० साम्यवादी थे और १५०० का तो कोई दोष ही नहीं था। बम्बई सरकार नजप्पा लेख्य ले कर देखिये। क्या परिणाम रहा है ? चालीस करोड़ रुपये व्यर्थ गये, जनता आप के विरुद्ध हो गई, तेलंगाना तो निस्सन्देह आपका विरोधी बना। आन्धरा में चुनाव का परिणाम क्या रहा ? रंगा और दुर्गाबाई जैसे प्रमुख व्यक्ति अतीत के गर्त में धकेल दिये गये। इस से यह स्पष्ट होता है कि आप के विचार तथा लक्ष्य कितने ही पवित्र तथा शुद्ध हों, आपका शासन-यन्त्र विश्वासनीय नहीं। मुझे कई मामलों का ज्ञान है। प्रत्येक सरकार, जब इस का पतन होना आरम्भ होता है, लोगों को दबाने के लिये दुष्टतर साधन अपनाती है। मेरे माननीय मित्र के पास सैनिक बल है पुलिस है, नौ-बल है, परन्तु आत्मबल नहीं—वह आत्मबल, जिसका ज्ञान हम को महात्मा गान्धी ने दिया था और जिस का अब अन्त हो गया है।

मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कोई मनुष्य दुष्टता को अपनाना नहीं चाहता। लोग अपने जीवन का बलिदान देना एक खेल तो नहीं समझते। क्षुधा से पीड़ित लोगों में भी उस समय राजनैतिक जागृति उत्पन्न होती है जब सामाजिक प्रलय होती है। कहा जाता है कि साम्यवादियों ने कई हत्यायें की हैं। इस विषय में मुझे काफ़ी ज्ञान है। तेलंगाना में ५० व्यक्ति कारागारों तथा समाहार-शिविरों में मर गये। पचास हज़ार लोगों को बन्दी बना लिया गया और उनके साथ घोर अत्याचार हुआ। पुलिस ने कितने ही मकान तथा कितनी ही सम्पत्ति का नाश किया और कितनी ही नारियों पर बलात्कार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। ऐसे आरोप लगाते समय माननीय सदस्यों को सावधान रहना चाहिये। आरोप तभी लगाये जाने चाहिये जब उनके विषय में माननीय सदस्य को निजी जानकारी हो या किसी गैरसरकारी दल का निरीक्षण रिपोर्ट की ओर आप निर्देश कर सकते हों।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : कम से कम तीन बार सदन के इस पक्ष ने यह मांग की कि एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण को हैदराबाद का मामला सौंपा जाय। पर ऐसा नहीं किया गया। हम सरकार को चनौती देते हैं कि वह शीघ्र ऐसा करे।

श्री रघुवय्या जानकारी का प्रश्न पूछने के लिये दो तीन बार खड़े हुए और उस पर उपाध्यक्ष महोदय बोले : इस प्रकार भाषण में बाधा डालना उचित नहीं। इस प्रकार की अन्तर्बाधायें रोकने के लिये यदि मैं किसी सदस्य को शान्त रहने को कहूं और वह

फिर भी अपने प्रयत्न में तत्पर रहे तो मैं सम्बन्धी दल के नेता की ओर इस अभिप्राय से देखूंगा कि वह उन्हें शान्त रहने को कहें ।

डा० जयसूर्य : श्रीमान् मैं विशिष्ट आरोप लगाता हूं और मैं इनके जांच की मांग करता हूं ।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं । हमारी सरकार में कौन सी सच्चाई है जिस पर हम विश्वास करें ? कहा जाता है कि वह समाज के शत्रुओं को नष्ट करना चाहते हैं । पर हर एक विधेयक साम्यवादियों के विरुद्ध ही उपयोग में लाया जाता है । हैदराबाद में देखिये, रजाकार भाग गये । पुलिस तीन दिन पश्चात् जान गई कि मीर लायक अली भाग गये थे । माननीय मंत्री ने कहा कि चोर बाजार में व्यापार करने वालों की संख्या ९३ है । मैं तो आप को ९३ ऐसे व्यक्ति एक गांव में दिखा सकता हूं । परन्तु मैं ने कभी भी किसी अर्थाध्यक्ष को बन्दी बना नहीं देखा । यही लोग वास्तव में चोर बाज़ारी की जड़ हैं और यही लोग राजनैतिक कोषों में बड़े बड़े अंशदान देते हैं । वास्तविक स्थिति यह है सरकार की सच्चाई के प्रति जनता का विश्वास टूट रहा है । जनता का विश्वास ही एक सरकार को सुरक्षित रख सकता है, कानून नहीं । जनता ही संविधान की भी रक्षा कर सकती है । बीमार संविधान को वहां की जनता ने पांच मिनट में तोड़ फोड़ दिया था । आप तो स्वेच्छा से अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं । आप एक मानव को बारह मास कारागार में रखने का अधिकार मांगते हैं । परन्तु एक दिन भी उसको न्याय प्रतिकूल कारागार में रखना किसी को भी नैतिकता से गिरा सकता है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सलेम) : मेरे माननीय मित्र डा० एस० पी० मुखर्जी ने कहा कि परीक्षण बिना किसी को बन्दी बनाना लोकतन्त्र के सिद्धांतों के विरुद्ध है । साधारण रूप में यह बात ठीक है । परन्तु हमें इस विषय की जांच राजनैतिक दर्शन के स्तर पर अथवा सैद्धान्तिक दृष्टि-कोण से नहीं करनी है, अपितु देश में वर्तमान स्थिति को विचार में रखते हुए ठण्डे दिमाग से इस पर ध्यान देना है । मेरा विचार है कि इस विधेयक को सदन की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिये ।

दूसरे पक्ष की ओर से कई सुझाव दिये गये हैं । माननीय श्री एन० सी० चटर्जी ने कहा कि विधेयक को छः महीने के लिये उठा के रखना चाहिये और देश की इस के विषय में प्रतिक्रिया जाननी चाहिये । परन्तु सरकार अनुभव करती है कि देश में खतरा है । इस अवस्था में विधेयक उठाये रखना व्यवहार्य नहीं ।

मेरे मित्र श्री ए० के० गोपालन ने सिद्धान्त की बड़ी बातें की और उन पर तथा अन्य राजबन्दियों पर लगाये गये कई आरोप उन्होंने पढ़ कर सुनाये । इन में कई विचित्र तथा अनर्गल बातें थीं । पर ऐसी बातें तो दण्ड संहिता के अधीन न्यायालयों में साधारण मुकदमों में भी होती हैं । इन विशेष मुकदमों में राजबन्दियों के विरुद्ध किये गये अपराध के सम्बन्ध में नहीं अपितु किये जाने वाले अपराधों के सम्बन्ध में, जिन के करने से उनको रोकना है, आरोप लगाये जाते हैं । इन सब मुकदमों में पुलिस अभियोग पत्र देती है । पुलिस के पास जानकारी होती है, पर ऐसी जानकारी जिसके लिये उन के पास ठोस प्रमाण नहीं होता और वह सम्बन्धित व्यक्ति को ऐसे डराना चाहते हैं कि वह एक पक्का अपराधी न बने इसी उद्देश्य से वह त्रुटि-पूर्ण अभियोग-पत्र बनाते हैं ।

[श्री एस० वी० रामस्वामी]

मेरे माननीय मित्र ने, जो साम्यवादी दल के उपनेता हैं कहा कि यह विधेयक लोकतन्त्र के सिद्धान्तों के विरुद्ध ही नहीं अपितु सभ्य जीवन के विपरीत है। मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक पर निष्पक्ष विचार नहीं किया गया है। श्री हिरेन मुखर्जी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि हमारी स्वतन्त्रता केवल नाम मात्र स्वतन्त्रता है। मैं रूस में प्रचलित सामान्य अवस्था के सम्बन्ध में आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैं १९५१ में प्रकाशित की गई फ्लोरेंस्की की लिखी पुस्तक "सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ दीपिका" ("Towards an understanding of the U. S. S. R.") की ओर निर्देश करता हूं। इस में रूस में लागू कई उपायों का वर्णन किया गया है। इस में कहा गया है कि सोवियत सरकार केवल साम्यवादी दल तथा दीक्षा के आधार पर ही लोगों को संगठित नहीं रखती। सुरक्षा पुलिस, जिसमें वर्दी वाले तथा गुप्त कर्मचारी भी हैं, इस शासन-यन्त्र का एक मुख्य स्तम्भ है। इस दल के अभिकर्ताओं को राजभक्तिहीन व्यक्ति को परीक्षण बिना कठिन से कठिन दण्ड देने का अधिकार है।

श्री वी० पी० नायर के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री एस० वी० रामस्वामी बोले :

यह पुस्तक मेक्मिलन एण्ड को०, न्यू यार्क द्वारा प्रकाशित की गई है। सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की दण्ड-प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद ५८ में बताया गया है क्रान्ति विरोधी कार्यकारिता में राज उद्योग, यातायात, वाणिज्य तथा सहकारी समितियों में गड़ बड़ पैदा करना भी सम्मिलित है। अनुच्छेद ५१ में बताया गया है कि सरकार की कार्यवाही में विघ्न डालना भी एसा ही अपराध है।

हमारे समक्ष जो विधेयक है उस का सैधान्तिक स्तर पर कटु विरोध किया जा रहा है। पर क्या निरीक्षण बिना बन्दी बनाना कोई ऐसी नई बात है कि इस का इतना प्रबल विरोध किया जाये ? मैं दण्ड-प्रक्रिया-संहिता, १८९८, के पांचवे अध्याय के अनुच्छेद ५४ तथा ५५ की ओर निर्देश करता हूं। इन अनुच्छेदों के अधीन पुलिस के पदाधिकारियों को किसी व्यक्ति को बन्दी बनाने के लिये विशेषाधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद ५४ में बताई गई अपराधों की नौ श्रेणियों में चार ऐसी हैं, जिनके विषय में अपराध किये जाने की अवस्था में ही नहीं अपितु अपराध किये जाने के सन्देह के आधार पर भी पुलिस पदाधिकारी वारंट जारी किये बिना ही किसी व्यक्ति को बन्दी बना सकते हैं। अनुच्छेद ६१ तथा १६७ (१) के अधीन एक पुलिस पदाधिकारी किसी व्यक्ति को १५ दिन वारंट जारी किये बिना बन्दी बनाये रख सकता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद १८८ तथा ३९९ के अधीन अपराध के लिये तैयारी करना भी दण्डनीय अपराध माना जाता है। इन सब बातों के दृष्टिगोचर इस विधेयक का केवल यही उद्देश्य है कि शान्ति के विरुद्ध अपराध किये जाने के लिये यदि कोई तैयारी भी की जा रही हो उसको रोका जा सके।

श्रीमान्, एक अपराध की चार अवस्थायें होती हैं : अपराध का विचार, अपराध करने के लिये तैयारी, अपराध का प्रयत्न तथा अपराध का अन्तिम क्रिया रूप। पहली दो अवस्थाओं में हमारे विधान के अनुसार कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। भारतीय दण्ड संहिता का अनुच्छेद ५५१ तभी लागू होता है जब अपराध करने के लिये प्रयत्न किया जाये। इस नये विधेयक का उद्देश्य यह है कि दण्ड-प्रक्रिया-संहिता तथा भारतीय

दण्ड संहिता के दोनों नियमों को जोड़ कर एक नया विधान बनाया जाय।

हमारे देश में ऐसे संघटन भी हैं जो चोरी छुपे, चालबाजी से और हिंसात्मक ढंग से देश में अशान्ति फैलाने का प्रयत्न करते हैं। इनको हमने अपराध की तीसरी अवस्था पर पहुंचने से भी रोकना है। इस कारण हम इन मामलों को न्यायिक परीक्षण स्तर पर नहीं ला सकते। सरकार इस बात का अधिकार मांग रही है कि वह अपराध को इसी दूसरी अवस्था में, अर्थात् इस के लिये तैयारी के समय ही रोके। सरकार का अभिप्राय यह नहीं कि वह बिना कारण लोगों को बंदी बनाये। माननीय मंत्री ने साम्यवादी दल के उपनेता से एक स्पष्ट प्रश्न पूछा कि क्या आप हिंसा का परित्याग कर रहे हैं या नहीं? उन्होंने सच्ची भावना से यह भी आश्वासन दिलाया कि इस विधेयक को विशेष साम्यवादी दल के विरुद्ध ही उपयोग में नहीं लाया जायेगा। फिर भी माननीय मंत्री के सरल प्रश्न के उत्तर में साम्यवादी दल के उपनेता ने अपने भाषण में यही प्रकट किया कि साम्यवादी राजनैतिक दर्शन के अनुसार क्रान्ति को रोकने के लिये तात्कालिक अधिकारी जनसाधारण को दबा लेते हैं और ऐसी अवस्था में उन से, अर्थात् साम्यवादियों से, अहिंसा की आशा नहीं की जा सकती।

इनका भाषण पढ़ने से कहीं भी यह ज्ञात नहीं होता कि साम्यवादी अपने लक्ष्य को पाने के लिये अहिंसा को नहीं अपनायेंगे। एक राज्य का आधार बल है। राज्य को बल का उपयोग करने का अधिकार है। नहीं तो कोई राज्य चल नहीं सकता। साम्यवादी दल सरकार द्वारा यह बल उपयोग में लाये जाने का विरोध करता है, परन्तु अपने को अहिंसा के पथ पर चलने का अधिकारी समझता है।

अब सुनिय कि साम्यवाद के दार्शनिक क्या कहते हैं। लेनिन ने १९०६ में कहा था कि एक राष्ट्र की महान समस्यायें केवल बल से सुलझाई जा सकती हैं। १९१७ में यह सिद्धान्त "राज्य तथा क्रान्ति" नामक चौपतिया के रूप में प्रकाशित हुये। इस में कहा गया है कि आधिपत्य जमाने वाले वर्ग को गिराने के लिये बल का प्रयोग करना आवश्यक है और शान्तिमय सामाजिक विकास की विचारधारा केवल एक भ्रान्ति है। १९३५ के साम्यवादी अन्तर्राष्ट्रक में एक संकल्प पारित हुआ जिस में कहा गया कि जब तक सर्वहारा-अधिनायकत्व मध्यवर्गीय लोकतन्त्र का स्थान न ले सके तब तक सर्वहारा-वर्ग इस मध्यवर्गीय लोकतन्त्र के अन्तिम क्षेप्य को इस अभिप्राय से स्थापित रखना चाहेगा कि इस का उपयोग करके जनसमूह को पूंजीवादी शक्ति का नाश कराने के लिये तैयार किया जाये। साम्यवादी चाल के दो पहलू हैं, पहला चोरी छुपे की जाने वाली क्रान्तिकारी कार्यवाही और दूसरा खुलमखुला कार्यवाही। दोनों को एक साथ चलाया जाता है। खुलमखुला कार्यवाही यह है कि इस विधेयक को पारित न होने दिया जाये। पर यदि यह लोग अहिंसा के पथ पर चलने से पीछे नहीं हटेंगे, जैसे कि इन के भाषणों से प्रतीत होता है, तो क्या इस विधेयक का पारण करना उचित नहीं?

इस विधेयक को स्वर्गीय सरदार पटेल ने १९५० में पहली बार प्रस्तुत किया। उस समय सदन ने मान लिया कि आपात की स्थिति है और विधेयक को कुछ ही घंटों में पारित किया गया। तत्पश्चात् १९५१ में श्री राजगोपालाचारी ने स्थिति के थोड़ा बहुत सुधर जाने के दृष्टिगोचर इस विधेयक के प्रति कुछ संशोधन स्वीकार किया और एक संशोधित विधेयक पारित हुआ। अब

[श्री एस० वी० रामस्वामी]

स्थिति और भी थोड़ी बहुत सुधर गई है और नये रूप में विधेयक अति संशोधित है। अनुच्छेद ३(३) के अधीन किसी को बन्दी बनाये जाने का आदेश दिये जाने से पूर्व राज्य सरकार की अनुमति ली जानी है। यह एक विशेष उपबन्ध है जिस की ओर मेरे माननीय मित्रों में से एक ने भी निर्देश नहीं किया। अनुच्छेद ४ (४) के अधीन राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को भी ऐसा आदेश दिये जाने के बारे में सूचना देगी। क्या इन उपबन्धों से अन्याय की सम्भावनाओं को रोका नहीं जायेगा ? इस के अतिरिक्त एक और उपबन्ध है जिसके अधीन एक मन्त्रणादाता मंडल के सामने सारे मुकदमे की लिखित कार्यवाही रखी जायेगी और बन्दी भी अपनी सफाई दे सकेगा। यद्यपि यह मंडल एक न्यायिक मंडल नहीं, फिर भी यह बन्दी को छोड़ने का प्रतिवेदन दे सकता है और सरकार के लिये इसका पालन करना अनिवार्य है। इस मंडल के सदस्य प्रमुख न्यायाधीश होंगे। क्या इस उपबन्ध के अधीन नागरिक की स्वतन्त्रता का संरक्षण नहीं होता ? ब्रिटेन में भी लार्ड एटकिन्सन ने एक मुकदमे में यह निर्णय दिया कि देश की शान्ति के लिये आपात काल में निवारक न्याय केवल अपराध के सन्देह के आधार पर भी लागू हो सकता है। लार्ड मेक्मिलन ने एक और मुकदमे के निर्णय में कहा कि देश के हित के लिये राज्य सचिव को निवारक निरोध का अधिकार दिया जाना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं।

शासन कार्य चलाना तब तक असम्भव है जब तक गड़बड़ पैदा करने वाले अंश देश में हों और जब तक उनको दबा कर शान्ति स्थापित न की जाये। उन सब बातों के दृष्टिगोचर मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और सदन से प्रार्थना करता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार कर के इसको एक विधान का रूप दे।

श्री आर० एन० एस० देव (कालाहांदी-बोलनगिर) : माननीय गृह मंत्री ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि विरोधी पक्ष के सभी दल इस विधेयक का विरोध करते हैं। परन्तु जैसे माननीय मंत्री उस वर्ग की भावना नहीं समझ पाते हैं जिसे वह भूतपूर्व राजाओं का वर्ग कहते हैं वैसे ही हमारे देश के बहुत से लोग यह नहीं समझ पाते कि यही सरकार इसी वर्ग द्वारा अपने ढंग की नागरिक स्वतन्त्रता का प्रवर्त्तन कैसे कराती है। संसद् में देखिये या भारत की किसी भी विधान-सभा में देखिये आप को विभिन्न प्रकार के मनुष्य मिलेंगे जिन में राजा, महाराजा, नवाब आदि से ले कर कृषक तक के वर्गों के लोग हैं। यह लोग केवल कांग्रेस बेंचों पर ही नहीं बैठे हैं अपितु मन्त्री तथा उप-मन्त्री भी हैं। मुझे कोई सन्देह नहीं कि माननीय मंत्री इन सब वर्गों की नागरिक स्वतन्त्रता के प्रति भावना के दृष्टिगोचर ही इस नये प्रकार की नागरिक स्वतन्त्रता का प्रवर्त्तन कर रहे हैं।

माननीय गृह मंत्री ने गत १७ तिथि को यह विधेयक प्रस्तुत करते समय भूतपूर्व राजाओं के नागरिक स्वतन्त्रता के प्रति प्रेम की ओर कटाक्षपूर्ण निर्देश किया। मुझे यह सुनकर कुछ आश्चर्य हुआ और मैं तुरन्त ही यह समझ गया कि गृह मंत्रालय की अनुदान की मांग के सम्बन्ध में २५ जून को मैं ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था शायद उसके फलस्वरूप वह घबराये हुये थे। मेरा यह संशय दूसरे ही दिन सच प्रमाणित हुआ जब कि माननीय मंत्री ने कहा कि वे भूतपूर्व राजाओं के वर्ग को समझ नहीं पाते थे। उन्होंने कहा कि उन्हें स्वयं ज्ञात था

कि मेरे राज्य में १९४८ में नागरिक स्वतन्त्रता की क्या दुर्दशा थी ।

मुझे आश्चर्य होता है कि डा० काटजू कहां से यह तथ्य इकट्ठे करते हैं । उन्होंने मेरी ओर निर्देश करके कहा कि उस राज्य में कोई सार्वजनिक अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता था और न ही कोई समाचार पत्र प्रकाशित हो सकता था तथा १९४८ से पूर्व वहां किसी भी प्रकार की नागरिक स्वतन्त्रता नहीं थी । मुझे माननीय गृह मंत्री के कथन पर इस कारण अधिक आश्चर्य हुआ कि वह स्वयं १९४८ में उड़ीसा के राज्यपाल थे और पहली जनवरी, १९४८ को ही यह राज्य उड़ीसा प्रान्त के साथ मिला दिये गये थे । उड़ीसा के राज्यों में १९४८ से पूर्व पर्याप्त मात्रा में नागरिक स्वतन्त्रता थी और उड़ीसा सरकार ने ही निर्दयता से इस स्वतन्त्रता को दबा लिया । खरस्वान, बामरा तथा मयूरभंज में निर्दयता से लोगों की हत्या की गई । इस विधेयक के पूर्ववर्ती, सार्वजनिक सुरक्षितता अधिनियम का उपयोग करके नागरिक स्वतन्त्रता का दमन किया गया । उन लोगों का क्या अपराध था ? केवल यही कि वह आत्मनिर्धारण के अधिकार की मांग कर रहे थे क्योंकि उन की इच्छा के प्रतिकूल उन्हें उड़ीसा प्रान्त में सम्मिलित किया गया था । हमारे प्रधान मंत्री ने कई बार विशेषकर काश्मीर के सम्बन्ध में भाषण देते समय कहा कि स्वर्गीय सरदार पटेल ने, अर्थात् भारत सरकार ने, यह घोषणा की थी कि किसी भी राज्य के भविष्य के सम्बन्ध में जहां जनता में मतभद हो वहां बहुमत के अनुसार ही उसका निर्णय किया जायेगा । परन्तु उड़ीसा के राज्यों में लोगों को दबाया गया क्योंकि वह शान्तिमय तथा संवैधानिक रीति से चौपतियां बांट कर, अधिवेशन बुला कर तथा अपने प्रतिनिधि भेज कर अपना असन्तोष प्रकट कर रहे थे । जो सरकार स्वयं इतने दमनकारी उपाय अपनाये, उस द्वारा राजाओं पर नागरिक स्वतन्त्रता दबाने का आरोप लगाना निस्सन्देह समझ से बाहर है । मान लिया कि यहां के राज्य दुर्प्रशासित थे और राजा लोग अत्याचारी थे । पर यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि कई राजाओं के हृदय में ऐसी क्रान्ति हुई कि वे वाल्मीकि जैसे ऋषि बन गये । ऐसी क्रान्ति तो स्वागत करने योग्य है । पर जब इस के विपरीत ऐसी क्रान्ति हो जाये कि नागरिक लोकतन्त्र के लिये जिन्होंने लड़ा हो और बलिदान दिये हों वे ही लोग इस स्वतन्त्रता का दमन करें तो यह एक शोचनीय क्रान्ति है ।

माननीय गृह मंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है कि जो भी विधि पारित हो जाये—चाहे वह थोड़े या अधिक बहुमत से पारित हुई हो—उसका पालन करे । मैं मानता हूं कि विधि-पालन लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधार है । परन्तु आप यह आशा नहीं कर सकते कि एसी रचनात्मक विधियों के प्रवर्त्तन से ही नागरिक विधि-पालक बनेंगे । जिस लोकतंत्र में केवल सरकारी दल के बहुमत के आधार पर जबरदस्ती विधियां पारित हों और विरोधी दल की राय विचार में न ली जाय वहां ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सारी विधियों का अवश्य ही पालन किया जायेगा । लोक इच्छा से पारित विधि केवल वही है जिस के संबंध में विरोधी दल की राय को भी विचार में रखा जाये । सरकार की अनुचित मनोवृत्ति के कारण जनता का इस पर विश्वास टूट गया है । इस विधि के दुरुपयोग के कई उदाहरण दिये गये हैं । मैं केवल एक और उदाहरण दूंगा ।

उड़ीसा के ज़िला कोरापुत में चुनाव से कुछ ही मास पूर्व कांग्रेस ने अकस्मात यह

[श्री आर० एन० एस० देव]

अवस्था देखी कि वहां की जनता कांग्रेस के साथ नहीं थी, अपितु हमारे दल गणतंत्र परिषद् का समर्थन करती थी। उसी समय निवारक निरोध अधिनियम का दुरुपयोग करके इस दल के सचिव को बन्दी बनाया गया। अन्त में मंत्रणादाता मंडल की सिपारिश के अनुकूल उनको तब छोड़ा गया जब कि चुनाव में कुछ ही दिन बाकी थे। इस का परिणाम यह रहा कि हमारे दस में से छः अभ्यर्थी चुनाव में सफल होने पर भी हमें बहुत हानि हुई। यह है विरोधी दलों को दबाने का एक उदाहरण।

इस में अन्तर्ग्रस्त एक और तथ्य है। जनता की स्वतंत्रता का कोई विचार ही नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि कोई बात नहीं यदि एक निर्दोष व्यक्ति नौ अपराधियों के साथ गलती से बन्दी बनाया गया हो। परन्तु यह बात तो सभ्य प्रशासन के सिद्धांतों के विपरीत है। मानवाधिकार की विश्व-व्यापक घोषणा के अनुच्छेद ९, १० तथा ११ में बतलाया गया है किसी व्यक्ति को बिना परीक्षण बन्दी नहीं बनाया जाना चाहिये। मानवाधिकार के अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र के पहले प्रारूप के प्रथम भाग के अनुच्छेद २ में आपात काल में सरकारों को दिये जा सकने वाले विशेषाधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाये गये हैं जिनके अधीन मानव की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी गई है।

कहा जाता है कि संविधान के अनुच्छेद २२ के अन्तर्गत ऐसा उपाय किया जा सकता है पर यह एक आश्चर्यजनक तर्क है कि ऐसा उपबन्ध होते हुए हमें अवश्य ही इस विधि का अधिनियमन करना चाहिये। कहा जाता है कि देश में आपात स्थिति है। माननीय गृह मंत्री ने यह भी कहा था कि सारी राज्य सरकारें इस विषय में एकमत हैं कि इस विधेयक का अधिनियमन किया जाये। यह भी आश्चर्यजनक है। मानते हैं कि देश के कुछ भागों में स्थिति ठीक नहीं, पर सारे राज्यों में ऐसे उपाय की क्या आवश्यकता है? जिन राज्यों में पूर्ण शान्ति है वहां की सरकारों द्वारा ऐसे उपाय की अनुमति देने का केवल यही अभिप्राय है कि प्रशासक इसका दुरूपयोग कर सकें। मान लिया कि सौराष्ट्र में आपात स्थिति है। पर कितना अच्छा होता यदि वहां के लिये एक स्थानीय उपाय किया जाता? देश भर के लिये ऐसी विधि क्यों विधि-पुस्त में सम्मिलित की जाये?

हमें आशा थी कि इस विधेयक के समर्थन करने वाले कोई ठोस कारण हमारे समक्ष रखेंगे। पर हम इस विषय में भी निराश हो गये। निवारक निरोध को न्यायसंगत बतलाने के उद्देश्य से मेरे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने दण्ड-प्रक्रिया-संहिता की ओर निर्देश किया। पर यह सादृश्य ठीक नहीं। उस अवस्था में निवारक निरोध नहीं अपितु अपराध के सन्देह के आधार पर बन्दी बनाना है। यह भी कहा गया कि मन्त्रणादाता मंडल के होते हुए यह बिना परीक्षण निरोध नहीं रहता। परन्तु इस मंडल की कार्यवाही एक न्यायालय की कार्यवाही के समान नहीं। मान लिया कि यह कार्यवाही गोपनीय है, पर वैधानिक प्रतिनिधित्व तथा जिरह करने का अधिकार क्यों न दिया जाये?

मैं सरकार से अपील करता हूं कि अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करके इस विधेयक को उठा कर रखें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब एक बजने वाला है, सदन की बैठक ३-३० म० प० तक स्थगित रहेगी।

इसके पश्चात् सदन की बैठक साढ़े तीन बजे तक स्थगित हो गई।

सदन की बैठक साढ़े तीन बजे पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे।]

पश्चिमी बंगाल की खाद्य स्थिति सम्बन्धी वक्तव्य

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय कृषि तथा खाद्य मंत्री पश्चिमी बंगाल खाद्य अवस्था पर वक्तव्य देंगे ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : श्रीमान् मुझे अनुशोच है कि मैं उस समय उपस्थित नहीं था जब सदन में पश्चिमी बंगाल की खाद्य अवस्था के सम्बन्ध में दो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत हुए थे। मेरा विचार है कि इस नीति के परिपालन के सम्बन्ध में कुछ गलतफहमी है । जून के दूसरे सप्ताह में जब मैं बंगाल गया था उस समय जो नीति निश्चित की गई उस के तीन पहलू थे ।

पहला यह कि संकट वाले क्षेत्रों को सहायता दी जाये । इस अभिप्राय से दो योजनाओं का तात्कालिक परिपालन किया गया । उपदान के रूप में ५,००० मन गेहूं तथा ५,००० मन चावल का वितरण किया गया और अवस्था के सुधरने तक अतिरिक्त अनाज जारी किये जाने की व्यवस्था भी की गई । साथ ही कम मूल्य पर समान मात्रा में गेहूं तथा चावल बेचने की व्यवस्था की गई। १,००० टन गेहूं तथा १ ००० टन चावल तत्क्षण ही जारी किये गये और १५ रुपये मन के भाव से बेचे गये हैं ।

नीति का दूसरा पहलू अधिकतर रियायत के बारे में था । अवस्था का निरीक्षण करने के पश्चात् बंगाल सरकार के साथ विचार-विमर्श करके यह निर्णय किया गया कि कलकत्ता में अनाज की संभृति की ज़िम्मेवारी केन्द्रीय सरकार लेगी और बंगाल की सरकार चौर्यानयन को रोकने के लिये इस क्षेत्र का सब ओर से घेरा लगावायेगी । इस निर्णय का आगामी छः मास में परिपालन करना था । उस समय कलकत्ता के भाण्डार में ९४ दिन के लिये राशन था। अतः अब केवल तीन मास की दूसरी कालाविधि का सवाल था । यह योजना किये जाने से पूर्व बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह मांग की थी कि उनके लिये एक लाख टन चावल नियत किये जायें। मैं ने यह मांग स्वीकार की थी । यह योजना किये जाने के पश्चात् यह सुझाव दिया गया कि चौर्यानयन रोकने के लिये राशन के अतिरिक्त विक्रय के लिये कुछ और चावल का बंटन किया जाये । यह सुझाव भी मैं नं मान लिया और इस अभिप्राय से एक लाख टन, अर्थात् कुल दो लाख टन का बंटन किया गया । सारी नियत मात्रा एक ही मास में भेजी नहीं जा सकती है । बंगाल सरकार को ४४,००० टन अगले ही महीने भेजे गये । चीन से आयात किये गये एक लाख टन बंगाल के लिये नियत कर दिये गये । इस में से ३७,००० टन वहां पहुंचे और शेष चालू तथा आगामी मास में पहुंचेंगे । इन सब बातों के दृष्टिगोचर यह कहना गलत है कि दो लाख टन चावल का बंटन नहीं किया गया ।

नीति का तीसरा पहलू यह था कि समाहार रीति में रुपभेद करके कलकत्ता से बाहर वाले क्षेत्रों में अनाज के अबाध संचरण की अनुमति दी जाये । कलकत्ता में ११ जून को जो मैं ने वक्तव्य दिया था उसमें मैं ने कहा था कि आगामी वर्ष से उद्ग्रहण पद्धति अपनाई जायेगी और ज़िलों के बीच अनाज के संचरण पर प्रतिबन्ध हटाया जायेगा। यह पद्धति आगामी वर्ष में अर्थात् वर्तमान औसत फसल के समाहार के उपरान्त लागू होगी । अतः केवल नीति का तीसरा पहलू आगामी वर्ष लागू होना है, और पहले दो पहलुओं का तात्कालिक परिपालन कर लिया गया है ।

निवारक निरोध (द्वितीय संशोधन) विधेयक——जारी

अध्यक्ष महोदय : सदन अब निवारक निरोध (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर अग्रेतर विचार करेगा । क्योंकि हम विधेयक के इस क्रम को समाप्त करना चाहते हैं मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे भाषण देने में ज्यादा समय न लें । सारी बातें पहले कही जा चुकी हैं, नई कोई बात नहीं कही जाती है । इस विधेयक का समर्थन या विरोध करने के अभिप्राय से सदस्य कुछ न कुछ कहना चाहते हैं । उनके भाषण, जहां तक सम्भव हो, छोटे होने चाहियें ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव): इस बिल पर कई रोज़ से बहस हो रही है । जो तक़रीरें मैं ने इस बिल पर सुनीं उन के सुनने के बाद मैं आप की सेवा में अदब से अर्ज करता हूं कि दर असल इस बिल का जैसा डिसपैशनेट कनसीडरेशन (शांत विचार) होना चाहिये था वह इस हाउस में नहीं हो रहा है। रैक्रिमिनेटिरी स्पीचेज़ (आरोपकारी भाषण) ऐसी स्पीचेज़ (भाषण) कि जो पुराने वाक्आत सन् १९४७-४८ को दोहराती हैं, हो रही हैं । यह बातें बार बार कही जाती हैं और एक दूसरे के ऊपर हमले किये जाते हैं, या ऐबस्ट्रैक्ट क्वश्चन्स (कोरे सिद्धान्तों) के ऊपर जिन की इस हाउस में कांस्टीट्यूशन (संविधान) के होते हुए इजाज़त नहीं होनी चाहिये थी, इस तरह के नुक़्ते ख़्याल से इस बिल पर तक़रीरें हो रही हैं । मैं आप की ख़िदमत में इस बिल पर सिर्फ़ इसके क़ानूनी नुक़्ते ख़्याल से और इस के प्रैक्टिकल नुक़्ते ख़्याल से अर्ज़ करूंगा ।

इस हाउस में यह कहा गया है कि यह क़ानून क़ुदरती इन्साफ़ के ख़िलाफ़ है । कहा गया है कि यह लौलैस ला (अराजक विधि) है और किसी दूसरे मुल्क में ऐसा क़ानून नहीं है । बल्कि इस से भी बढ़ कर आज एक साहब जो कि मेरे से पहले बोले थे, महाराजा साहब पटना, उन्होंने यूनीवर्सल डिक्लेरेशन आफ़ ह्यूमन राइट्स (मानवाधिकार की विश्व-व्यापक घोषणा) में से चन्द एक आर्टिकल्स पढ़ कर सुनाये और हाउस में यह फ़रमाया कि यह बिल डिक्लेरेशन आफ़ ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है। एक एतराज़ इस बिल के बारे में यह किया गया है कि फंडामेंटल राइट्स (मूल अधिकार) के चैप्टर (भाग) में कैसे इसे हमारी कांस्टीटुएन्ट एसेम्बली ने रख दिया और उस की वहां जगह नहीं है । यह फंडामेंटल राइट है ही नहीं । मैं अदब से अर्ज़ करना चाहत हूं कि फ़िलवाक़ै यह चीज़ फंडामेंटल राइट्स जो बनाये गये थे उन को पूरे तौर पर न समझने की वजह से ऐसा कहा जा रहा है । दर असल यह एक राइट (अधिकार) है और दफा २२ में जो दर्ज है वह निहायत ज़बरदस्त फंडामैंटल राइट है और यह उन उसूलों के मुताबिक है जो कि यूनीवर्सल डिक्लेरेशन आफ़ ह्यूमन राइट्स में दर्ज हैं ।

मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि दरअसल किसी क़ानून को, किसी मामले को, ठीक नुक़्ते निगाह से देखने के वास्ते यह ज़रूरी है कि अव्वल तो उन हालात को देखा जाय जिन हालात में वह क़ानून बनाया गया और फिर उस कसौटी पर उतारा जाये जो क़ानून बनाने की आम तौर पर मकबूल कसौटियां हैं । जिस वक़्त कि यह क़ानून कांस्टीटुएन्ट असेम्बली (संविधान सभा) ने बनाया उस वक़्त कांस्टीटुएन्ट असेम्बली ने दफ़ा २१, दफ़ा २२ और दफ़ा २० यह तीन चीज़ें ऐसी बनाईं जो लाइफ़ एण्ड पर्सनल लिबर्टी (जीवन तथा वैयक्तिक

स्वतंत्रता के मुताल्लिक़ थीं। इस वक्त मैं जानाब का वक्त दफ़ा २० को दोहरा कर या पढ़ कर ज़ाया नहीं करूंगा लेकिन दफ़ा २१ और २२ निहायत ज़रूरी हैं जिन को मुझे आप की ख़िदमित में अर्ज़ करना है। जहां तक कि जरायम का सवाल है, उस के वास्ते दफ़ा २१ बनाई गई। किसी शख्स को तब तक सज़ा नहीं दी जायेगी जब तक कि उस क़ानून के मुताबिक नहीं होगा जो कि ला (विधान) ने मुकर्रर कर दिया है और यह चीज़ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन आफ ह्यूमन राइट्स में दर्ज है। अभी हमारे महाराजा साहब ने सुबह तक़रीर फ़रमाई और उन्होंने अपने आर्गुमैंट्स की स्पोर्ट (समर्थन) में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन आफ़ ह्यूमन राइट्स में से कोट किया (उद्धरण दिये)। मुझे अफ़सोस है कि क्रिमिनल आफेन्सेज़ (दण्डनीय अपराध) और प्रीवेटिव डिटेंशन (निवारक निरोध) में जो तमीज़ उन्हें करनी चाहिये थी, वह उन्होंने नहीं की और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने जितनी आर्टिकल्स इस हाउस में पढ़कर सुनाये, वह सब के सब क्रिमिनल आफेन्सेज़ के मुताल्लिक हैं, लेकिन हमारा यह प्रीवेन्टिव डिटेंशन एक्ट क्रिमिनल आफेन्सेज को टच (स्पर्श) ही नहीं करता है। दफ़ा २१ हमारे फ़ंडामेंटल राइट्स में है और उसका कोई सवाल इस हाउस में पैदा ही नहीं होता। इस हाउस के अन्दर जितनी मैं ने तक़रीरें सुनी हैं, उन के अन्दर बड़ी भारी ग़लती यह है कि मेरे उन दोस्तों ने यह समझ रक्खा है कि दफ़ा २२ उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है जिन्होंने कि कोई जुर्म किया है, लेकिन हक़ीक़त यह है कि दफ़ा २२ उन लोगों के लिये बनाई गई है जिन की निस्बत यह कहा जा सकता है कि उन पर एक शुबहा है कि वह फलां तरीक़े से अमल करेंगे और बिहेव (आचरण) करेंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ़ दफा २२ का इस्तेमाल किया जायेगा जिन के ऊपर सस्पिशन (संदेह) हो और जो कि एक कोर्ट आफ़ ला (न्यायालय) में साबित नहीं हो सकता और जिस को अदालत के रुबरू पकड़ा नहीं जा सकता सिर्फ़ ऐसे लोगों के मुताल्लिक़ दफ़ा २२ का इस्तेमाल होगा और इसलिये अब तक जो बहुत सी रीज़निंग्स (तर्क) यहां हाउस में की गई हैं वह बिल्कुल एक ग़लत बुनियाद पर की गयी है और वह सब ग़लत साबित हो जाती है। यह कहना कि :

किसी व्यक्ति को बिना परीक्षण बन्दी नहीं बनाया जाना चाहिये। यहां पर यह जोर देना कि कांन्स्टीट्यूशन में दर्ज है कि किसी शख्स को सजा नहीं होगी जब तक कि कोर्ट आफ ला में पूरी एवीडेंस (साक्ष्य) नहीं पेश होगी और उस शख़्स को भी पूरा मौक़ा अपनी सफ़ाई के पेश करने का नहीं दिया जायगा, उस का इस मौजूदा क़ानून से क्या ताल्लुक़ है। यहां पर सारी बहस इस बात की हुई है कि जिस शख्स को पकड़ा जाता है उस को अपने डिफेन्स (सफाई) का इस क़ानून के मातहत कोई मौक़ा नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि यह चीज़ बिल्कुल ग़लत है और लोगों ने इस के बारे में ऐसा ही एक ग़लत ख्याल अख्तियार कर रखा है। जहां तक प्रीवेन्टिव डिटेंशन का सवाल है इस के मुताल्लिक़ एक भी दफ़ा इस क़ानून में ह्यूमन राइट्स में नहीं है, बल्कि जो तीन चार दफ़ायें हैं वह क्रिमिनल आफ़ेन्सेज के मुताल्लिक़ हैं। और मेरा यह दावा है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन आफ ह्यूमन राइट्स में एक दफ़ा हमारी दफ़ा २२ के बरख़िलाफ़ नहीं है और मैं चेलेंज करता हूं कि कोई भी शख्स उस दफ़ा २२ के बरख़िलाफ़ कुछ भी निकाल दे। मुझे तो शर्म आती है, जब मैं अपने क़ानून दां अशख़ास की जबान से यह सुनता हूं कि यह जो क़ानून हम बना रहे हैं, यह एक लालेस क़ानून है। कौन नहीं जानता

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

कि हम ने हिन्दुस्तान की सारी कंसंट्रटिड विजडम (एकत्रित बुद्धिमत्ता) सारी मुत्तिफ़िक़ा विज़डम के सलाह मशविरे से इस क़ानून को बनाया और जिस कांस्टीट्यूशन के बनाने में हमारे डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डाक्टर अम्बेडकर भी शामिल हैं। कांग्रेस ने बड़ी अक़्ल से काम लिया और कान्स्टीटुएन्ट असेम्बली में कोई पार्टी देश की ऐसी नहीं छोड़ी जिस के बेहतरीन आदमी उस क़ानून के बनाने में वहां शिरकत न कर रहे हों, कांग्रेस ने देश के तमाम बैस्ट ब्रेन्स (श्रेष्ठ बुद्धि वालों) को उस काम में शरीक़ किया और उन के सलाह मशविरे से यह क़ानून बनाया गया उस कान्स्टीट्यूशन के मुताबिक़ ही यह हमारा मौजूदा क़ानून है, तो फिर मेरे दोस्त किस बिना पर यह कहते हैं कि यह लालेस क़ानून है। सुप्रीम कोर्ट के अन्दर जो ला है, और जिस को सुप्रीम कोर्ट ने क़रार दिया है कि फलां चीज ठीक है और फलां चीज़ ठीक नहीं है तो मैं अपने दोस्तों को बतलाऊं कि हमारा यह क़ानून भी सुप्रीम कोर्ट के अन्दर गया था और सिवाये इस की एक दफ़ा के जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ग़लत क़रार दिया और हम ने बाद में लेजिस्लेशन (क़ानून निर्माण) के द्वारा उस दफ़ा को भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक़ दुरुस्त कर दिया। जिस क़ानून को सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया हो कि वह सही ला है, उस के बाद भी लोग अगर यह कहे जायें कि यह लालेस क़ानून है, तो मेरी समझ में या तो वह लोग ला की तारीफ़ नहीं जानते या जान बूझ कर इसलिये ऐसा कहते हैं कि वह यह कहना पसन्द करते हैं कि यह लालेस क़ानून है। लेकिन मैं आप को बतलाऊं कि असलियत यह है कि हम लोग एक बड़े अर्से से खूसूसन बुकला साहबान जो कोर्टस के अन्दर प्रैक्टिस करते हैं वह एक ऐसे एटमौसफियर (वातावरण) में रहते हैं जो कि प्रैक्टिकल हालात से जरा दूर होता है, दिन रात कानूनों के जाल में उलझे रहते हैं और दुनिया में क्या हो रहा है इस की कोई पर्वाह नहीं होती। मुवक्किलों से मुक़दमों में बड़ी बड़ी फीस ले लेते हैं और आराम से सो जाते हैं इसलिये उन्हें दुनिया में क्या होता है, इस का पता नहीं रहता, और इस वास्ते जब दुनिया में आ कर देखते हैं तो हमारी हालत दिगरगू होती है और हम चौंक पड़ते हैं। यह लालेस क़ानून है, कहां से हम ने सीखा, किस को लालेस कहते हैं। सन् १२१५ में मैग्नाकार्टा (Magna Charta) बना था, सन् १६७८ में डिक्लेरेशन आफ़ राइट्स (अधिकारों की घोषणा) बना और १७८८ में फ़्रेंच रैवोल्यूशन (फ़्रांस में क्रान्ति) हुआ था :

यह सच है कि किसी को बिना परीक्षण अपराधी नहीं ठहराया जायेगा।

यहां सन् १९५० में जो हम ने क़ानून बनाया यह एक ऐसी चीज़ के मुताल्लिक़ था किलोग कहते हैं कि वैसा क़ानून न अमरीका में है और न वियालत में है। अगर दोनों जगह ऐसा क़ानून नहीं है, तो में अदब से अपने उन दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि आख़िर फिर इस क़ानून के उसूल कहां से लिये गये हैं और कौन कह सकता है कि यह लालेस क़ानून है ? मेरी अदब से गुज़ारिश है कि इस से अच्छा क़ानून मौजूदा हालात में जो दफ़ा २२ के अन्दर है हम नहीं बना सकते थे और न ही कोई दूसरी स्टेट बना सकती है। जनाब वाला हमें क़ानून में इस बात की इजाज़त थी कि हम इस को कान्स्टीट्यूशन की रू से एक परमानेंट (स्थायी) क़ानून बनाते और जिस के अन्दर तीनों चीजें लिखी होतीं कि वह क्या अर्सा होना चाहिये कि जिसके अन्दर एक आदमी को बगैर ट्रायल (परी-

क्षण) डिटेन्शन में रखा जा सके और क्या वह हालात होने चाहियें कि जिन में बिना ऐडवाइज़री बोर्ड (मंत्रणादाता मंडल) को रेफ़र (निर्दिष्ट) किये हुये गवर्नमेंट एक शख़्स को तीन महीने से ज़्यादा क़ैद में रख सके और अगर ऐडवाइज़री बोर्ड बने तो क्या उस के उसूल बा ज़ाबता होने चाहियें। यह सब दफा २२ में दर्ज है और सरकार इस को एक परमानेन्ट क़ानून बना सकती थी, लेकिन उस ने ऐसा न कर के हालात को देखते हुये जब जब ज़रूरत पड़े, इस क़ानून को ऐक्सटड (विस्तृत) करते जाना और मुनासिब सुधार और तबदीली करते जाना ही मुनासिब समझा। जनाब को बख़ूबी मालूम है कि इस सरकार में वह लोग शामिल हैं और उन लोगों की यह सरकार है जिन्होंने पिछले ज़माने में इस प्रीवैन्टिव डिटेन्शन ऐक्ट के मातहत कितनी ही मुसीबतें झेलीं और क़ैद में रहे, उन लोगों के लिये मेरे दोस्तों का आज यह कहना कि वह प्रीवेन्टिव डिटेंशन ऐक्ट को जानते नहीं हैं और उन को इस के बारे में क़िस्से सुनाना, यह जायज़ और दुरुस्त नहीं है। हमारी सरकार ने इस को पक्का क़ानून बनाना पसन्द नहीं किया, इस क़ानून को जिस को हमारे एन० सी० चैटर्जी फरमाते हैं कि यह हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) पर एक ब्लाट (धब्बा) है, काटजू साहब हमारे पसन्द नहीं करते कि यह परमानेन्ट क़ानून बने। इसी लिये सरदार साहब ने सबसे पहले इस को एक साल के लिये करवाया था और इस को पास करवाते वक्त उन्होंने भी कहा कि हम इस को परमानेन्ट फीचर (स्थायी विषय) नहीं बनाना चाहते हैं, फिर इस को रिन्यू (नवकरण) किया गया और इस में तरमीम की गई, लेकिन यह हर मर्तबा कहा गया कि हम इस को परमानेन्ट फीचर नहीं बनाना चाहते। यह भी क़ानून बना दिया गया है कि हर एक केस ऐडवाइज़री बोर्ड के पास जायेगा, हालांकि कान्स्टीट्यूशन में यह है कि कुछ खास ऐसी सूरतें हो सकती हैं जिन में तीन महीने से ज्यादा किसी आदमी को बिला ऐडवाइज़री बोर्ड के सामने पेश किये हुये क़ैद में रखा जा सकता था, लेकिन हम ने ऐसा क़ानून नहीं बनाया और कहा कि हर केस ऐडवाइज़री बोर्ड के सामने जाये। जनाबवाला देखें कि आहिस्ता आहिस्ता यह क़ानून हम ठीक करते जा रहे ह और पहले पहल जब सरदार साहब इस को लाये एक साल के लिये तो उन्होंने फरमाया कि यह एक ही सिटिंग (बैठक) में पास हो जाना चाहिये और चुनांचे यह क़ानून उसी वक्त पास हो गया, उस वक्त हालात और तरह के थे, उस के बाद दोबारा यह फिर एक्सटेंशन के लिये पेश हुआ, बहुत बहस मुबाहिसा हुआ और लोगों ने उस में बहुत हुज्जतें पेश कीं और हमारी गवर्नमेंट से उस कानून के अन्दर हमारी कुछ तरमीमों को भी माना जिस के अनुसार ऐडवाइज़री बोर्ड को यह अख़्तियार दिया गया कि अगर वह चाहे तो उस शख़्स को अपने सामने तलब कर सके और उस की भी बात सुन सके और आज जनाबवाला उस तरमीम के मुताबिक हर शख़्स को यह हक दिया जाता है कि बतौर हक़ के ऐडवाइज़री बोर्ड के सामने जाये और उस के सामने अपनी कहानी पेश कर सके। पिछले क़ानून के अन्दर हर एक कलक्टर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को यह अख़्तियार हासिल था कि अगर कोई शख़्स इस क़ानून की जद में आवे तो वह उस को गिरफ्तार कर सकते थे और फिर लोकल गवर्नमेंट (स्थानीय सरकार) को रिपोर्ट कर देते थे और लोकल गवर्नमेंट को उस गिरफ्तारी के हुक्म पर कनफर्म (पुष्टि) करने की कोई जरूरत नहीं रहती थी, लेकिन

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

आज जो यह नया बिल आया है उस में लोकल गवर्नमेंट प्राविन्शयल गवर्नमेंट के ऊपर वर्क ड्यूटी (कर्तव्य) डाली गई है कि वह उस केस को देखे, पन्द्रह दिन के अन्दर उस केस की रिपोर्ट हो और गवर्नमेंट यह देखे और तय करे कि आया यह अख्तियार ठीक इस्तेमाल हुआ है या नहीं, इतना ही नहीं लोकल गवर्नमेंट की इस में यह ड्यूटी बतलाई गई है कि वह उस केस की रिपोर्ट सैण्ट्रल गवर्नमेंट (केन्द्रीय सरकार) के पास भेजे और सेंटर की गवर्नमेंट को यह अख्तियार दिया गया है कि वह इस बारे में अपना निर्णय दे । मुझे यह मानने में कोई ताम्मुल नहीं है कि जैसा कहा गया है कि यह सख़्त क़ानून है और इस के ऐप्लीकेशन (परिपालन) में लोगों को बहुत दुश्वारियां पेश आई हैं, बहुत सी सूरतों में ग्राउण्ड्स (आधार) नहीं दिये गये हैं और बहुत से केसेज़ में लोगों के साथ सख्तियां हुई हैं, मैं इन सब शिकायतों को मानने को तैयार हूं, क्योंकि यह वाकया है और हकीकत है कि जो नोबुल स्प्रिट (महानुभावता) आज यहां के हमारे बीस मिनिस्टर्स के अन्दर मौजूद है, वह सारे ऐडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर मौजूद नहीं है वह नोबुल स्प्रिट हमारे सारे सरकारी अफ़सरान के दिलों में परकुलेट (स्थान) नहीं कर पायी है ।

मैं हर्गिज़ यह मानने को तैयार नहीं हूं कि यहां जो क़ानून हम पास करते हैं उस के लोकल एप्लीकेशन (स्थानीय परिपालन) में ख़राबियां नहीं होतीं । मेरे लायक दोस्त ने जो ख़राबियां सुनाईं, श्री गोपालन ने जो बहुत सारे किस्से सुनाये, ऐन० सी० चैटर्जी साहब और दूसरे साहबान ने जो मिसालें बताई मैं नहीं कहता कि उन में सच्चाई नहीं है । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि दुनिया के अन्दर कौन सा कानून है जिसके अन्दर बेइन्साफी नहीं होती, जिस के अन्दर शिकायतें नहीं होतीं और जिन का खराब यूज़ (उपयोग) नहीं होता । जनाब को मालूम है कि आज पेनल कोड (दण्ड-संहिता) और दूसरे क़ानूनों के अन्दर पचास फ़ी सदी कन्विक्शन (दंडसिद्धि) होते हैं और कम से कम पचास फ़ी सदी मुकदमे ख़ारिज हो जाते हैं । पचास फ़ी सदी मामलों का चालान दुरुस्त नहीं होता । चूंकि हर केस में सज़ा नहीं होती और न हर केस में इन्साफ़ होता है इस लिये शिकायतें होती हैं लेकिन जनाब के सामने यह सवाल नहीं है कि प्रिवेन्टिव डिटेंशन (निवारक निरोध) में भी सारे आदमी सही नहीं होते । इस बिल को सिलेक्ट कमेटी (चुनी समिति) में ले जाना चाहते हैं । मैं ने चन्द तरामीम के नोटिस दिये हैं और हमें उन पर जोर देना चाहिये ताकि हमारे कानून के अन्दर इस तरह की शिकायतें न हो सकें जिन का ज़िक्र किया गया है । लेकिन यह चीज बिल्कुल मुख़्तलिफ़ है इस चीज़ से कि यह कानून ही नहीं होना चाहिये । हमारे कान्स्टीट्यूशन में अव्वल दर्जे का फण्डामेण्टल राइट हैं । मैं हाउस को दफा ३५५ पढ़ कर सुनाना चाहता हूं जिस के अन्दर हिन्दुस्तान की पैंतीस करोड़ आबादी के लिये एक फण्डामेंटल राइट ग्रांट किया था । दफा ३५५ में जो कुछ लिखा है वह इस तौर पर है :

> "बाहय आक्रमण और अभ्यंतरिक अशान्ति से प्रत्येक राज्य का संरक्षण करना तथा प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार चलाई जाये, यह सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा ।"

मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि यहां पूछा जाता है कि इस में क्या फण्डा

मेंटल राइट दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि यह ३५ करोड़ आदमियों का फ़ण्डामेंटल राइट है कि स्टेट (राज्य) के अन्दर, भारत की जो सरकार है उस सरकार के अन्दर इन्टेग्रिटी (सत्यशीलता) क़ायम रहे, भारत सरकार के अन्दर हर एक आदमी को भूख से बचाया जाय और हर एक आदमी को इन्साफ़ मिले, सरकार एक्सटर्नल एग्रेशन (बाह्य आक्रमण) को रोक सके, और इन्टर्नल कमोशन (आभ्यन्तरिक अशान्ति) न होने दे इसलिये यह ज़िम्मेदारी जो दफ़ा ३५५ में यूनियन गवर्नमेंट की है वह सारे देश का फण्डामेंटल राइट है अगर इस की रू से चन्द आदमियों को बेजा तक़लीफ़ होती है, तो उसका हमें सख्त अफ़सोस है। हम नहीं चाहते कि किसी को तकलीफ़ हो, लेकिन अगर अनएवायडेबल (अत्याज्य) चीज़ें हो जाती हैं तो उन की तरफ़ देश को ध्यान नहीं देना चाहिये, और अगर ध्यान देना है तो बहुत सी चीज़ें हैं जिन को हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। यह मैं कहना चाहूंगा। जहां हमारा यह फंडामेंटल राइट है वहीं दफा २२ म यह दर्ज है:

> "बन्दी किये जाने और हवालात में निरुद्ध किये जाने के प्रति संरक्षण।"

यहां भी प्रोटेक्शन (संरक्षण) का लफ्ज़ दर्ज है कि प्रोटेक्शन क्यों है। शायद कहीं इन्डिस्क्रिमिनेट अरेस्ट (अनुचित बन्दीकरण) वग़ैरह हो जाय तो गिरफ्तारी के बाद खास क़ानून के अन्दर उन को कार्यवाही करनी होगी। हर एक आदमी के लिये इन्डिविजुअल फण्डामेंटल राइट (वैयक्तिक मूल अधिकार) भी है, अगर उस के अन्दर यह न होता कि कभी कोई आदमी प्रिवेन्टिव डिटेन्शन ऐक्ट के अन्दर गिरफ्तार हो जाये तो उस का बचाव न हो कर अगर कान्स्टिट्यूशन में से दफा २२ निकाल दें तो सारे का सारा फण्डामेंटल राइट अधूरा रह जाता है। दफ़ा २१ में दर्ज है कि किसी आदमी को किसी जुर्म के लिये सज़ा नहीं हो सकती जब तक उस को क़ानून के मुताबिक सज़ा न दी जाय। लेकिन दफ़ा २२ के अन्दर दर्ज है कि अगर किसी को पुलिस अरेस्ट कर ले तो उस के साथ क्या किया जाय। रामास्वामी साहब ने बताया कि पुलिस को कहां तक हक़ हासिल हैं। मैं जनाब का वक़्त ज़्यादा नहीं लेना चाहता वरना मैं जनाब को दिखाता कि हमारे यहां जितनी स्पीचें हो रही हैं, और डिस्कशन (बहस) हो रहा है उस में सिर्फ़ यह कहा गया है कि पुलिस को क्या हक़ है। आज किसी आनरेबल मेम्बर ने नहीं कहा कि क्रिमिनल प्रोसीज़र कोड (दण्ड-प्रक्रिया संहिता) को खत्म कर दो, किसी ने बिल पेश नहीं किया कि इंडियन पेनल कोड को हटा दो। उन की रू से जो अख्तियार है और दफ़ा २२ में जो अख्तियार है उस में बहुत फ़र्क नहीं है। गो कि मैं मानता हूं कि उस का ठीक इस्तेमाल होना चाहिये। इस के लिये यह कहा गया है कि जब आर्डिनरी ला आफ़ दि लेंड (देश के साधारण क़ानून) से काम न चल सके तभी यह इस्तेमाल किया जाय। इस प्रिवेन्टिव डिटेंशन के क़ानून के ज़रिये किसी आदमी को सज़ा नहीं दी जा सकती। यह एक्ट प्यूनिटिव (दंडात्मक) तो है ही नहीं। इसमें आदमी को कानूनन तकलीफ़ नहीं दी जा सकती। यह प्यूनिटिव डिटेन्शन नहीं है, यह प्रिवेन्टिव डिटेन्शन है। हम इस लिये किसी आदमी की आज़ादी छीनते हैं कि वह इस स्टेट को कोई नुक़सान न पहुंचा दे, हम उस को और कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं यह बात बिल्कुल साफ़ है। इस लिये मैं अर्ज़ करूंगा कि अगर कोई शख्स जुर्म करता है तो उस को इस एक्ट के मातहत हर्गिज़ नहीं आना चाहिये। इस से इस स्टेट

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

को ही नुकसान है । जो शख्स इस प्रिवेन्टिव डिटेंन्शन की ज़द में आता है वह ज़्यादा से ज़्यादा १२ महीने की जेल पा सकता है, वह भी सिम्पल (साधारण) और ढाई रुपया रोज़ उस के खाने पर खर्च आता है जब कि एक मामूली क़ैदी पर बहुत कम खर्च आता है । इन दोनों के अन्दर फर्क़ क्या है ? दफ़ा २२ के अन्दर दर्ज है दोनों तरह के अश्खास के वास्ते । अगर एक आदमी को पुलिस मामूली जुर्म में गिरफ्तार करेगी और दूसरे को प्रिवेन्टिव डिटेंशन के मातहत तो दोनों के वास्ते हिदायतें दी हुई हैं । उस में लिखा हुआ है कि जितनी जल्द हो सके उन को डिटेन्शन के ग्राउण्ड्स दे दी जाये । दोनों के वास्ते एक सा हुक्म है । इसलिये दफ़ा २२ (५) में दर्ज है कि उन को फ़ौरन, ऐज़ सून एज़ मे बी (यथासम्भव शीघ्र) बतलाया जाय कि उन के खिलाफ़ क्या चार्जेज (दोषारोप) हैं और उन को मौक़ा दिया जाय कि वह अपना रिप्रेज़ेन्टेशन (प्रतिनिधित्व) कर सकें ।

इस के अलावा जनाब मुलाहज़ा फ़र्मायेंगे कि एक मामूली ऐक्यूज़्ड (अभियुक्त) को २४ घण्टे में मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की शर्त है उस के बाद इस में अगर पुलिस चाहे तो १५ दिन तक अपनी क़स्टडी (अभिरक्षा) में रख सकती है, और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या ऐडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कमिश्नर आफ़ पुलिस बम्बई और कलकत्ता चाहे तो रिमाण्ड लेकर पन्द्रह पन्द्रह दिन कर के और भी अरसा कस्टडी में रखा जा सकता है । लेकिन अगर प्रिवेन्टिव डिटेन्शन में गिरफ्तार करना होगा तो फ़ौरन गिरफ्तारी की वजूहात देने होंगे । इस के वास्ते बहुत साफ़ शरायत दी हुई हैं ।

मेरे लायक़ दोस्त डा० जयसूर्य साहब ने सवेरे अपनी तक़रीर में बहुत सी बातें कहीं, मेरे दिल में उन के वास्ते बहुत इज्ज़त है क्योंकि वह मिसेज़ सरोजनी नायडू के फ़र्ज़न्द अर्ज़मन्द हैं । लेकिन जब उन्होंने आज बर्क साहब की स्पीच पढ़ कर सुनायी तो मुझे बहुत पुरानी बात याद आ गई कि बर्क साहब ने आरबिट्रेरी (स्वच्छन्द) लफ़्ज़ पर कैसी चोर की बहस की थी । लेकिन वह बहस यहां पर लागू नहीं हो सकती । मैं तो कहना चाहता हूं कि आरबिट्रेरी चीज़ रह ही कहां जाती है जब कि गवर्नमेंट पाबन्द है कि आदमी को एडवाइज़री बोर्ड के सामने पेश करे । और अगर ऐडवाइज़री बोर्ड का यह फ़ैसला हो कि काफ़ी वजूहात नहीं हैं तो गवर्नमेंट को अख़्त्यार नहीं है कि किसी शख्स को एक दिन भी कस्टडी में रख सके । ऐडवाइज़री बोर्ड की तमाम फ़ेहरिस्त श्री राजगोपालाचार्य साहब ने हमारे सामने पढ़ कर सुनाई थी । आज जितनी बहस मैं ने सुनी, किसी साहब को मैं ने यह कहते नहीं सुना कि जहां तक ऐडवाइज़री बोर्ड का ताल्लुक़ है उस के आदमी ठीक नहीं है, वह गवर्नमेंट के आदमी हैं, सरकार के येस मैन पिट्ठू हैं, वह झठी चीज़ कहते हैं वह बेजा तौर पर लोगों के साथ गद्दारी करते हैं, एक साहब ने भी यह नहीं कहा कि जिन लोगों की फेहरिस्त पढ़ कर सुनाई गई थी उन के बारे में क्या शुबहा हो सकता है कि वह इन्डेपेण्डेण्ट (स्वतन्त्र) आदमी नहीं है । जो मुक़दमे १०७ और ११० के अदालतों में आते हैं, वह डेढ़ दो वर्ष तक चलते हैं । आज १०७ में और इस क़ानून में क्या फ़र्क़ है । अगर एक आदमी रांगफ़ुल (ग़ैर-क़ानूनी) काम करता है तो पुलिस का सब-इन्स्पेक्टर उसे गिरफ्तार कर सकता है, अगर वह ब्रीच आफ़ दी पीस (शांति भंग) करता है, या उस का जुर्म करने का इरादा है तो एक सब इन्स्पेक्टर उसे गिरफ्तार कर

सकता है। आखिर इन में क्या फ़र्क़ पड़ता है। कोई खास फ़र्क़ नहीं है सिवा इस के कि इस में गिरफ़्तार शख़्स को अदालत में ले जाना होता है, और यह काफ़ी नहीं है कि उसे अदालत में ले जाया जाये, उस को को हक़ है कि वह वकील करे, और अपने लिये जिरह करे। इस में क्या हक़ है। अदालतों में तो केसेज़ (मुक़दमे) बरसों चला करते हैं, लेकिन यहां पर जल्द से जल्द यह मामला खत्म किया जाता है।

४ म० प०

और इस के आगे जनाबवाला मुलाहिजा फ़रमायें। जब कि एक हालत में एक इन्सान रियल (वास्तविक) जुर्म में पकड़ा जाता है, इस हालत में शुबहा में पकड़ा जाता है। उस के पास्ट रिकार्ड (पिछले आचार) को देख कर, उस के मूवमेंट्स (हरकात) को देख कर शुबहे में उस को पकड़ा जाता है। मैं अदब से पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों को शुबहे में पकड़ा जाये वह क्रास ऐग्ज़ामिनेशन (प्रतिपरीक्षण) किस चीज पर करेंगे। कैसे वह गवाह बुलायेंगे, कैसे उन का ट्रायल (परीक्षण) होगा। हां जहां कहीं ओवर्ट ऐक्ट (प्रत्यक्ष कार्य) की बात हो वहां पर शहादत हो सकती है और उस के लिये गवाह भी हो सकते हैं। अगर उस के ख़िलाफ़ यह चार्ज हो कि उस ने कलकत्ते में ओवर्ट ऐक्ट किया तो वह यह शहादत दे सकता है कि वह उस दिन कलकत्ता में नहीं था। इसी वास्ते मैं चाहता हूं कि ऐडवाइज़री बोर्ड को यह ताक़त दी जाये कि किसी भी केस में वह गवाह भी बुला सके और डाक्यूमेंट्स (documents) भी ऐग्ज़ामिन कर सके। ऐडवाइज़री बोर्ड में बड़े अच्छे और तजुर्बाकार आदमी होंगे। आज मजिस्ट्रेट नया नया आता है। कालिज से निकलने के बाद नौ महीने की ट्रेनिंग के बाद वह चाहे जिस आदमी को दो साल की सजा कर देता है। लेकिन यह ऐडवाइजरी बोर्ड के आदमी हाई कोर्ट के जज होंगे। यह दस साल से कम प्रैक्टिस वाले ऐडवोकेट (अधिवक्ता) नहीं होंगे। यह बड़े तजुर्बेकार होंगे। उन को यह ताक़त दे दी जाय कि अगर वह किसी शख़्स को बुलाना चाहें तो उस को बुला सके। मैं ने पहले भी यह तजवीज़ की थी। जब यह मामला कान्स्टीट्यूएन्ट असेम्बली के सामने था तो एक आफ़िशियल अमेंडमेंट (शासकीय संशोधन) आया था कि यह अरसा एक साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिये उसे बहुत से लोग जिन में मैं भी था एक साल भी नहीं रखना चाहते थे। हम को एक साल जरूरत से ज्यादा मालूम होता था। लेकिन जनाब वाला यह तजवीज़ की गई कि यह बात आयन्दा पार्लियामेंट पर छोड़ दीजिये महज शुबहे में पकड़ लेने के बाद इस से ज्यादा अरसे तक डिटेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिये मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि एक साल से ज़्यादा डिटेन न किया जाये। इस वक्त जो क़ानून है उस की रू से यह चीज़ १५ महीने तक हो सकती है। इस बारे में मेरे दोस्त कृष्णास्वामी ने इस हाउस में अर्ज़ किया था कि विलायत के अन्दर क़ानून यह है कि वहां के होम मिनिस्टर सरटीफ़ाई (तस्दीक़) करते हैं कि इस केस को मैं ने देख लिया है, इस केस में यह ज़रूरी है कि इस आदमी को डिटेन किया जाये। हमारे देश में मुझ को यह मुमकिन नज़र नहीं आता है कि हमारे होम मिनिस्टर साहब हर एक केस को देख सकें क्योंकि यहां ऐसे हालात बन सकते हैं कि जहां पर बहुत ज्यादा इस क़िस्म की एप्लीकेशन्स हों। हम दरजे ब दरजे आगे बढ़ रहे हैं। पहले यह क़ानून था कि अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गिरफ्तार करता था तो वह उस मामले को लोकल गवर्नमेंट को रेफ़र कर देता था। अब हम ने यह तबदीली इस क़ानून में की

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

है कि लोकल गवर्नमेंट इस को कन्फर्म (पुष्टि) करे । मैं चाहता हूं कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इस काम को करे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पर लोगों को बहुत ज़्यादा भरोसा है बमुक़ाबले स्टेट्स गवर्नमेंट्स के मैं सेंट्रल गवर्नमेंट पर इस मामले की ज़िम्मेदारी डालना चाहता हूं कि सेंट्रल का वह मिनिस्टर जिस की ज़िम्मेदारी ला एण्ड आर्डर (विधान और सुव्यवस्था की हो जब तक वह इस को कनफ़र्म न कर दे उस वक्त तक वह डिटेंशन पक्का न हो । एक चीज़ इस बारे में मैं खास तौर पर अर्ज़ करना चाहता हूं । मैं यह तरमीम चाहता हूं जिस का श्री गोपालन साहब ने ज़िक्र किया है । इस में शक नहीं है कि एक शख्स को डिटेन करने से पहले यह देखा जाय कि इस के एंटीसिडेंट्स (पहले के आचार) क्या हैं और यह पहले डिटेन हो चुका है या नहीं । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि क़ैद की मीयाद भुगतने के बाद हर एक शख्स जेंटिलमैन (सज्जन) बन जाता है । अगर एक आदमी एक दफा डिटेन हो चुका है तो उस को दोबारा उसी ग्राउण्ड पर डिटेन करना ठीक नहीं । जब तक फ़्रेश काज़ (नया कारण) न हो उस वक्त तक उस आदमी को उसी मामले के बारे में दोबारा डिटेन नहीं किया जाना चाहिये । यह हमारे कान्स्टीट्यूशन की दफ़ा २० के प्रिन्सिपल के खिलाफ़ है । उस में दिया हुआ है :

> "किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिये एक से अधिक बार अभियोग नहीं चलाया जायेगा न ही दण्ड दिया जायेगा ।"

यहां तो कोई प्रासीक्यूशन (अभियोग) भी नहीं और कोई पनिशमेंट (दण्ड) भी नहीं है । यहां तो सिर्फ़ डिटेंशन है । इसलिये बिला फ्रेश काज़ के उस शख्स को उसी काज़ पर दोबारा डिटेन नहीं करना चाहिये । मैं अदब से गुज़ारिश करना चाहता हूं, जनाब वाला कि यह तीन चार बातें इस में से अलग कर दी जायें जिन के बारे में शिक़ायत है । लेकिन जो मेरा क्रिटिसिज़्म (आलोचना) है और जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं अपने दोस्तों से वह किसी क़दर मुख़्तलिफ है । तरमीम क़ानून में की जाये ताकि क़ानून अच्छा हो जाये । लेकिन क़ानून को ही ख़त्म कर दिया जाये यह दुरुस्त नहीं है--

जनाब वाला १५ अगस्त, १९४७ को जब मैं पार्लियामेंट को आ रहा था तो मैं यह उम्मीद लिये आ रहा था कि आज हिन्दुस्तान को आज़ादी मिलेगी । उस रोज़ मैं ने रास्ते में देखा कि कम से कम तीन सौ आदमी स्वराज्य के ख़िलाफ़ मशालें हाथ में लिये हुये नारे लगा रहे थे । वह चाहते थे कि हम को स्वराज्य न मिले । क्या हम को याद नहीं कि उस वक़्त जो हमारे राजे महाराजे थे उन्होंने किस तरह उस के खिलाफ़ काम किया वह हमारे लीडर्स नेता महात्मा गांधी व नेहरू व पटेल साहब के निशाने बना बना कर उन पर बन्दूकें और पिस्तौलों की गोलियों चलाने की मश्कें करते थे । मैं उस सारी हिस्ट्री (इतिहास) को दोहराना नहीं चाहता। लेकिन मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जब देश के अन्दर यह हालात थे, जब वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान से लाखों की तादाद में लोग यहां पर आ रहे थे, देश के अन्दर गवर्नमेंट का बायकाट (बहिष्कार) और सिविल रेज़िस्टेंस (सविनय प्रतिरोध) हो रहा था, उस ज़माने में उस गवर्नमेंट ने जो कि उस वक़्त बरसरे इक्तिदार आई थी और जिस के आदमियों को एक्सपीरियेंस (अनुभव) नहीं था, उन

को एक्सपीरियेंस था इस चीज़ का कि ऐलियन गवर्नमेंट (विदेशी सरकार) से यहां की आज़ादी को किस तरह से लें, पर ऐडमिनिस्ट्रेशन का ऐक्सपीरियेंस नहीं था। अगर उस ज़माने में हम ने यह क़ानून पास किया, तो उस के लिये देश के लोगों को हमारी गवर्नमेंट को क्रेडिट (श्रेय) देना चाहिये जिस ने अमन अमान क़ायम रखा। इसकी ज़िम्मेदारी हमारे डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी उतनी ही थी जितनी कि और मिनिस्टर साहिबान की। आज मैं उस वक्त सारे के सारे हालात को दोहराना नहीं चाहता। मुझ से पहले अभी जिन साहब ने तक़रीर की उन्होंने कहा कि मैं यह तसलीम कर सकता हूं कि हो सकता है कि सौराष्ट्र के अन्दर ऐसे हालात हों जहां कि इस ऐक्ट की ज़रूरत हो। हमारे भाई नथवानी जी ने, जो कि सौराष्ट्र से आते हैं हम को बतलाया कि वहां हालात ऐसे हैं कि वहां इस ऐक्ट की ज़रूरत है। मेरे एक दोस्त ने राजस्थान के बारे में क़िस्सा सुनाया कि वहां क्या हालात हैं, राजस्थान के बारे में तो मैं खुद भी काफी जानता हूं। और दूर जाने की क्या ज़रूरत है। ज़िला हिसार में, पैप्सू, में जो हालात हो रहे हैं वह इस क़िस्म के हैं। वहां इस की सख्त ज़रूरत है। वहां आदमियों को किडनैप (बलात् अपहरण) किया जाता है। एक गिरोह ने एक सेठ को गिरफ्तार कर लिया और कहा कि चालीस हज़ार रुपये दो तो छोड़ेंगे। कभी किसी के बच्चे को किडनैप कर लेते हैं। यह जुर्म तो हमेशा होते रहे हैं लेकिन अब जो यह जुर्म हो रहे हैं यह कांसपिरेसी (षड्यन्त्र) के क़िस्म के जुर्म हैं। ऐसे लोग यह जुर्म करवाते हैं जिन के ख़िलाफ कोई ऐवीडेंस (साक्ष्य) अदालती कार्यवाही के लिये नहीं हैं। अब लोग इस देश में कहते हैं कि हमारा ऐवीडेंस ऐक्ट पुराना हो गया है, यह ज़माने के मुताबिक़ नहीं है। उन का कहना है कि जिस तरह ज़माना तबदील होता रहता है उसी तरह जुर्म करने वाले भी तबदील होते रहते हैं। और उन के तरीक़े तबदील होते रहते हैं तो उस के साथ ही क़ानून में भी तबदीली होनी चाहिये। मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि हमारे देश में जो हालात हैं वह दूसरे मुल्कों में नहीं हैं और किसी मुल्क से हमारा मुक़ाबला नहीं किया जा सकता। मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि हम ने विलायत में यह देखा है कि वहां पर मलिका मुअज्ज़िमा को बच्चा होते वक्त उतना ही कपड़ा दिया जाता है जितना कि एक मज़दूर औरत को दिया जाता है। कुछ दिन हुये हमारे एम्बेसेडर साहब विलायत तशरीफ ले गये थे। वहां पर चीनी का राशन था। उन को कुछ शुगर के कूपन्स मिले थे। उन्होंने उन में से कुछ अपने शोफर को देना चाहे तो उस ने कहा कि क्या आप मुझ को अपने मुल्क के ख़िलाफ करना चाहते हैं? मैं ने हाउस में कहा था कि मैं नहीं जानता कि कितने ऐसे आदमी हैं कि जिन्होंने यहां ब्लैक मार्केटिंग (चोर बाज़ारी) न किया हो सिर्फ एक साहब ने तरदीद की अभी हमारे दोस्त ऐन० सी० चटर्जी साहब ने, जो कि एक मशहूर कानूनदां हैं और मशहूर तक़रीर करने वाले हैं, अपने अनडाइंग (न भूले जाने वाले) अल्फाज़ में कहा कि हुकूमत को डिकंट्रोल (अनियंत्रित) कर देना चाहिये इस रिप्रसिव ऐक्ट का। यहां रिप्रेशन (दबाव) तो है नहीं। पर मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि आज इस मुल्क के लिये यह बहुत ज़रूरी है कि यहां डिकंट्रोल फ़ूड का कर दिया जाये। लेकिन मैं आप से पूछता हूं कि किस तरह इस डिकंट्रोल को कामयाब बनाया जा सकता है। आज इस डिकंट्रोल की वजह से लोगों के दिल में जोश है और वह कहते हैं कि हम अपने देश में खूब गल्ला पैदा करेंगे और ऐसा इन्तिज़ाम करेंगे कि बाहर से न मंगाना पड़े। हम

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

अपने मुल्क में साढ़े बारह करोड़ रुपया ख़र्च करके भी ग़ल्ले की पैदावार की कमी को पूरा नहीं कर सके हैं। तो अगर इस डिकण्ट्रोल को कामयाब बनाना है तो इस पावर को गवर्नमेंट के पास रहना चाहिये क्योंकि यहां बड़े बड़े होर्डर्स (अपराशीकारी) और प्राफिटियर (अनुचित लाभ उठाने वाले) और ब्लैक मारकेटियर्स हैं। उन सब को गवर्नमेंट इस ऐक्ट के मातहत खतम कर सकती है। अदब से अर्ज करूंगा कि स देश के अन्दर अनाज़ काफी है और होर्डिंग की वजह से हम को अनाज़ नहीं मिलता। अगर यह पावर (शक्ति) नहीं दी जायगी तो इस देश के अन्दर उन बड़े बड़े ताजिरों पर हम क़ाबू नहीं हासिल कर सकेंगे जो कि हज़ारों मन ग़ल्ला ख़रीदते हैं, होर्ड करते हैं और चाहते हैं कि भाव बढ़े। मामूली तौर से आप इन लोगों को नहीं जान सकते हैं। तो अगर आप दरअस्ल यह ज़रूरी समझते हैं कि अनाज़ का डिकंट्रोल होना चाहिये तो यह पावर गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिये। अगर यह पावर गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होगी तो वह इस का इलाज़ नहीं कर सकेगी।

मैं ने एक शिक़ायत भी किसी अपने भाई अपोज़ीशन के मैम्बर से नहीं सुनी कि जिस ने यह कहा हो कि जिन आदमियों की फहरिस्त हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बतलाई थी कि ९३ आदमियों को गिरफ्तार किया गया था वह ठीक नहीं था। किसी भाई ने अपोज़ीशन (विरोधी पक्ष) की तरफ से यह नहीं कहा कि सौराष्ट्र के अन्दर गिरासदारों के ख़िलाफ जो कार्यवाही की गई है वह दुरुस्त नहीं थी, जिस का नतीजा, जनाब वाला, मैं यह निकालता हूं कि जहां तक ला एण्ड आर्डर का सवाल है, जहां तक कि एसेंशियल सप्लाई (आवश्यक संभरण) का सवाल है, इस देश के अन्दर मैं ने किसी क़िस्म की कोई शिक़ायत नहीं सुनी कि इस क़ानून का अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं हुआ। फिर शिक़ायत कहां है ? शिक़ायत वहां है कि जहां सिक्योरिटी आफ स्टेट (राज्य की सुरक्षा) का सवाल है, कि जहां किसी कम्युनिस्ट भाई को या हिन्दू महासभाई भाई को या किसी और को पकड़ा गया। जहां तक उन का सवाल है उन की शिक़ायत है कि हमारे बरख़िलाफ इस का अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं किया गया। मैं पार्टीक्यूलर केसेस (विशेष मामलों) के बारे में नहीं कह सकता जब तक कि पूरा इल्म न हो। मुमकिन है कि उन की शिक़ायत कुछ हद तक जायज़ हो। लेकिन उन का यह कहना कि इस क़ानून को न बनाया जाये, इस की मशीनरी को न रखा जाये, ठीक नहीं है। यह कहिये कि कुछ अफसरान ने ठीक काम नहीं किया तो उन को आप सज़ा दिलाइये। उन को सरदार पटेल के लफ्ज़ों में (**अन्तर्बाधा**)..... तो आप उस इक़रार को याद दिला सकते हैं और गवर्नमेंट पर ज़ोर डाल सकते हैं। आप के अख्तियार में है कि जो शख्स मैला फाईड (दुर्भाव) तरीके पर किसी आदमी को गिरफ़्तार करेगा उस को क़ानून सज़ा देगा। जो आदमी गुड फ़ेथ (सत्-श्रद्धा) में काम नहीं करेगा उस को सज़ा मिलेगी, इस में क़ानून आप के साथ होगा। लेकिन इस बिना पर कि एक आदमी रिश्वत लेता है, एक जज़ ठीक फैसला नहीं करता तो उस पर आप कहते हैं कि इस क़ानून को तोड़ कर फैंक दो, आई० पी० सी० (भारतीय दण्ड-संहिता) को रद्द कर दो, क्रिमिनल प्रोसीज्योर कोड को रद्द कर दो, क़ानून को हटा दो ठीक नहीं है। अगर इस क़ानून में नुक्स है, कोई ख़राबी है तो हम इस वास्ते बैठे हैं कि इस क़ानून को दुरुस्त करें। अगर

इस का ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं होता तो हम चाहते हैं कि ठीक तरह से इस्तेमाल हो और ग़लत इस्तेमाल करने वाले को सज़ा दी जाये। हम सब इस बारे में एक एम (उद्देश्य) रखते हैं और वह यह है कि इस देश में अमनो अमान हो, हर भाई को इस देश में वह हक़ जो स्वराज्य ने दिये हैं पूरी तरह हासिल हों, वह पूरी तरह अपनी पर्सनेलिटी (व्यक्तित्व) को अटेन (प्राप्त) करे। इस में हम सब मुत्तफिक़ हैं।

मैं जानता हूं कि काम करने के मुख्तलिफ तरीक़े हैं। और अब तक बावजूद होम मिनिस्टर के अपील करने के यह कहना हमारे कम्यूनिस्ट भाइयों ने क़बूल नहीं किया कि हम अपने मैथड (रीति) को तबदील करते हैं। वह अपने मैथड को जैस चाहें रखें या न रखें, लेकिन मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक इस देश में इस क़ानून का सवाल है, यह क़ानून निहायत माक़ूल, निहायत ह्यूमेन (दयालु) और सब के इंटैरेस्ट में है। यह उन लोगों के भी इंटैरेस्ट में है जिन को कि डिटेन किया जाता है, क्योंकि अगर उन को डिटेन नहीं किया गया तो वह जुर्म करेंगे। तब उन को सज़ा होगी और वह क्या सज़ा होगी ? दस साल या सात साल की सज़ा होगी। यह दफा १०७ जिस के बरख़िलाफ लोग इतना कहते हैं मैं जानता हूं, ख़ुद अपनी प्रैक्टिस में मैं ने देखा है कि जिन आदमियों की ज़मानतें ली जाती हैं यह उन के फायदे के लिये है। जिन आदमियों की ज़मानतें ले ली गई हैं वह गांव के गांव जो आपस में लड़ते झगड़ते थे, वह सब सिर्फ ज़मानत से जुर्मबन्द हो जाता है तो यह एक साइकोलोजिकल (मनोवैज्ञानिक) सवाल है। जो जेलखाने बने हैं वह इस वास्ते कि जो आदमी पैथालाजिकली डैफीशियेंट (निदान-रहित) समझे जाते हैं उन को वहां रखा जाये। उन को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है बल्कि ज़रूरत यह है कि उन जेलख़ानों में उन को रख कर ठीक किया जाये और उन लोगों को कहा जाय कि तुम जो जुर्म करते हो देश के बरख़िलाफ जो कार्यवाही करते हो वह न करो। (इस समय घंटी बजी।) जनाब की घंटी बज गयी है, मैं अब एक मिनट भी और ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं।

पंडित एस० सी० मिश्र (मुंगेर उत्तर-पूर्व) : जो चर्चा इस सदन में हुई है उससे हम समझ सकते हैं कि इस विधेयक का क्या होगा। परन्तु इस विधेयक का पारण करने से पूर्व इस महान सदन को इस विधेयक के सम्बन्ध में प्रत्येक व्यक्ति के विचार सुनने चाहिये।

मुझ को या सदन के इस पक्ष में किस के लिये भी अपनी सच्चाई का प्रमाण देना अति कठिन है क्योंकि ज्यों ही कोई भाषण दो उठता है तो या तो उस को साम्यवादी समझा जाता है या डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सदृश बुरे संग में पड़ा हुआ व्यक्ति माना जाता है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पक्ष में मेरे मित्रों में से कई ऐसे हैं जिन्हों ने गत तीस वर्षों में भारत की स्वतन्त्रता के युद्ध में भाग लिया है। हो सकता है कि दूसरे पक्ष के अमुक व्यक्ति इस कारण आज बहुत ऊंची पदवी पर पहुंचे हैं कि उनकी सफलता-प्राप्ति अधिकतर थी। परन्तु आज मेरे इन मित्रों की क्या स्थिति है। श्रीमान्, जब तक हम सदन में होते हैं और हमें आपका आश्रय होता है तब तक हम सुरक्षित होते हैं। पर ज्योंही मैं सदन से बाहर पथ पर पैर रखता हूं मेरे मन में यह विचार आता है कि मैं एक मानव के अधिकार से नहीं चलता अपितु इस कारण चल सकता हूं

[पंडित एस० सी० मिश्र]

कि अभी तक दिल्ली शहर के देवता, अर्थात् मण्डलायुक्त अथवा जिला-मैजिस्ट्रेट की दृष्टि मुझ पर नहीं पड़ी है ।

हमें अपने जीवन में कभी किसी के आश्रित होकर रहने की आदत नहीं रही है। यही कारण है कि हम इस विधेयक का विरोध करते हैं। माननीय गृह मंत्री ने कहा कि केवल पांच व्यक्ति इस विधि के अधीन बंदी बनाये गये हैं। पर सवाल बन्दी बनाये जाने का नहीं है। सवाल यह है कि इस विधेयक के विधि-पुस्त में सम्मिलित करते ही प्रत्येक स्वतन्त्र विचार वाले व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर आप दबाव डालते हैं। दूसरे पक्ष में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीवन भर कभी यह अनुभव नहीं किया है कि सत्ताधारियों का विरोध करना क्या चीज़ है ।

ऐसे लोगों के लिये कोई निवारक निरोध नहीं। जो लोग सरकारी दल के विचारों से सहमत हैं वह कभी भी यह नहीं समझ सकते कि एक बुरी विधि क्या होती है क्यों कि उनके सम्बन्ध में यह विधि लागू ही नहीं हो सकती।

माननीय गृह मंत्री शायद यह कहें कि यह विधेयक किसी दल के विरुद्ध उपयोग में लाने के लिये नहीं बनाया गया है पर मैं इस बात को अच्छा समझता यदि गृह मंत्री यह अधिनियम विशेष दलों के विरुद्ध ही प्रस्तुत करते उस अवस्था में यदि किसी दल, उदाहरणार्थ साम्यवादी दल को या प्रजादल को अवैध घोषित किया जाता और यह घोषणा की जाती कि जो भी कोई व्यक्ति इस दल का सदस्य बनेगा उस को बन्दी बनाया जायगा तो सब लोगों को यह सरल निर्णय करना पड़ता कि वे उस दल के सदस्य बनें या नहीं।

परन्तु कहा जाता है कि यह विधेयक को केवल व्यक्ति समझ कर उस के विरुद्ध ही उपयोग में लाया जायेगा। एक मनुष्य तो साम्यवादी या समाजवादी इच्छानुसार हो सकता है, परन्तु एक व्यक्ति तो व्यक्ति है और रहेगा उसके तो वैयक्तिक विचार होंगे ही। तो फिर इस विधि और इस अधिनियम का क्या अभिप्राय है ? ज्यों ही इस विधेयक का पारण होगा यह प्रत्येक स्वतन्त्र विचार वाले व्यक्ति के विरुद्ध होगा ।

हमारे महान नेता, पंडित नेहरू, सदा कहते आये हैं कि एक युवक को जीवित रहने को कोई अधिकार नहीं यदि उसके विचार भयानक अर्थात क्रांन्तिकारी न हों। आज शायद वह बदल गये हों पर उनकी लिखी पुस्तकें अभी प्रभावशाली हैं। तीस वर्ष के लिये हम ने इस महान तथा प्रिय नेता के साथ साथ भारत को ऐसा देश बनाने के लिये संघर्ष किया जहां हम रह कर जीवन सफल बना सकें। इस कारण संघर्ष नहीं किया कि हम किसी के आश्रय से जी सकें। इस अधिनियम के लागू होने के उपरान्त यह देश प्रत्येक व्यक्ति के लिय रहने के योग्य नहीं रहेगा। अमुक दलों के सदस्य होने के कारण लोगों को बन्दी न भी बनाया जाये इस कारण तो अवश्य बनाया जायेगा कि वे सत्ताधारियों की खुशामद नहीं करते।

निवारक निरोध अधिनियम विधि-पुस्त के लिये एक तौहीन है। मेरे एक माननीय मित्र ने, जो पंजाब के निवासी हैं, यह युक्ति दी कि हम दन्ड-प्रक्रिया-संहिता में सम्मिलित विधियों के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहते। कहा गया कि दण्ड-संहिता के अन्तर्गत कोई भी चीज़ आ सकती है और फिर भी हम इस छोटे से विधेयक का कटु विरोध करते हैं। इस विरोध का कारण हमारी विध्वंसकारिता या अपराधी विवेक बतलाया जाता है। मैं इसी प्रश्न को दूसरे रूप में रखता हूं। यदि दण्ड-प्रक्रिया-संहार की ६०० से अधिक धारायें पहले ही बनी हैं जिन के अन्तर्गत सारी बातें आती हैं तो आप कोई उत्पन्न हो सकने वाली आपात स्थिति को रोकने में अपने आप को अस्मर्थ क्यों समझते

हैं और आप क्यों इस विधेयक के अधिनियमन के पीछे पड़े हैं। जनता समझ सकती हैं कि सरकार के पास इतनी धारायें पहले ही हैं जिनका वह उपयोग कर सकती है और फिर भी वह इस एक विधेयक को विधि बनाना चाहते हैं। जनता समझ सकती हैं कि यह नई चीज है और यह भयानक होगी। एक सभ्य राज्य के तीन आधार होते हैं: कार्यपालिका विधान मंडल तथा न्यायपालिका। भारत में क्या हो रहा है? यहां कार्यपालिका अब विधान-मंडल पर भी अपना आधिपत्य जमा रही है। यहां हम ५०० से अधिक मित्र जो बैठे हैं, हम कार्यपालिका की हैसियत से यहां नहीं हैं हम यहां विधायकों की हैसियत से हैं और हमें देखना चाहिये कि देश तथा जनता हम से क्या मांगते हैं। हमको देश के हित की ओर देखना है और केवल कार्यपालिका की मांग के आधार पर नहीं चलना है। कार्यपालिका अपना हाथ विधान-मंडल में भी डाल रही है और हमें इसकी हर मांग को ही पूरा नहीं करना है। एक अनोखी बात हो रही है। अधिनियम के आधार पर हमारी कार्यपालिका, हमारी न्यायपालिका को अधिकारहीन बनाना चाहती है। इस विधेयक के पारित होने से हम प्राचीन काल से स्थापित सीमा का खंडन चाहते हैं। यह ऐसा तीसरा प्रयत्न है।

इस पक्ष का विरोध केवल इस बात पर नहीं कि आप कुछ व्यक्ति को कारागार में डालेंगे अपितु इस बात पर कि इस विधि से आप प्रत्येक नागरिक की स्वतन्त्रता को जो सरकार का समर्थक नहीं, खतरे में डालते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि भारत एक गुलामों का देश न सही, एक भूदासों का देश तो बन ही जायेगा। हां सब भूदासों को उनके स्वामी दुःख नहीं देते थ। ऐसा केवल उनके साथ किया जाता था जिनको अपने स्वामियों से मतभेद होता था। यही अवस्था आप भारत की बना रहे हैं। सदन के एक नारी सदस्य ने, जो कांग्रेस बेंचों से बोलीं, खून की मांग की। यदि इस नारी सदस्य की चर्चा को स्वीकार कर लिया जाये तो सारा भारत एक समाहार-शिविर बन जायेगा। मैं इस नारी सदस्य के लिये १२ जुलाई के "स्टेस्मेन" की ओर निर्देश करता हूं।

समाचार पत्र में बताया गया है कि राम सिंह नामक एक व्यक्ति को, जो साईकिल की मरम्मत का काम करता था २० अक्तूबर, १९५०, को एक साईकिल की चोरी के विषय में बन्दी बना लिया गया। पुलिस पदाधिकारियों ने इसको बहुत शारीरिक दुःख दिया। और अभिवक्ता द्वारा इसको प्रतिभू पर मुक्त किये जाने का आदेश प्राप्त किये जाने पर भी उसको एक न्यायालय से दूसरे में लिया गया और अन्तिम परिणाम यह रहा कि ३ नवम्बर को राम सिंह को पुलिस के सह-उप-निरीक्षक के घर पर मरा पाया गया।

यह सब कुछ इस महान नगर दिल्ली में हुआ। मैं गृह मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि यदि मुझे या किसी को बन्दी बनाया जाता है तो उस को माननीय गृह मंत्री या राज्य के गृह मंत्री द्वारा हस्ताक्षर किये गये आदेश के अन्तर्गत बन्दी बनाया जाये। उस अवस्था में कम से कम इस बात का संतोष तो मिलता कि उच्चतम अधिकारियों ने एसा निर्णय किया है। पर माननीय गृह-मंत्री हमें ऐसा आश्वासन नहीं दिलायेंगे।

मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहता हूं। जब ऐसे अधिकारों का प्रयोग पहली बार किया जाता है तो जनता समझती है कि आपात काल है। पर जब यह एक स्थायी विधि बन जाये तो जनता यही समझेगी कि शासक एक बार खून का मज़ा ले कर और खून चूसना चाहते हैं।

इस अधिनियम से भी काम नहीं चलेगा। मैं एक और उद्धरण पढ़ता हूं। यह भी १२ जुलाई का है और सटाणा, बम्बई में प्रकाशित हुआ है।

[पंडित एस० सी० मिश्र]

"तहराबाद के एक प्रतिष्ठित नागरिक श्री दुअन्ना पाठक के २१ वर्षीय पुत्र श्री काशीनाथ पाठक ने जहर की गोलियां खाकर कल रात अपनी आत्महत्या कर ली। यह बम्बई विश्वविद्यालय से कृषि में बी० ए० कर चुका था। बड़े प्रयत्नों के बाद भी कोई नौकरी या काम न मिलने के कारण जीवन से निराश हो कर अन्ततः उसने यही करना उचित समझा।"

देश में लाखों बी० ए० बेकार हैं और भूके मर रहे हैं। आप कितने ही अधिनियम बनाइये, तो कुछ नहीं होगा। इन शिक्षित बेकार युवकों के सामने दो ही रास्ते हैं। या तो वह जहर की गोलियां खा कर आत्महत्या कर लें, नहीं तो इस शासन-प्रणाली को बदलने के लिये अपना जीवन समर्पित करेंगे जिस ने कि उनको इस अवस्था में डाला है।

अब मैं इस विधेयक पर कुछ कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह बातें दूसरी बार के लिये छोड़ सकते हैं। अन्य माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करने के इच्छुक हैं। जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं उन्होंने भी कहा है कि उनके दल के दूसरे सदस्य, श्री सारंगधर दास को भी बोलने को कहा जाये। पर इस प्रकार इतना अधिक समय लेना अच्छा नहीं।

पंडित एस० सी० मिश्र : अब तक मैं साधारण नियमों के आधार पर विधेयक का विरोध कर रहा था। अब मैं विधेयक सम्बन्धी विशेष बातें कहना चाहता हूं।

हम ने दण्ड-विधि संशोधन विधेयक पारित किया है और अन्य कई विधेयक पारित करके हम जनता को एक और विधेयक का उपहार देना चाहते हैं। प्रतीत होता है कि माननीय गृह-मंत्री की इच्छा यह है कि जनता दो दलों में बट जाये। या तो लोग उनके दल में मिलकर बन्दी बनने से बचें नहीं तो बन्दी बन कर श्री गोपालन के दल में मिल जायें। कहा जाता है यदि कोई व्यक्ति विदेशों से सम्बन्ध की नीति का विरोध करे तो उसको बन्दी बनाया जायेगा।

दो ही दिन पहले सभा-कक्ष में बात चीत हो रही थी तो प्रश्न उठा कि पाकिस्तान सरकार से हम क्यों यह मांग नहीं कर सकते कि हमें अपना प्रिय बादशाह खान लौटा दो, वह हमारे भारत का एक अंग है? अब मैं समझ गया हूं कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। हम पाकिस्तान की विदेशीय नीति के विरुद्ध कुछ नहीं कह सकते। हां, जब बादशाह खान पाकिस्तान की विदेशीय नीति का विरोध करते हैं तो उनको भी ऐसे ही निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत बन्दी बनाये रखा जा सकता है। हमारे समक्ष विधेयक के पारण का परिणाम यह होगा कि हम पाकिस्तान को यह कह रहे हैं कि बादशाह खान को मरण समय तक बन्दी बनाये रखना ठीक है।

कहा गया है कि वर्तमान रूप में इस विधेयक में बन्दियों के हित के लिये कुछ परिवर्तन किये गये हैं। कहा जाता है कि संशोधित रूप में यह पहले से अच्छा विधेयक बना है। उदाहरणतः, मुख्य अधिनियम की धारा १३ की उपधारा (२) में "निरसन" शब्द के स्थान पर "निरसन अथवा अवसान" लिखा गया है। इसका अभिप्राय यह है कि बन्दी के एक बार मुक्त किये जाने पर उसको पुनः इसी अधिनियम के अन्तर्गत बन्दी बनाया जा सकता है। विधेयक के खण्ड ७ की नई धारा १२ (क) के अधीन बन्दी बनाये रखने की अधिकतम अवधि बारह मास रहेगी। अर्थात अब अवधि भी बढ़ गई है और पुनः बन्दी बनाने का पूर्ण अधिकार भी सरकार को है, तो यह भले ही बन्दियों के हित के लिये संशोधन

किये गये हैं। माननीय गृह मंत्री स्पष्ट रूप में यह क्यों नहीं कहते कि कई खण्डों में सरकार के हित के लिये संशोधन किया गया है और कई और खण्डों में बन्दियों के हित के लिये। आप को यह भी अधिकार है कि आप लोगों को फांसी दें, परन्तु मुझे यह शिकायत है कि आप सदन के सामने सब बातें स्पष्ट रूप में नहीं रखते।

मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि वह और दो तीन महीने के लिये इस विधेयक को लागू रखें और इस समय में जनता की राय लें। ठीक है कि आप को चुनाव के फलस्वरूप अधिकार मिला है पर इस बात का नहीं कि आप इस अधिनियम को एक स्थायी अधिनियम बना लें। मैं अपने मित्रों से यही प्रार्थना करूंगा कि वे इस विधेयक पर विचार करते समय प्रत्येक दृष्टिकोण से इसको देखें।

प्रो० अग्रवाल (वर्धा) : सम्भव है कि मेरे कुछ माननीय सदस्यों को इस बात पर आश्चर्य होगा कि एक व्यक्ति जिस को अधिकतर आर्थिक तथा शिक्षा सम्बन्धी मामलों में ही दिलचस्पी है वह इस विषय पर बोलना चाहता है। परन्तु मुझे विवश हो कर बोलना बड़ा क्योंकि गांधी जी के पवित्र नाम का आश्रय लेकर पाप तथा हिंसात्मक क्रिया की जाती है। किसी माननीय सदस्य ने कहा कि सम्पृक्त स्वार्थ-वालों का विरोध करने के लिये जनता को हिंसात्मक रीति अपनानी पड़ती है क्योंकि गांधी जी भी कहते थे कि कायरता से अच्छा यही है कि हिंसात्मक उपायों का उपयोग किया जाये। गांधी जी द्वारा अहिंसावाद के विषय में लिखी गई पुस्तकों को भूल कर उनका एक कथन दोहराया गया और वह भी गलत रूप में। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि इस देश में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने गांधी जी का हनन किया और ऐसे समाज के शत्रुओं को दबाये रखने के लिये किसी उचित विधेयक का अधिनियमन करना आवश्यक है।

दुर्भाग्य की बात यह है कि एक दो गान्धीवादियों ने देश पर ऐसा प्रभाव डाला है कि गान्धीवाद तथा साम्यवाद में कोई अन्तर नहीं। गान्धीवाद केवल हिंसारहित साम्यवाद नहीं, परन्तु इन दोनों वादों के सिद्धान्तों में बहुत अन्तर है। साम्यवाद में आध्यात्मवाद का भौतिकवाद के प्रति कोई महत्व ही नहीं है। साम्यवाद में लक्ष्य अच्छा हो तो साधन कैसा भी हो सकता है, पर गान्धीवाद में साधन भी शुभ होने चाहियें। आचार्य विनोबा भावे ने साम्यवादियों को यह विश्वास दिलाया था कि यदि वे हिंसात्मक दर्शन त्याग करें तो वह भूमि के पुनर्विभाजन के कार्य में उनसे सहयोग करेंगे। हो सकता है कि तेलंगाना में पुलिस ने अपने अधिकारों का दुरूपयोग किया हो। पर जब तक इस देश में ऐसे लोग हैं जो हिंसात्मक रीतियों से दरिद्रता दूर करने की नीति पर चलते हैं तब तक कोई सरकार किसी ऐसे विधेयक के बिना, जिससे उसको पर्याप्त अधिकार मिलें, अपना काम कैसे चला सकती है ?

साम्यवादी मित्रों के अतिरिक्त भारत में कई और लोग भी हैं। पूंजीवादी हैं जो चोरबाज़ारी चलाते हैं। साम्प्रदायिक-तावादी हैं जो एक साम्प्रदायिक राज के स्वप्न लेते हैं, अस्पृश्यता के विरुद्ध संविधान में स्पष्ट नीति होते हुये भी पंजाब तथा देश के अन्य भागों में अभी अस्पृश्य जनों को तंग किया जाता है। इन सब दुर्प्रवृत्तियों को हटाना है और ऐसी बातों को भी निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत लाना चाहिये।

मैं समझता हूं कि सरकार द्वारा ऐसी विधियों का अधिनियमन करना समर्थनीय है। हां, साथ ही मैं यह कहना चाहता

[प्रो० अग्रबाल]

हूं कि सरकार को ऐसी विधियों का उपयोग सावधानी से करना चाहिये और केवल उसी अवस्था में जब अन्य सारे उपाय असफल रहें । साम्यवाद अथवा अन्य किसी रूप में हिंसावाद को प्रभावशील ढंग से रोकना हो तो आर्थिक स्थिति को सुधारना अत्यावश्यक है ।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, इस को काफी संशोधित किया गया है । आपात काल में शान्ति स्थापित रखने के लिये तथा लोकतन्त्र की सुरक्षा के लिये इस विधेयक का अधिनियमन होना चाहिये ।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : मैं इस विधेयक के प्रति अपने विरोध के मुख्य कारण बताना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि इस के संशोधित रूप में इसके किन २ उपबन्धों से हम असन्तुष्ट हैं ।

हमारे सामने एक भयानक चित्र खेंचा गया है कि देश में कैसी गड़-बड़ फैली हुई है । किसी ने यह सुझाव नहीं दिया है कि ऐसी स्थिति की ओर सरकार आंखें बन्द कर ले और ऐसा होने दे । न ही कोई यह कह रहा है कि वैयक्तिक स्वतंत्रता किसी भी देश में सीमा रहित हो सकती है । परन्तु हम एक महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं । वह यह कि किसी व्यक्ति को बिना परीक्षण बन्दी बनाये रखा जाना चाहिये या नहीं ? इस विषय में भी हम मानते हैं कि युद्ध के दिनों में या अन्य किसी आपात काल में ऐसा किया जा सकता है । डा० काटजू कहते हैं कि संविधान में इस के लिये उपबन्ध हैं । ठीक है, पर इन उपबन्धों के अधीन केवल आपात काल में हम ऐसी विधि बना सकते हैं । संविधान में ऐसे उपबन्ध केवल आपात काल के सम्बन्ध में हैं, कोई ऐसी स्थिति न हो तो इनका उपयोग नहीं किया जा सकता ।

अब प्रश्न केवल इतना ही है कि क्या सरकार ने निवारक निरोध अधिनियम को और चालू रखे जाने की आवश्यकता को प्रकट करने के लिये पर्याप्त तथ्य सदन के समक्ष रखे हैं ? चार पांच मास पूर्व डा० काटजू ने इस सदन के सामने कुछ वचन दिया जिस से वह पीछे नहीं हट सकते । उन्होंने २८ फ़र्वरी, १९५२, को कहा कि छः महीने की कालावधि में यदि शान्ति भंग न करने के वचन पूरे किये गये और कोई गड़-बड़ न हुई तो शायद इस अधिनियम के लागू रखने की कोई आवश्यकता ही न रहे। उन्हों ने वचन दिया कि वह स्थिति को ध्यान से देखेंगे और इस विषय में विचार करेंगे । उस समय उन्होंने कहा कि लगभग ११०० व्यक्ति समस्त भारत में बन्दी बनाये गये थे और अब आंकड़ों से पता चलता है कि १५ जून, १९५२, को ८८९ ही व्यक्ति बन्दी थे । मैं ने डा० काटजू से एक साधारण प्रश्न पूछा कि पहली मार्च, १९५२, से अब तक कितने व्यक्ति बन्दी बनाये गये हैं । पर इस विषय में उन्होंने अभी तक कोई सूचना नहीं दी है । मैं नहीं समझ सकता कि इसमें कौन सा सिद्धान्त अन्तर्ग्रस्त है । यदि आप यह कहते हैं कि आप वैयक्तिक स्वतन्त्रता को मानते हैं तो आपका इस विधेयक को भारत की वर्तमान स्थिति में पारित कराने पर ज़ोर देना शोभा नहीं देता और न ही समर्थनीय है ।

मैं भारतीय विधान-सभा की तब की कार्यवाही पढ़ता रहा हूं जब पंडित मोतीलाल नेहरू विरोधी दल के नेता थे । उस समय सर जेम्स क्रेरर द्वारा, जो तब गृह मंत्री थे, लोक सुरक्षा विधेयक प्रस्तुत किया जो हमारे समक्ष इस विधेयक के सदृश था । यह विधेयक भारतीयों के विरुद्ध नहीं अपितु उन विदेशी लोगों के विरुद्ध था जिन के बारे

में यह संदेह था कि वे साम्यवाद का प्रचार कर रहे हैं । उस समय पंडित मोतीलाल नेहरू ने औचित्य का प्रश्न उठाया और इस सारे विधेयक को इस कारण अनुचित बतलाया कि तत्कालीन सरकार ऐसा साक्ष्य प्रकट करने को तैयार नहीं थी जिस के दृष्टिगोचर ऐसा उपाय समर्थनीय हो । अगले दिन अध्यक्ष महोदय, श्री विठलभाई पटेल ने विधेयक को अनुचित घोषित किया । उसके पश्चात् आधे घंटे में तत्कालीन महाराज्यपाल, लार्ड इर्विन, ने अध्यादेश देने के विशेषाधिकार का उपयोग किया और इस विधेयक को एक विधि बना लिया । यह रही है कांग्रेस दल की मर्यादा । पर आज आप क्या कर रहे हैं ?

पंडित मोतीलाल नेहरू ने १९२९ में इस विधेयक के सम्बन्ध में कहा था कि इस विधेयक में अन्तर्ग्रस्त सिद्धान्त यह है कि जहां न्यायालय किसी को अपराधी नहीं ठहरा सकते वहां हमें (अर्थात् सरकार को) उसे दण्ड देने का अधिकार होना चाहिये । इस विधेयक में भी ऐसा ही उपबन्ध था जैसा हमारे समक्ष विधेयक में है, वह यह कि बन्दी का मुकदमा उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के एक न्यायाधिकरण के सामने रखा जाता जो सरकार द्वारा बताई गई गोपनीय दलील के आधार पर अपना निर्णय देता । इस पर पंडित मोतीलाल नेहरू ने यह विरोध किया कि यह न्यायाधीश अभियुक्त के पक्ष में निर्णय दे ही कैसे सकते हैं जब कि अभियुक्त के अभिवक्ता को इस गोपनय दलील तक प्रवेश ही नहीं और जब अभियुक्त एक साधारण वक्तव्य के अतिरिक्त कुछ कह ही नहीं सकता । पंडित मोतीलाल नेहरू बोले, "क्या यह न्याय है ? क्या इस से नृशंसतर भी कोई चीज़ हो सकती है ? ..... आप हमें तीन अनभवी न्यायाधीश न दीजिये । आप राह चलते तीन व्यक्ति लाइये, परन्तु उनके सामने सारी साक्ष्य रखिये।" उन्होंने कहा कि तीन न्यायाधीश भी अभियुक्त को बचा नहीं सकते जब उनके अधिकार पर प्रतिबन्ध हों । यह कुछ मूल सिद्धान्तों का संक्षिप्त वर्णन है और इन सिद्धान्तों से हम टल नहीं सकते चाहे भारत में विदेशी सरकार का शासन हो या भारत एक स्वतन्त्र देश हो ।

श्रीमान्, मैं ने "हाल ही म भारत में दिये गये निर्णय" नामक पुस्तक का प्राक्कथन पढ़ा है जो कि दस वर्ष पूर्व एक प्रमुख विधि-वक्ता ने लिखा था । इस प्रक्कथन में लिखा गया है कि बिना परीक्षण केवल गुप्त संदेह के आधार पर किसी को नजरबन्द करना न्याय तथा सभ्य प्रशासन के सिद्धान्तों के विपरीत है । इस लेखक का नाम है डा० कैलाश नाथ काटजू । श्रीमान्, मैं यह नहीं कह सकता कि आज भी उन के विचार ऐसे ही हैं या कि बदल गये हैं । स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने १९३६ में एक भाषण में कहा है कि जिस सरकार को दण्ड-विधि संशोधन अधिनियम तथा अन्य ऐसे कानूनों का आश्रय लेना पड़े जिनके द्वारा समाचार-पत्रों तथा सैकड़ों संघटनों को दबाया जाये, उस सरकार का विद्यमान रहना नाम मात्र भी उचित नहीं ।

इस विधेयक को पारित किये जाने के पक्ष में क्या कारण बताये जाते हैं ? हमारे समक्ष कौन से तथ्य रखे गये हैं ? पहला है सौराष्ट्र । क्या सौराष्ट्र में पहले ही निवारक निरोध अधिनियम लागू नहीं था ? क्या वहां कोई सरकार नहीं थी ? वहां क्यों स्थिति को इतना बिगड़ने दिया गया ? यह भूपत नामक व्यक्ति कौन है ? सुना जाता है कि कई पुलिस पदाधिकारी उसकी सहायता करते थे । कहा जाता है कि इस छोटे से राज्य में बहुत षड्यंत्र चल

[डा० एस० पी० मुखर्जी]

रहे हैं और बहुत पक्षपाती वैर है। शायद इस राज्य के प्रति निवारक निरोध अधिनियम से भी अधिक कटु उपाय करना पड़ेगा। मैं सरकार को आश्वासन दिलाता हूं कि यदि वह सारे तथ्य तथा सारी घटना का वृत्तान्त सदन के समक्ष रखकर विशेषाधिकार मांगे तो सदन में कोई भी ऐसा व्यक्ति न होगा जो यह विशेषाधिकार दिये जाने का विरोध करे। परन्तु यदि देश के किसी भाग में विशेष कारणों के वश्य शान्ति स्थापित नहीं की जा सकती है तो आप सारे देश के लिये एक निवारक निरोध अधिनियम क्यों चाहते हैं? इस पर जनता को क्रोध आता है।

दूसरा कारण हैदराबाद बताया जाता है। वहां भी पहली मार्च, १९५२, से कोई दुर्घटना नहीं हुई है। यदि फिर भी कोई बात है या यदि आप समझते हैं कि साम्यवादी दल के प्रति बहुत आरोप हैं, तो खुले आम आप परीक्षण कोजिये, हां, चाहें तो गोपनीय परीक्षण ही होने दीजिय, परन्तु सारी बातें परीक्षण के समय स्पष्ट रूप में पेश कोजिये और सच्चाई प्रतीत होने दीजिये।

कलकत्ता की ओर भी निदश किया गया। पर कलकत्ता और निवारक निरोध अधिनियम का सम्बन्ध ही क्या? डा० काटजू स्वयं मानते हैं कि कलकत्ता में स्थिति सुधर गई है। आखिर वहां हुआ क्या था? इस भाग्यहीन नगर में एक बहुत ही दुर्भाग्य की स्थिति है, जैसे कि खाद्य मंत्री के आज के वक्तव्य से ज्ञात हुआ है। खाद्य मंत्री ने वहां जा कर एक योजना की कि वर्तमान अवस्था में जो घेरे डाले गये हैं उनको तोड़ा जाये। जनता चिल्लाने लगी कि इस योजना का अभी परिपालन कीजिये। यदि वहां कोई गड़-बड़ हो तो उसको दूर करना चाहिये। परन्तु गड़-बड़ हुई किस कारण? लोगों ने एक अधिवेशन बुलाया और अकस्मात धारा १४४ को लागू किया गया। "अमृत बाज़ार पत्रिका" में इस घटना के सम्बन्ध में प्रकाशित किया गया वर्णन मेरे पास है। इस समाचारपत्र की कांग्रेस के प्रति मित्र भावना है। पर इसमें बताया गया है कि कैसे पुलिस ने ही स्थिति को बिगाड़ कर गड़-बड़ आरम्भ की। घुड़-सवार पुलिस ने ओचरलोनी स्मारक के पास बालकों और बालिकाओं की बैठक को तोड़ा। स्थिति का कोई विचार न करते हुये लाठी चार्ज किया गया। कइयों को बन्दी बना लिया गया। इस बुरे व्यवहार के प्रति आस पास के क्षेत्रों में शीघ्र ही प्रतिक्रिया की भावना फैल गई। कंकड़ और ईंटों की वर्षा होने लगी। पर पुलिस कर्मचारी स्मारक के महान स्तम्भ की आड़ में रहकर बचे रहे, केवल अल्प स्वभाग्य वाले संवाददाताओं में से, जो किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं बैठे थे, एक के मस्तक पर पत्थर का टुकड़ा लगने से गहरी सी चोट आई।

सरकारी बयान यह है कि लोगों द्वारा पत्थर और ईन्टें फेंके जाने से गम्भीर स्थिति उत्पन्न हुई। पर स्थिति को गम्भीर बनाया किसने? परन्तु सरकारी बयान के अनुसार पुलिस ने जो कुछ कार्यवाही कि वह स्थियानुकूल थी! फिर वही अपनी सफाई;

आप कलकत्ता की बात कर रहे हैं। क्या आप इस समस्या को निवारक निरोध अधिनियम द्वारा हल करने की सोच रहे हैं मैं मानता हूं कि दंगा फसाद करने वाले अंश भी हर स्थान पर होते हैं। परन्तु आप को चाहिये कि आप मामले की जड़ की खोज करें गड़-बड़ का वास्तविक कारण ढूंड निकालें। नहीं तो आप इस देश को उन्हीं के हाथ दे रहे हैं जो यहां अन्धेर मचाना चाहते हैं। क्या कारण है कि किसी मंत्री या कांग्रेसी नेता ने बाहर आकर लोगों को समझाया नहीं?

क्या किया गया ? सारा नगर पुलिस के हाथ सौंपा गया, जैसे कि पुलिस राज स्थापित करना था ।

डा० काटजू ने एक और युक्ति दी जो उनके अपने ही तर्क के विरुद्ध थी । उन्होंने कहा कि इस विधेयक को किसी विशेष दल के विरुद्ध प्रयोग में नहीं लाया जायेगा अपितु, केवल हानिकारक व्यक्ति के विरुद्ध । उनकी नीति समझी जा सकती थी यदि वह कहते कि किसी विशेष दल का कार्यक्रम विध्वंसकारी है और इस कारण वह उसके विरुद्ध कार्यवाही करना चाहते हैं । कल ही गृह मंत्री ने कहा, "बड़ी आश्चर्य की बात है कि साम्प्रदायिकतावादी, साम्यवादी, उद्योगपति, भूतपूर्व राजा लोग तथा स्वतन्त्र सदस्य सारे एक मत हुए हैं ।" आप यह आश्चर्यजनक बात मान लें तो ऐसा ही सही । पर विरोधी पक्ष में जो दल हैं उनके बीच कई विषयों पर मतभेद भी हो सकता है और कई विषयों पर वह एक मत भी होते हैं । साम्यवादी दल ने काश्मीर समस्या के सम्बन्ध में सरकार की नीति का समर्थन किया और हम इस विषय में उनसे सहमत नहीं, पर कई ऐसे मूलभूत विषय हैं जिन के बारे में हम एकमत हैं । आज ही कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि साम्यवादी दल दोराही चाल चलता है । यदि डा० काटजू उनके समक्ष उन पर यह आरोप लगायें और यह प्रमाणित हो जाये तो हम सरकार की नीति का समर्थन करेंगे । परन्तु एक बात सदा याद रहनी चाहिये कि साम्यवादी भी यहां इस सदन में जनता द्वारा भेजे गये हैं । वह प्रधान मंत्री या गृह मंत्री के आश्रय से इस सदन में नहीं आये हैं । और जहां जहां आप ने दमनकारी नीति चलाई है वहां वहां—चाहे वह स्थान हैदराबाद हो या पश्चिमी बंगाल—जनता का निर्णय कांग्रेस के विरुद्ध रहा है ।

साम्प्रदायिकतावादी का क्या अर्थ है ? यदि देश तथा अपनी जाति के प्रति प्रेम भावना रखना, अन्य जातियों के प्रति कोई द्वेष भाव न रखना, ३० करोड़ हिन्दुओं का संघटन करना तथा हिन्दुमत के उच्च सिद्धान्तों के अनुकूल अपनी समाज को ऊंचा उठाना एक साम्प्रदायिकतावादी होना है तो मुझे ऐसा होने पर गर्व है । पर यदि मैं अन्य जातियों के प्रति दुष्ट भावना रखूं तो मुझे इस देश में एक सच्चे हिन्दु के नाते रहने का कोई अधिकार नहीं आप को बड़ी भारी भूल है । कांग्रेस में कई ऐसे व्यक्ति हैं को वास्तविक रूप में साम्प्रदायिकतावादी हैं । कांग्रेस ने ही देश को साम्प्रदायिकता की वेदी पर बेच डाला, गान्धी जी की मन्त्रणा के विपरीत देश का विभाजन कराया और कांग्रेस द्वारा हमारा साम्प्रदायिकतावादी कहलाया जाना अपना नाम दूसरे को लगाना है ।

श्रीमान्, मैं भूतपूर्व राजाओं की वकालत नहीं करता हूं पर मुझे आश्चर्य हुआ जब कि डा० काटजू ने इन के प्रति आवाजें कसीं । क्या यह अच्छी बात नहीं कि वह लोकतन्त्र के अनुयायी बन रहे हैं ? यदि यह साम्यवादी साम्प्रदायिकतावादी, भूतपूर्व राजा लोग आदि कांग्रेस में मिल जायें तो उच्च कोटी के देशभक्त बन जायेंगे, नहीं तो जब वह दृढ़ धारणा के आधार पर किसी बात के प्रति अपना विरोध प्रकट करें तो उनको बुरा नाम लगता है और उनके लिये निवारक निरोध अधिनियम विधि-पुस्त, में रखे जानी का उपाय किया जाता है ।

दिल्ली में हुए अन्तर्साम्प्रदायिक विवाह की ओर निर्देश किया गया । दुल्हा तो केवल सौ, ढेढ़ सौ रुपये प्रति मास वेतन पाता था, तो ६०० व्यक्ति को किस ने कांस्टिट्यूशन क्लब में आने के लिये आमंत्रण दिया था ? इस के लिए पैसा कहां से आया ? क्या यह कोई ऐसी बात थी जिस के सम्बन्ध में ढंढोरा

[डा० एस० पी० मुखर्जी]

पिटवाया जाना था ? कहा जाता है कि यह दुल्हा १९४७ तक एक साम्प्रदायिकतावादी था और मुस्लिम राष्ट्रीय दल का एक 'सालार' था। विभाजन के उपरान्त इस ने सफेद टोपी पहनी और कांग्रेसी बनकर एक हिन्दू नारी से विवाह भी कर लिया। इस प्रकार हमारे महान धर्मनिरपेक्ष भारत राज्य में साम्प्रदायिकता, महान रुपान्तर के फलस्वरूप, धर्मनिरपेक्षता बन जाती है। इस विवाह का समर्थन किस ने किया? क्यों न उन व्यक्तियों के विरुद्ध निवारक निरोध अधिनियम प्रयोग में लाया जाये जिन्हों ने किसी के निजी मामले में हस्तक्षेप किया और एक अन्धेर मचा दिया ? इस कन्या का पिता मेरे पास आया। उसने रोया पीटा और कहा कि गुप्त रूप में कांग्रेसी नेताओं ने उसको किसी बात का पता न देते हुये, उसकी कन्या का विवाह करवा लिया। मैं कांग्रेस पर कोई आरोप नहीं लगाता क्योंकि बहुत से प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को इस दुर्घटना का बहुत दुख था।

और फ़िर क्या हुआ ? निवारक निरोध अधिनियम को प्रयोग में लाया गया। कई व्यक्तियों के विरुद्ध आदेश दिये गये जिन में संसद् सदस्य श्री देशपांडे भी थे। इस सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही भी सदन में पहुंच गई है पर इस अधिवेशन में उस पर चर्चा करना सम्भव नहीं। क्या हुआ ? यह मामला २१ से २५ मार्च तक रहा और २० से २६ मार्च तक श्री देशपांडे ग्वालियर में थे। वह वहां डा० खर के चुनाव के सम्बन्ध में काम कर रहे थे। फ़िर भी जिला मेजिस्ट्रेट के आदेशानुसार उनको बन्दी बनाया गया। जिला मेजिस्ट्रेट का कथन है कि वह ग्वालियर में बैठे २ ही दिल्ली में गड़-बड़ फ़ैला रहे थे।

उपाध्यक्ष महोदय : पर इस विधेयक के अधीन मेजिस्ट्रेट द्वारा दिये आदेश की सूचना तो १५ दिन में राज्य या केन्द्रीय सरकार को मिलनी थी।

डा० एस० पी० मुखर्जी : ठीक है। और उनको तो छः दिन पश्चात ही छोड़ा गया था। परन्तु फ़िर भी १५ दिन के लिये तो किसी को भी बिना कारण बन्दी बनाये रखा जा सकता है।

श्री मौली चन्द्र शर्मा तथा दिल्ली के एक अधिवक्ता श्री जोशी पर झूठे आरोप लगाकर उनको बन्दी बना लिया गया था। ऐसे लोगों की कानून कोई रक्षा नहीं कर सकता। मुझे आश्चर्य हुआ कि पांच सज्जन यह आरोप लगाये जाने पर बन्दी बनाये गये थे कि वह एक ही बैठक में सभापति बने थे। क्या पांच सभापति एक दूसरे के ऊपर बैठे थे ? ऐसे कई उदाहरण हैं।

श्रीमान, हाल ही में अजमेर में एक मामला हुआ है जिस की मैंने, आपके आदेशानुसार, माननीय गृह मंत्री को सूचना दी है। एक सिन्धी सज्जन जिनका नाम श्री काका त्रिलोक चन्द है, १९४७ तक सिन्ध म प्रान्तीय कांग्रेस समिति के तथा अखिल भारत कांग्रेस समिति के सदस्य रहे हैं। अब जिला मेजिस्ट्रेट ने इनको बन्दी बनाये जाने का आदेश दिया है। और अभी वह कारागार में ही हैं। कल्याण कैम्प से एक १६ वर्ष की कन्या, कुमारी भगवन्ती देवी एक ५५ वर्ष के मुसलमान, शफ़ी मुहम्मद के साथ अजमेर आई और उसने एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया कि उसने शफ़ी मुहम्मद को अपना पिता बना लिया है और वह उसे अपनी पुत्री मानता है। वहां कई अधिवक्ता उपस्थित थे, उनको यह देखकर आश्चर्य हुआ। कुछ पूछ ताछ आरम्भ हुई। वह जिला मेजिस्ट्रेट तथा पुलिस पदाधिकारियों के पास गये और उनसे कहा कि इस मामले की जांच

की जाये । तीन दिन कुछ नहीं हुआ । एक सार्वजनिक अधिवेशन बुलाया गया और अजमेर नगर में त्राहि त्राहि होने लगा । अधिवेशन पर जिला मेजिस्ट्रेट के आदेशानुसार प्रतिबन्ध लगाया गया । प्रतिबन्ध का पालन करते हुये संचालकों ने अधिवेशन नहीं बुलाया फ़िर भी रात को काका त्रिलोकचन्द और श्री बच्चन को निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत बन्दी बनाया गया ।

नगर में बड़ी गड़ बड़ फ़ैल गई और अगले दिन इन को छोड़ा गया । जांच करने पर पता चला कि शफ़ी मुहम्मद जो अपने आपको पिता कहता था भाग गया था यह भी ज्ञात हुआ कि इस मनुष्य के नाम अपहरण के अपराध के सम्बन्ध में पहले ही एक वारन्ट निकला हुआ था ।

७ जुलाई को काका त्रिलोकचन्द को पुनः बन्दी बनाया गया । चार कारण बताये गये । पहले दो कुमारी भगवन्ती से सम्बन्धित हैं । तीसरा यह कि १० जून को एक सिन्धी बालक के मृत शरीर पाये जाने के सम्बन्ध में काका त्रिलोकचन्द को साम्प्रदायिक चर्चा करते सुना गया था । शायद एक हिन्दू बालक का मृत शरीर एक मुस्लिम क्षेत्र में पाया गया था और नगर में कुछ त्राहि २ हो रहा था । साथ ही कहा गया था कि सम्पादक की हैसियत से उसने "सिन्धी कन्याओं पर आंख उठाने वालों को चुनौती" नामक लेख लिखा था और गड़-बड़ फैलाने के अभिप्राय से १६ जुलाई को एक सार्वजनिक सभा में भाषण दिया था । और बन्दी उसको तीन सप्ताह बाद, अर्थात् ७ जुलाई को, बनाया गया । चौथा कारण यह बताया गया था कि एक मारवाड़ी सज्जन द्वारा गैर कानूनी रूप में एक सिन्धी कन्या अपने घर रखे जाने के सम्बन्ध में उस ने शोर उठाया था जिसके फलस्वरूप कुछ गड़-बड़ फैल गई थीं ।

अब एक सार्वजनिक अपील जारी की गई है । इस पर कांग्रेस के प्रमुख कर्मचारियों के हस्ताक्षर हैं । कांग्रेस दल के प्रधान सचेतक, विधान सभा में कांग्रेस दल के सचिव, कांग्रेस दल के नेता, आदि १७ या १८ व्यक्तीयों ने इस अवरोध का कटु विरोध किया है । और सब से आश्चर्यजनक तथा भयानक बात यह है कि इस व्यक्ति ने मेजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किये गये अपने बयान में लिखा है कि वह राज्य के गृह मंत्री का विरोध करता था जो कि राज्य के शुभ तथा लाभ के प्रतिकूल कार्यवाही करता था । और गृह मंत्री के साथ निजी वैर होने के कारण ही उसको बन्दी बनाया गया था । ऐसे ही और भी कई उदाहरण हैं जिन से ज्ञात होता है कि इस अधिनियम का परिपालन उन प्रतिश्रुत प्रयोजनों के लिये भी नहीं किया जाता जो गृह मंत्री ने इसके प्रयोजन बतलाये हैं ।

अन्त में मैं केवल चुनी समिति के समक्ष इस अधिनियम को रखने के प्रश्न पर बोलना चाहता हूं । विरोधी पक्ष से हम ने एकमत होकर यह प्रार्थना की कि हमें इस सारे अधिनियम पर विचार करने का अवसर दिया जाये । हम इस अधिनियम को आवश्यक नहीं समझते, पर यदि आप इस को आवश्यक समझते हैं तो इस में पाई गई त्रुटियों को दूर करना होगा और इस बात की पूर्वावधारणा रखी जानी चाहिये कि कोई निर्दोश व्यक्ति बिना परीक्षण बन्दी न बनाया जाये । हां, यदि यह तर्क दे कर कि हम केवल संशोधन कर रहे हैं, इस सारे अधिनियम को एक चुनी समिति को न सौंपा जाये, यद्यपि ऐसा किये जाने का हमको गृह मंत्री ने विश्वास दिलाया है, तो हम में से, अर्थात् विरोधी पक्ष में से, कोई भी सदस्य चुनी समिति में काम नहीं करेगा । हम सहयोग करने के इच्छुक हैं ।

[डा० एस० पी० मुखर्जी]

अब प्रधान मंत्री की इच्छा है कि वह हमारी राय लेकर इस विधेयक पर विचार करे या न करे। परिणाम जो भी हो उसके लिये वह और उनकी सरकार उत्तरदायी होंगे, हम नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं गृह मंत्री को उत्तर देने को कहूंगा।

श्री सारगधर दास : श्रीमान्, अध्यक्ष महोदय ने मुझे बोलने का अवसर देने का वचन दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उस समय सदन में उपस्थित था जब माननीय सदस्य और उन के ही दल के एक और सदस्य ने अध्यक्ष महोदय से दोनों के बोलने की अनुमति मांगी। पर दूसरे माननीय सदस्य ने मेरे कहने पर भी अपना भाषण उचित समय पर समाप्त नहीं किया। मैं वाद विवाद को केवल इस कारण जारी नहीं रख सकता कि एक माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। अब माननीय गृह मंत्री भिन्न भिन्न आलोचनाओं का उत्तर देंगे।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) : क्या स्वतन्त्र सदस्य न बोल पायेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : स्वतन्त्र सदस्यों को अन्य अवसर मिलेंगे। कल माननीय मंत्री बोलेंगे और मैं कल ८·१५ म० पू० तक सदन की बैठक स्थगित घोषित करता हूं।

इसके पश्चात् सदन की बैठक बुधवार २३ जुलाई, १९५२ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हुई।